

Seventeenth Series, Vol. XXVIII No. 6

Monday, December 11, 2023

Agrahayana 20, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Fourteenth Session

(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXVIII contains Nos.1 to 14)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Mamta Kemwal

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Kamala Subramanian

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXVIII, Fourteenth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 6, Monday, December 11, 2023/ Agrahayana 20, 1945 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 101 to 107	9-35
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 108 to 120	36-94
Unstarred Question Nos. 1151 to 1236, 1238 to 1252, 1254, 1256 to 1268, 1270 to 1369 and 1371 to 1380	95-682

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

RESIGNATION BY MEMBER	683
PAPERS LAID ON THE TABLE	684--729
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES	
(i) 25 th and 26 th Reports	730
(ii) Statement	730
STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY	
Statements	731-733
STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	
33 rd Report	734
STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE	
134 th to 140 th Reports	735-736
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 980 DATED 08.12.2023 REGARDING DECLARATION OF HAMAS AS TERRORIST ORGANIZATION	737-743
MATTERS UNDER RULE 377	778-803
(i) Regarding grant of a special package for promotion of tourism in Chitrakootdham Shri R.K. Singh Patel	778
(ii) Regarding rejuvenation of various canals and ponds in the country Dr. Dhal Singh Bisen	779
(iii) Regarding sanctioning stoppage of trains at various stations in Sikar Parliamentary Constituency Shri Sumedhanand Saraswati	780

- (iv) Regarding construction of an International Cricket Stadium in Bihar
Shri Rajiv Pratap Rudy 781
- (v) Need to increase the working days under MGNREGA from 100 to 200 days
Shri Brijendra Singh 782
- (vi) Regarding ban on conversion of agricultural land into commercial land
Shri Durga Das Uikey 783
- (vii) Regarding sanctioning of the B.R. Ambedkar English Medium Residential School Project in Dakshin Dinajpur
Dr. Sukanta Majumdar 784
- (viii) Regarding construction of a medical college from union budget in Aurangabad district of Bihar
Shri Sushil Kumar Singh 785
- (ix) Regarding grant of clearance for availability of forest land to Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) in Kolar for expanding its premises
Shri S. Muniswamy 786
- (x) Regarding operation of international flights from Prayagraj Airport
Shrimati Keshari Devi Patel 787
- (xi) Need to promote private solar plants in Bundelkhand region
Shri Anurag Sharma 788

- (xii) Regarding dredging work in Churni river
Shri Jagannath Sarkar 789
- (xiii) Regarding construction of Semi-High Speed Rail Corridor connecting Delhi-Sonipat and Panipat
Shri Ramesh Chander Kaushik 790
- (xiv) Regarding construction of a new building of ICAR-Central Institute for Research on Cattle in Hapur district, Uttar Pradesh
Shri Rajendra Agrawal 791
- (xv) Regarding budgetary sanction for construction of Rewa-Mirzapur via Hanumana Railway Line
Shri Janardan Mishra 792
- (xvi) Regarding implementation of the recommendations of Bezbaruah Committee and need for amendment of Section 153 (C) of IPC to recognize racial crimes
Shri Pradyut Bordoloi 793
- (xvii) Regarding critical concerns surrounding the Kochi Harbour Development Project
Shri Hibi Eden 794
- (xviii) Regarding measures to curb the increasing pollution level in Delhi-NCR
Shri Gaurav Gogoi 795
- (xix) Regarding expansion of medical facilities in ESIC Hospital in Tirunelveli Parliamentary Constituency
Shri S. Gnanathiraviam 796

(xx) Regarding construction of railway overbridge in
Bardhaman Purba Parliamentary Constituency
Shri Sunil Kumar Mondal 797

(xxi) Need to sanction funds for development of necessary
infrastructure across river Sarada in Anakapalle
Parliamentary Constituency
Dr. Beesetti Venkata Satyavathi 798

(xxii) Regarding introduction of new local train between
Lonavala-Pune-Lonavala
Shri Shrirang Appa Barne 799

(xxiii) Regarding creation of Legislative Council in Odisha
Shrimati Sarmistha Sethi 800

(xxiv) Regarding restoration of Old Pension Scheme
Shri Girish Chandra 801

(xxv) Regarding enhancement of honorarium of Sevikas
working in Aanganwadi Kendras
Choudhary Mehboob Ali Kaiser 802

(xxvi) Regarding improving service conditions of Aanganwadi,
ASHA and Auxiliary Nurse Midwife health workers
Shrimati Supriya Sadanand Sule 803

**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS—
FIRST BATCH, 2023-2024**

AND

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2020-2021 804-928

Shri Gaurav Gogoi 808-816

Dr. Nishikant Dubey 817-826

Shri D.M. Kathir Anand	827-835
Prof. Sougata Ray	836-842
Shri Shrirang Appa Barne	843-846
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	846-851
Shri Dinesh Chandra Yadav	852-856
Shri Pinaki Misra	857-863
Shri B.B. Patil	864-867
Shrimati Supriya Sadanand Sule	868-875
Dr. Mohammad Jawed	876-879
Shri Jayant Sinha	880-887
Shri Ritesh Pandey	888-892
Shri Jayadev Galla	893-897
Adv. A. M. Ariff	898-902
Shri Hasnain Masoodi	903-910
Dr. M. P. Abdussamad Samadani	911-914
Shri Rahul Ramesh Shewale	915-917
Shri K. Subbarayan	918-921
Shri Saumitra Khan	921-923
Shri Hanuman Beniwal	923-927
Shri Syed Imtiaz Jaleel	928

*** ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	846
Member-wise Index to Unstarred Questions	847-853

*** ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	854
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	855

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Shrirang Appa Barne

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, December 11, 2023/ Agrahayana 20, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल ।

प्रश्न संख्या 101.

श्री सुशील कुमार रिंगू – उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुश्री मिमी चक्रवर्ती जी।

(Q. 101)

SUSHRI MIMI CHAKRABORTY: Sir, I cannot see the hon. Minister here, but still I have a Question to ask. I will be talking here about some numbers and I would like the respected Minister to clarify me, if I am wrong.

Is it a fact that the retail inflation in the country measured by the Consumer Price Index (CPI) for 2019 was 3.73 per cent; for 2020, it was 6.62 per cent; for 2021, it was 5.13 per cent; for 2022, it was 6.70 per cent; and for 2023, it was 6.52 per cent; the average was 6.1 per cent from 2012 to 2023 with food inflation at 6.62 per cent, and an all-time highest projection of 9.09 per cent in November, 2023? I would like to ask the Government to reduce the inflation rate to less than four per cent for overall stability. Therefore, I would just like a clarification on this issue. Thank you, Sir.

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने यह विषय उठाया है कि मुद्रास्फीति में जून, 2023 में धीरे-धीरे गिरावट आई है। जहां वर्ष 2020-21 में मुद्रास्फीति दर 6.2 प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2021-22 में 5.5 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2022-23 में खाद्य पदार्थों की कीमतों में मौसमी वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति दर 6.7 प्रतिशत हो गई थी, लेकिन सरकार द्वारा किए गए उपायों, सब्जियों के मूल्य में सुधार और एलपीजी मूल्यों में हाल ही में की गई कमी के कारण वर्ष 2023-24

में मुद्रास्फीति पुनः 5.4 प्रतिशत हो गई है। अक्टूबर, 2023 की मुख्य मुद्रास्फीति जो कि 4 ± 2 प्रतिशत की पर्मीसेबल सीमा के भीतर थी, जो कि पिछले 43 महीनों में सबसे निचले स्तर पर थी।

श्री आर. के. सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी टीम और सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुना करने का उपाय किया है। उन्होंने एफपीओ गठित करके किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग देने का भी काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अभी तक लगभग 10,000 एफपीओज़ गठित हुए हैं। गांवों के जो नौजवान किसान हैं, हमारी खेती कभी उत्तम हुआ करती थी, 'उत्तम खेती, मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान' नामक एक कहावत है। आज हमारे किसान का बेटा अपने खेत-खलिहान में काम करने के लिए तैयार नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं से लाभ उठाकर, फिर से आज वह खेत-खलिहान में काम करने के लिए तैयार हो गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आपने अभी तक 10,000 एफपीओज़ गठित किए हैं। इन एफपीओज़ को न्याय पंचायतवार यानी हर न्याय पंचायत में किसानों के एफपीओज़ बनाकर, जो बेरोजगार नौजवान किसान बाहर पलायन करते हैं, उनका पलायन रोकने के लिए क्या इस तरह की न्याय पंचायतवार कार्य-योजना बनाने का कोई विचार है?

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : मैं भी वही समझ रहा था।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 102, श्री सुमेधानन्द सरस्वती ।

(Q. 102)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती : अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चालू वित्तीय वर्ष में पिछले तीन वर्षों में समायोजित निवल बैंक ऋण एएनबीसी का वर्षवार कृषि में क्या लक्ष्य रखा गया था तथा उसकी तुलना में कितने प्रतिशत ऋण छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए? यानी, लक्ष्य की तुलना में वास्तविकता में कितने प्रतिशत किसानों को ऋण दिया गया?

डॉ. भागवत कराड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा गृह को बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पर आई है। अगर इसमें कोई मेजर काम हुआ है तो एग्रीकल्चर सेक्टर और एमएसएमई में हुआ है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इस साल के बजट में टोटल 20 लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर फण्ड रखा गया था, जिसका अभी तक 72 परसेंट वितरण हो चुका है।

मैं इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि अगर तीन साल का हिसाब देखें तो वर्ष 2021-22 में 16 लाख 50 हजार करोड़ रुपये था और वर्ष 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपये था। अगर हम इसका एक्सपेंसेस देखें तो वर्ष 2020-21 में 105 परसेंट हो चुका है, वर्ष 2021-22 में 113 परसेंट हो चुका है और वर्ष 2022-23 में 116 परसेंट एक्सपेंसेस हो चुका है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम नंबर ऑफ अकाउंट्स देखें तो मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स को 75 परसेंट लोन मिलता है तथा पार्टिकुलर्ली, जो 56 परसेंट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को मिलता है। अगर नंबर ऑफ अकाउंट्स देखें तो 60 परसेंट इन्क्रीज हो चुके हैं। इसमें तीन बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है। इसमें कॉमर्शियल बैंक्स, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के माध्यम से लोन मिल सकता है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती : अध्यक्ष जी, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि तीन प्रतिशत की जो छूट केसीसी पर किसानों को दी जाती है, उसमें कई बार किसान अर्थाभाव के कारण उसकी पारिवारिक परिस्थिति या किसी कारण से समय पर केसीसी जमा नहीं करवा पाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने प्रतिशत ऐसे किसान होंगे, जो समय पर लोन जमा नहीं करा पाते हैं? मेरा एक सुझाव भी है

कि जैसे किसान कई बार ऋण ले लेता है और जमा नहीं करवा पाता है तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि वह केवल ब्याज जमा करा दे? उसको मूल धन प्राप्त करने में दिक्कत होती है, वह केवल ब्याज जमा करा दें और ब्याज जमा करने के बाद में वह केसीसी जमा करा दे।

डॉ. भागवत कराड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम किसानों के लिए है। यह स्कीम वर्ष 1998 में श्रद्धेय अटल जी ने चालू की थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस स्कीम के माध्यम से किसानों को जो मदद मिलती है, अगर इसका टोटल रेट ऑफ इंटररेस्ट देखें तो 8.5 परसेंट से ज्यादा नहीं रहता है। उसमें से 1.5 परसेंट गवर्नमेंट सब्सिडी के नाम से सभी किसानों को इंटररेस्ट सबवेंशन देती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उसके बाद जो 7 परसेंट रहता है, उसमें से अगर किसानों ने रेगुलर पेमेंट किया है तो उनको 3 परसेंट सबवेंशन मिल सकता है।

सर, अगर हम टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स देखें तो वर्ष 2022-23 में 7 करोड़ 35 लाख है। इसकी सब फिगर्स मेरे पास हैं। यह वर्ष 2021-22 में 7.14 करोड़ है। मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में एनीमल हसबैंड्री के लिए भी इसकी सुविधा हो चुकी है। इसके माध्यम से जिन किसानों के पास खेती नहीं है, उनको भी इसके माध्यम से लोन मिला है। अगर 1 लाख 60 हजार रुपये तक लोन लिया है तो कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ती है।

अभी तक बजट में आउटले 6865 करोड़ रुपये का है।

डॉ. सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का समय दिया।

महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली बार इस देश में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया कि हम देश के किसानों की आमदनी को डबल करेंगे। इससे पहले ऐसा स्टेटमेंट देने की, बयान देने की और ऐसा संकल्प लेने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद हमारे देश में जो नीति निर्णय हुए चाहे, एफपीओज के माध्यम से हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, पीएम फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि के

माध्यम से हो या कोलेट्रल फ्री लोन हो। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न किसानों की स्थिति को सुधारने के बारे में है कि भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से बिना किसी कोलेट्रल के 1.6 लाख रुपये तक छोटे किसानों को लोन मिल सकता है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि फील्ड में ऐसा बहुत कम होता है और किसानों को यह लोन नहीं दिया जाता है। दूसरा, अगर किसी किसान ने 50 हजार रुपये का लोन लिया है तो बैंक के लोग उसकी आरसी काट देते हैं, लेकिन अगर किसी बड़े बिजनेसमैन ने 100 करोड़ रुपये का लोन लिया है, तो उसका नाम तक भी किसी को पता नहीं चलता है। ऐसा अन्याय किसानों के साथ नहीं होना चाहिए। इस विषय में भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूँ? बिना किसी सिक्योरिटी के कोलेट्रल लोन कितने किसानों को बैंकों ने दिया है, यह जानने के बाद ही हमें पता चलेगा।

डॉ. भागवत कराड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन रेज किया है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कोलेट्रल फ्री लोन 1 लाख 60 हजार रुपये तक मिल सकता है, लेकिन उसके ऊपर के लोन के लिए कोलेट्रल देना पड़ता है। अभी तक 7.35 करोड़ ओपरेटिव अकाउंट्स हैं, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड के लोन दिए जा चुके हैं और अगर हम लोन डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो 8.86 लाख करोड़ रुपये के लोन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इसके माध्यम से हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स से 58 परसेंट कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से 22 परसेंट और आरआरबी के माध्यम से 20 परसेंट हो चुके हैं। इस तरह से हर बैंक रूरल रीजन में किसानों को लोन देता है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, डॉ. सत्यपाल जी ने जो प्रश्न किया था उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है? ... (व्यवधान)

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI: Sir, all agricultural schemes, programmes and even PM-KISAN scheme favour only the agriculture land owners and not tenant farmers. ... (*Interruptions*) It is a truth. ... (*Interruptions*) It is because the definition of 'farmer' is too narrow. ... (*Interruptions*) Sir,

because of the narrow definition of 'farmer', only 60 per cent to 65 per cent of PM-KISAN budget has been utilized even after eight months of this financial year.

Secondly, beneficiaries are only 8 crore farmers against the original estimation of 14.5 crore in 2019, as per the Government data. And majority of those left out are tenant farmers. It is clearly understood.

So, I would like to ask the hon. Minister whether Government will consider extending PM-KISAN benefit to tenant farmers by stretching the budget a little, if required, so that tenant farmers will get the benefit. Once tenant farmers will get the benefit from PM-KISAN, automatically bankers will also come forward to give the loans to the tenant farmers.

डॉ. भागवत कराड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के लोन के लिए जो अलग-अलग स्कीम्स हैं, उसमें एक किसान क्रेडिट कार्ड लोन भी है। अगर किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है या कोई इंस्ट्रूमेंट लेना है तो उसके लिए टर्म लोन मिल सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड में 1 लाख 60 हजार रुपये तक के लोन के लिए कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती है, उसके बाद अगर कोई भी लोन लेना होता है तो उसके लिए कोलेट्रल की जरूरत होती है। उसके माध्यम से किसानों को इसमें सबवेंशन ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, वह 1.5 परसेंट दिया जाता है और रिपेमेंट के बाद 3 परसेंट दिया जाता है, जिसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इसके अलावा और कोई स्कीम नहीं है, जिसके तहत किसानों को लोन मिल सकता है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, a very important question was asked by my predecessor about tenant farmers. The answer did not come. My question is relating to mechanisation of farming. Is the Government collating any formation regarding mechanisation of farming especially small farmers?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, hon. Member raised a question about essential agricultural practice, mechanisation, and so on which is not so much monitored by us in the Finance Ministry. It is a question which, I would think, pertains to agriculture.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 103, श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी ।

(Q. 103)

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हाल ही में वे झारखंड की धरती आबा भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली में जाने वाले पहले प्रधान मंत्री बने। उन्होंने झारखंड के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी, जिसमें आई.आई.एम. (रांची) का स्थायी परिसर, आई.आई.टी, आई.आई.एम. (धनबाद) का नया छात्रावास शामिल है और लगभग 7 हजार करोड़ की योजनाओं की भी स्वीकृति दी है।

इसके लिए मैं झारखंड की पूरी जनता के माध्यम से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लोक सभा क्षेत्र गिरिडीह काफी पिछड़ा हुआ है। वहां पर प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना के तहत मॉडल डिग्री कॉलेज या उच्च तकनीकी संस्थान खोलने पर विचार किया जाए और डुमरी, रामगढ़, पेटरवार, टुंडी, पीरटांड और गोला में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की योजना में गति लाई जाए।

डॉ. सुभाष सरकार: माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सदस्य ने झारखंड की शिक्षा के बारे में प्रश्न किया है, जो बहुत संवेदनशील है। इसके साथ-साथ हमारे आदिवासी बहुल राज्यों में पहली बार हमारे देश के प्रधान मंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली में गए और वहां से देश के लिए जो योजना लॉन्च की, उसके बारे में भी हमारे सदस्य ने यहां पर बताया है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की जो केन्द्रीय आयोजित योजना है, उसके तहत हम झारखंड के लिए पैसे देते हैं। उनका प्रश्न गिरिडीह के लिए है तो गिरिडीह में जो कॉलेज है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 1.20 करोड़ रुपये की ग्रांट भी दी है। अभी केन्द्रीय विद्यालय, गिरिडीह से एक प्रस्ताव आया है। केन्द्रीय विद्यालय तैयार करना, शिक्षा विभाग की एक सतत प्रक्रिया है।

इसमें प्रस्ताव आते हैं, उसके बाद उनका एग्जामिनेशन होता है। फंक्शनिंग एजेंसी उनका व्यू बताती है। इस तरह से यह प्रक्रिया चलती है।

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही कहूंगा कि गिरिडीह सबसे पिछड़ा हुआ लोक सभा क्षेत्र है और वहां शिक्षा के क्षेत्र में कमी है। इसलिए वहां के लिए प्रयास किया जाए, उसे प्राथमिकता दी जाए। झारखंड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के पंजीकरण की क्या स्थिति है, विशेषकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों की क्या स्थिति है?... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यहां पर स्टेट सब्जेक्ट पर चर्चा हो सकती है? ... (व्यवधान)

डॉ. सुभाष सरकार : माननीय अध्यक्ष जी, झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एनरॉलमेंट में काफी प्रगति हुई है। मुझे सदन के माध्यम से जनता को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 तक एनरॉलमेंट 53.8 प्रतिशत बढ़ गया है। यह जानकर देश के लोग और अधिक खुश होंगे कि फीमेल एनरॉलमेंट 59 प्रतिशत बढ़ गया है। एससी एनरॉलमेंट वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-2022 में 69.5 प्रतिशत बढ़ गया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एनरॉलमेंट राज्य का विषय है।

श्री कल्याण बनर्जी जी।

SHRI KALYAN BANERJEE: Hon. Speaker, Sir, during the last five or seven years, a Central Government University, Central Government College, or even Kendriya Vidyalaya, has not been opened in West Bengal.

My question is, whether the Central Government is having any plan to open any Central Government University, Central Government College, or Kendriya Vidyalaya in West Bengal especially in the districts of Bankura and Sreerampur Parliamentary Constituencies.

डॉ. सुभाष सरकार : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। बांकुड़ा पिछड़ा जिला है। यूनिवर्सिटी की ब्रांच, कैम्पस खोलने के लिए बहुत दिनों से जगह की मांग की गई है, लेकिन यह नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार अपनी इच्छा प्रकट करे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलना एक सतत प्रक्रिया है, तो राज्य सरकार से मांग आनी चाहिए, मॉडल डिग्री कॉलेज की मांग आनी चाहिए। जैसे USHA अब PM-USHA हो गई है। इसमें बंगाल सरकार ने कोई मेमोरैंडम ऑफ अंडर स्टैंडिंग, सही करने के लिए किसी अधिकारी को नहीं भेजा और कोई मंत्री भी नहीं आए। मुझे यह बताने में बहुत दुःख होता है।

डॉ. निशिकांत दुबे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां केन्द्र सरकार के इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। मंत्री महोदय का उत्तर है कि चार हजार करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, जिसके कारण आईएसएम, धनबाद और आईआईएम, रांची ठीक चल रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जिन 95 इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दी है, उनमें से 15 इंस्टीट्यूट्स मेरे ही लोक सभा क्षेत्र में हैं। हम उनमें पैसा दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के कारण कोई चालू नहीं है। जैसे प्रोफेशनल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए मेरे ही गोड्डा क्षेत्र में दिए गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग बन कर तैयार है, लेकिन पिछले दो सालों से उसमें पढ़ाई चालू नहीं हुई है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, देवघर की बिल्डिंग तीन सालों से तैयार है, लेकिन उसमें पढ़ाई चालू नहीं है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि यदि हम राज्य सरकार को बिल्डिंग दे देते हैं, लेकिन राज्य सरकार अपनी अक्रमण्यता के कारण उस इंस्टीट्यूशन को चालू नहीं कर पाती है, तो हमारे यहां हायर एजुकेशन में महिलाओं और पुरुषों में ग्रॉस एनरॉलमेंट रेश्यो में जो कमी है, उसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे?

डॉ. सुभाष सरकार : माननीय सदस्य ने जो यहां व्यक्त किया है, मैं आपको राज्य सरकार की स्थिति के बारे में बताता हूँ। अभी भी अनस्पेन्ड बैलेंस पड़े हैं। हम ने उनको 259.28 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन अभी तक 40.88 करोड़ रुपए अनस्पेन्ड हैं। ये जो काम नहीं करते हैं, वे हमारे ऑब्जर्वेशन में हैं। हम एनरॉलमेंट के बारे में भी काम कर रहे हैं।

श्री संजय सेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि झारखंड में केन्द्र सरकार द्वारा स्कूली क्षेत्र में क्या-क्या प्रमुख परियोजनाएं चलाई जा रही हैं तथा उनके लिए निर्गत धनराशि का विवरण प्रदान करें। मेरे लोक सभा क्षेत्र रांची में खेलारी, जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन का क्षेत्र है, क्या वहां केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कोई योजना है?

डॉ. सुभाष सरकार : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। झारखंड में स्कूली शिक्षा क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान, प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण तथा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि इस प्रकार है— हमने समग्र शिक्षा में 266.86 करोड़ रुपये दिये हैं, पीएम पोषण शक्ति निर्माण में 148.33 करोड़ रुपये दिये हैं। इसके साथ-साथ केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है। प्रपोजल आते हैं, प्रपोजल का एग्जामिनेशन होता है और स्पॉन्सरिंग एजेंसी का भी प्रस्ताव आता है। यह एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। इस पर हम काम करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 104, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल ।

(Q. 104)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे विस्तार से मिला है। भारत सरकार सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में काम कर रही है, उसमें मुझे बड़ी अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, हमारे शास्त्र व ग्रंथ जो भी हैं, सब दिशाओं में काम हो रहा है। मुझे उत्तर में बताया गया है कि स्वयंभू श्रुत संग्रह, अजीतमहामंत्र, वातुलशुद्धाख्य तंत्र, वैष्णव आगम यथा ईश्वरसंहिता, शाक्त आगम यथा मंथानभैरव तंत्र, सभी पर खंड प्रकाशित किए गए हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है कि बुंदेलखंड क्षेत्र भारत का मध्य क्षेत्र है। वहां पर संत शिरोमणि गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि है, जो महोबा नगर के समीप गोरखगिरि पर्वत पर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ-साथ नेपाल, तिब्बत एवं चीन में पड़े आगम, शास्त्रों और पांडुलिपियों के अनुवाद को संकलित करने के लिए क्या महोबा में विश्व स्तरीय आगम शास्त्र संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष जी, आज जो प्रश्न आया है, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगम का अर्थ यह होता है कि यह आता है कान में, फिर मुख से प्रसारित होता है, प्रचारित होता है, उसको हम आगम कहते हैं, कम डाउना आगम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के वाहक रहे हैं। जो प्रारंभ में ओरल ट्रेडिशन के रूप में प्रचलित रहे, फिर ये विभिन्न पांडुलिपियों में संग्रहित हुए। अब हम इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के तहत 'कलामूलशास्त्र' सीरीज के माध्यम से प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं। प्रधान मंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से पंच प्रण की जो बात की है, उसमें से एक प्रण यह है कि हम विरासत पर गर्व करें। वर्ष 2014 के बाद विरासत पर गर्व करने का भाव देश में बहुत तेजी से बढ़ा है। उसी प्रक्रिया में आज जो यह प्रश्न आया है, हम इस महान सदन में आगम की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि शैव आगम 28 हैं, शाक्त आगम 64 हैं और वैष्णव आगम 108 हैं।

महोबा में संस्कृति सम्मेलन के आयोजन का विषय माननीय सांसद ने पूरक प्रश्न के रूप में उठाया है। हम सकारात्मक रूप से कहते हैं कि इसे करने पर विचार कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछिये।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया। निश्चित रूप से सभी धर्मावलम्बियों को इस बात की प्रसन्नता और गर्व है कि हमारी सरकार देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के हिसाब से काम कर रही है। जब से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ है, उसके बाद से जितने भी शिव उपासक हैं, जो पहले जम्मू-कश्मीर जाने में संकोच करते थे, उनकी उम्मीद बढ़ी है।

श्रीनगर में शंकराचार्य जी का मन्दिर है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कश्मीर में शैव-दर्शन के प्रसार के लिए श्रीनगर में कोई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान का निर्माण किया जा सकता है?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि संस्कृति मंत्रालय में जो काम हो रहे हैं, जैसे आगमों में ज्ञान, क्रिया, योग और चर्या आदि कार्यों का वर्णन मिलता है। जैसा कि मैंने कहा ये आगम पहले कानों में आते हैं, जैसे टीचर ने किसी स्टूडेंट को कान में कहा, फिर यह मुख से प्रसारित हुआ, इसे आगम कहा जाता है। आईजीएनसीए का जम्मू में जो सेन्टर है, वह शैवागम से ही संबंधित है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, हम उस पर पहले से ही काम कर रहे हैं। धन्यवाद।

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM: Since this Government is taking pride in preserving our heritage, I would like to know, through you, from the Minister as to what they are doing to bring about the findings of the Keeladi excavation which is in Sivaganga district, Tamil Nadu. What was the time period of that civilisation? Does it predate Agama Shastra or was it in the same period of

Agama Shastra? What are the steps the Government is taking to preserve and propagate the findings of Keeladi excavation?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि आईजीएनसीए का जो मैनडेट है, to document, preserve, conserve and disseminate the Indian art and culture, इसका यह मैनडेट है। चूंकि इन्होंने एसआई से संबंधित प्रश्न किया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि यह प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं है।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आईजीएनसीए इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 105, श्री रमेश बिधूड़ी।

(Q.105)

श्री रमेश बिधूड़ी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा, उससे पहले मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जनजातीय मामलों को लेकर जिस प्रकार से देश के राष्ट्रपति को चुना गया है, उनको सम्मान दिया गया है और अब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाकर भी उस समाज को सम्मान देने का काम किया है। वे जनजातीय समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं वरना 52 साल पहले, वर्ष 1971 में नारा हुआ था- 'गरीबी हटाओ, देश बचाओ।' परंतु, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जनजातीय मंत्रालय उन लोगों की सुविधा के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था करेगी? चूंकि कुछ लोग समुदाय के रूप में इकट्ठे नहीं रहते हैं, वे अलग-अलग भी रहते हैं। जैसे उत्तराखण्ड में एक परिवार कहीं अन्य जगह पर है, तो उनके लिए वहीं पर बिजली और पानी की व्यवस्था है। क्या इस विषय पर सरकार उनकी चिन्ता कर रही है?

दूसरा, मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से ऐसे समाज के नौजवानों की उद्यमिता बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ रोजगार की व्यवस्था की है?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में विकास, खास करके नौजवानों के लिए सरकार की नई पहल से संबंधित प्रश्न किया है।

पहली बात तो मैं कहूँगी कि जो पीवीटीजी ग्रुप्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाभियान की शुरुआत हुई है। मैं सदन के माध्यम से, यह बात रखना चाहती हूँ कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पहली बार भगवान बिरसा मुण्डा की जन्मस्थली पर, उनके जन्मदिवस के अवसर पर वहाँ पर जाकर मत्था टेका और सिर्फ मत्था ही नहीं टेका, बल्कि उन्होंने एक विश्वास दिलाया है कि जनजातीय क्षेत्र का विकास और आगे बढ़ेगा। उसी दिन वहाँ पर 24 हजार करोड़ रुपए फाइनैशियल बजट की भी घोषणा की गई।

सिर्फ इसकी घोषणा नहीं हुई, बल्कि जिस तरह से कहा गया कि क्या बिजली सेक्टर के माध्यम से कुछ काम हो रहा है। इस संबंध में, मैं बताना चाहूँगी कि विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से 22 हजार विलेज और 200 जिलों में यह योजना चलेगी, चाहे वह आवास का मामला हो, कनेक्टिंग रोड का विषय हो, वॉटर सप्लाई हो, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हों, विशेषकर न्यू सोलर पावर स्कीम के माध्यम से भी मदद मिलेगी और उनको जोड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है।

दूसरा, मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों की शिक्षा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप या पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इसकी डिटेल्स सभा पटल पर रख दी गई हैं। हम जनजातीय विकास मिशन के माध्यम से ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंगथेन करेंगे। इसमें तीन कम्पोनेन्ट्स हैं, पहला, मार्केटिंग ऑफ माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस, दूसरा कम्पोनेन्ट वन धन केन्द्र का निर्माण करना और तीसरा कम्पोनेन्ट उसको मार्केटिंग देना है। इसके माध्यम से ट्राइफेड ने आज तक वन धन के माध्यम से 41 करोड़ रुपये का बिजनेस दिया है, जिसका लाभ हमारे जनजातीय क्षेत्र को हुआ है। 170 करोड़ रुपये से ज्यादा बिजनेस ट्राइबल आर्टिजन के माध्यम से हुआ है। धन्यवाद।

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो आदिवासी युवा हैं, उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, क्या शिक्षा के माध्यम से या उनको उस प्रकार की शिक्षा देकर उनकी सांस्कृतिक प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए कोई योजना है? क्या इन योजनाओं पर शिक्षा के फर्क को पाटने के लिए कोई नोडल एजेंसी, कोई जाँच करने की एजेंसी नियुक्त है और इस विषय में कितना पैसा खर्च किया गया है? मैं जानना चाहता हूँ कि वित्तीय आउटले क्या है?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : महोदय, जैसा कि पूछा गया कि हमारे जनजातीय क्षेत्र में क्या रिसर्च होती है, तो उसमें हमारा टीआरआई, सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए फंड्स दिए जाते हैं ताकि अलग-अलग जनजातीय क्षेत्रों में रिसर्च बढ़े, डॉक्यूमेंटेशन बढ़े और प्रोजेक्ट आता है तो उसमें हम मदद भी करते हैं। हमारी मिनिस्ट्री की एक

डिजिटल रिपोजिटरी भी है, जिसमें आज तक हमारे अलग-अलग कल्चर के, चाहे वे फोटोग्राफ्स हों, विडियोज हों, पब्लिकेशंस हों, उस माध्यम से इस रिपोजिटरी को आप विजिट भी कर सकते हैं। यह आनलाइन है, जिसके लिए हम फंड्स देते हैं और इसके अलावा कल्चर को बढ़ावा देने के लिए स्टेट्स में अलग-अलग फेस्टिवल्स भी आयोजित होते हैं, जैसे नागालैंड का हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल हो, तेलंगाना का मेडारम जतारा फेस्टिवल हो। ट्राइफेड के माध्यम से भी, जैसा मैंने पहले कहा कि आर्टिजन के माध्यम से बिजनेस भी दिया जाता है और आदि महोत्सव हो या आदि बाजार हो, आदि कलाकार हो, यह ट्राइफेड के माध्यम से भी आर्गनाइज होता है, जिससे युवाओं को फायदा होता है।

श्री सत्यदेव पचौरी : सबसे पहले तो मैं इस सदन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहली बार 15 नवम्बर को आदिवासियों और जनजातियों को न्याय और विकास दिलाने के लिए एक प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान योजना प्रारम्भ की है। मैं समझता हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना से 10वीं पंचवर्षीय योजना तक आदिवासियों के विकास के लिए योजनाएं लायी गईं, लेकिन उनका समग्र विकास नहीं हो सका, उनका समाधान नहीं हो सका। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 हजार करोड़ रुपये से टाइम बाउंड तीन वर्ष में उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, इसलिए उन्होंने यह योजना शुरू की है। देश में इस योजना का जनजातीय क्षेत्रों में बहुत स्वागत हुआ है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना आदिवासियों की शिक्षा, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्जापुर ऐसे जिले हैं, जो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं। क्या इन क्षेत्रों में भी ऐसे विद्यालय खोले गए हैं और खोले गए हैं तो ऐसे कितने विद्यालय खोले गए हैं?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : महोदय, जनजातीय क्षेत्रों में विकास हो, इसके लिए खासकर सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का निर्माण किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन पर आज तक ध्यान नहीं गया, लेकिन इस माध्यम से आज

क्वालिटी एजुकेशन पर सरकार द्वारा काम हो रहा है। माननीय सांसद जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी ये एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खुले हैं? बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश में लगभग 4 आवासीय मॉडल स्कूलों को मान्यता दी गई है? ये 4 आवासीय मॉडल स्कूलों सोनभद्र लखीमपुर खीरी, बहराईच और ललितपुर हैं। इनमें से लखीमपुर खीरी और बहराईच तो फंक्शनल हो गए हैं, बाकी दोनों का काम चल रहा है। उसके साथ ही हमारे 740 एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूलों बनाए जा रहे हैं, जिनमें लगभग साढ़े तीन लाख से भी ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे। इनमें 694 स्कूलों अभी फंक्शनल हुए हैं। धन्यवाद

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैडम, बंगाल के एक बड़े हिस्से में काफी आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं, जैसे बाकुरा, पुरुलिया, मिदनापुर आदि। मैं जानना चाहता हूँ कि बंगाल के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की संख्या क्या है? भविष्य में इन आदिवासी बच्चों को और अधिक शिक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोई पहल की जा रही है या नहीं? इसके साथ ही साथ एकलव्य मेडिकल स्कूल से पढ़ाई के बाद वे आगे जाकर क्या करते हैं, इस हेतु क्या कोई ट्रेकिंग सिस्टम आपके पास है, जिससे आकलन किया जा सके कि एकलव्य स्कूल के इतने बच्चे यहां तक पहुंचें?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आदरणीय सांसद महोदय ने जनजाति क्षेत्रों के युवाओं की शिक्षा के बारे में सवाल किया। जहां तक मैंने कहा कि 740 हमारे ईएमआरएस कॉलेज खुलने जा रहे हैं, जिसमें से मैंने अभी बताया है कि 694 अभी सैंक्शन हो गए हैं और 400 फंक्शनल हैं। मैं उन फिगर्स को करेक्ट करती हूँ, लेकिन जो आपने पश्चिम बंगाल के बारे में कहा, तो वह नंबर मैं आपको जरूर दे दूंगी। इसके अलावा आपने कहा कि क्या आप इसकी जांच भी करते हैं और देखते भी हैं कि यह व्यवस्था पहुंच रही है या नहीं? इस हेतु सरकार ने अलग-अलग डिजिटल टेक्नोलॉजीज के माध्यम से व्यवस्था की है कि स्कूलों का काम कहां तक चल रहा है, परफॉर्मेंस का इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड है। हमारे पोर्टल से हम उसे रिव्यू भी करते हैं, कुछ विजिट्स भी होती हैं। आपके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे यहां प्री

मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से हम फेलोशिप के लिए विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के माध्यम से फॉरेन तक भी पढ़ाई के लिए भेजने की व्यवस्था करते हैं। मुझे लगता है कि पढ़ाई के लिए सरकार आगे आकर मदद कर रही है और प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की डिटेल् भी सदन के पटल पर रखा है।

श्री रितेश पाण्डेय : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी से एकलव्य स्कूल, खासतौर पर जहां जनजातीय बच्चे पढ़ते हैं, उससे संबंधित एक साधारण-सा सवाल है कि फाइनेंशियल बजट के भाषण में भी यह कहा गया था कि 48 हजार टीचरों का रिक्रूटमेंट होगा। जो 740 एकलव्य स्कूल्स बनने हैं, जिनमें साढ़े तीन लाख बच्चे पढ़ाए जाएंगे। इन 48 हजार टीचरों की रिक्रूटमेंट की क्या प्रक्रिया चल रही है और कितने टीचर्स रिक्रूट हुए हैं, ताकि हमारे ट्राइबल बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): अध्यक्ष महोदय, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय लोगों के लिए शुरू की गई है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 38 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में स्वीकृति दी गई है। उसके अनुसार हमने सीबीएसई को आगामी नियुक्ति के लिए साढ़े 10 हजार टीचरों की वैकेंसी फिल-अप करने के लिए इमीडिएट सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्ति का निवेदन किया है और वह प्रक्रिया चल रही है। एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। इसके बाद फेज़वाइज हम जनवरी में नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर जिस तरह से स्कूल्स बनते जा रहे हैं, उस तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति होती जाएगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 106, श्री पी. पी. चौधरी।

(Q. 106)

श्री पी. पी. चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दस सालों में, चाहे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो चाहे अन-ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, रोजगार में बहुत बढ़ोतरी हुई है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना, जो 17 सितम्बर, 2023 को लॉन्च की गयी। उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट ऐसा है कि हमारे ऐसे 18 ट्रेड्स, जैसे सुतार हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, नाई इत्यादि हैं, जो अन-ऑर्गेनाइज्ड हैं, आज तक इन्हें कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था। देश के आज़ाद होने के बाद पहली बार, प्रधान मंत्री मोदी जी ने इन लोगों की तरफ भी देखा। इसके माध्यम से उन्होंने देश में एक अन-ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रोजगार देने का काम किया है, पहल की है।

महोदय, इसी क्रम में, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रोजगार देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो इस नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल का किन-किन पोर्टल्स का एकीकरण हुआ है? वर्ष 2015 के बाद नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि पाली लोक सभा क्षेत्र में हमारे मॉडल करियर सेन्टर्स कई सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं को लेकर पाली लोक सभा क्षेत्र में आप रोजगार मेले लगाएं, जिससे वहां के लोगों को नौकरियां मिल सकें।

श्री रामेश्वर तेली : महोदय, हमारे पी. पी. चौधरी जी एक बहुत ही अनुभवी सांसद हैं। उन्होंने राष्ट्रीय करियर सेवा के बारे में करीब छः प्रश्न किया था। हम लोगों ने उसका विस्तार से जवाब दिया है।

महोदय, जैसा कि उन्होंने कहा कि पी. एम. विश्वकर्मा योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है और भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत विश्वकर्मा पूजा के दिन ही की थी, हम चाहते हैं कि हमारे जो विश्वकर्मा हैं, वे इस सुविधा का लाभ लें। हम यही आशा करते हैं।

पी. पी. चौधरी जी ने पूछा है कि रोज़गार बढ़ाने के लिए हमने किन-किन पोर्टल्स के साथ इसका एकीकरण किया है।

माननीय अध्यक्ष : आप उनके पाली से संबंधित प्रश्न का जवाब दे दीजिए, बाकी प्रश्नों के तो जवाब आ गए हैं... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर तेली : महोदय, पाली ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के बारे में विस्तार से जवाब दे दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : वह मैंने पढ़ लिया। वह जवाब तो आपने लिखित में दिया है। उन्होंने पाली के बारे में क्रॉस-क्वैश्चन किया है।

श्री रामेश्वर तेली : महोदय, रोज़गार बढ़ाने के लिए एनसीएस पोर्टल पर हम क्या-क्या कदम उठा रहे हैं, किसके साथ एम.ओ.यू. किया है, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ।

महोदय, एनसीएस पोर्टल का ई-श्रम उद्यम और स्किल इंडिया पोर्टल के साथ एकीकरण पूरा हो गया है। साथ ही, एनसीएस का 28 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पोर्टल्स के साथ भी एकीकरण कर दिया गया है, जिसमें नौकरी चाहने वाले का विवरण इनके साथ साझा किया जाता है।

इसके अलावा, एनसीएस ने विभिन्न कंपनियों, जैसे टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट आदि के साथ भी एम.ओ.यू. किया है। इससे नौकरी चाहने वालों को बहुत फायदा होगा। साथ ही, एनसीएस ने ईपीएफओ, ईएसआईसी के साथ भी एकीकरण किया है, जिससे वहां पर पंजीकृत नियोक्ताओं के साथ डेटा साझा किया जाता है।

चौधरी जी ने पूछा है कि रोज़गार के क्षेत्र में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में वर्ष 2014 से लेकर अभी तक आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को रोज़गार प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया गया है। इसी क्रम में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट को लागू किया है। यह करियर से संबंधित

विभिन्न प्रकार की सेवाओं – जैसे नौकरी की खोज, करियर परामर्श, मार्गदर्शन और कौशल विकास आदि दे रहा है।

महोदय, रोजगार सेवा 1005 रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क के साथ लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है। एनसीएस प्रोजेक्ट के तहत 400 मॉडल करियर सेंटर्स को अनुमोदित किया जा चुका है। रोजगार कार्यालयों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पास होता है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री पी.पी. चौधरी जी

... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर तेली : मैं विस्तार से उनको बता रहा हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विस्तार से एक प्रश्न में इतना टाइम थोड़े ही लगाते हैं। जो पूछा है, उसका उत्तर होना चाहिए।

माननीय मंत्री जी, प्लीज आप बैठ जाइए।

श्री पी.पी. चौधरी।

... (व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी : सर, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मैंने जो प्रश्न पूछे हैं, उन्होंने बहुत ही विस्तार जवाब दे दिया है। उनके उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओके, नमस्कार।

श्री अनुराग शर्मा जी।

... (व्यवधान)

श्री अनुराग शर्मा : सर, माननीय मंत्री जी का विस्तार से जवाब मिला था, परंतु मेरे क्षेत्र में विशेष रूप से पहली बार बुंदेलखण्ड में ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने अच्छा जवाब दे दिया है। धन्यवाद, अब आगे बढ़िए।

... (व्यवधान)

श्री अनुराग शर्मा : सर, बस एक प्रश्न उसमें रह गया था। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बताइए न क्या है?

... (व्यवधान)

श्री अनुराग शर्मा : सर, हमारे वहां विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी ने तीन सौगात— झांसी-ललितपुर को डिफेंस कॉरिडोर, बल्क ड्रग पार्क और बुदेलखण्ड इंडस्ट्रियल अथॉरिटी दी हैं। मेरे क्षेत्र से पलायन बहुत होता है। उस पलायन को रोकने के लिए माननीय मंत्री जी जवाब दे दें कि अगर हमारे वहां से जो पलायन हो रहा है और ये विशेष तीन इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इसमें ट्रेनिंग और काउंसलिंग का प्रावधान किस-किस क्षेत्र में करवा रहे हैं? क्योंकि जब ये चालू हो जाएंगे, तब मेरे वहां पलायन रुकने की बहुत संभावनाएं हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस पोर्टल में दोनों हैं – जो लोग नौकरी चाहते हैं, वह भी हैं और इसमें इंडस्ट्री वाले भी हैं। दोनों का मिलान करने का लाभ इस पोर्टल पर है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बताएं।

... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर तेली : अध्यक्ष महोदय, पलायन करने वाले लोगों के लिए भी हम इस पोर्टल के द्वारा नौकरी खोज सकते हैं। साथ ही, एससी एवं एसटी के युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए भी एनसीएस सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर में एससी एवं एसटी युवाओं के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग, करियर काउंसलिंग आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। आज तक एससी एवं एसटी के लिए 24 सेंटर्स की स्थापना की गई है। इन सेंटरों के माध्यम से 5 सालों में 6,840 युवाओं को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी गई है। 2.5 लाख से ज्यादा नौकरी चाहने वालों को करियर काउंसलिंग दी गई है।

बुंदेलखण्ड में नौकरी के लिए राष्ट्रीय करियर सेंटर के माध्यम से झांसी में करियर सेंटर नहीं है, लेकिन झांसी यूनिवर्सिटी को करियर सेंटर के लिए चिन्हित किया गया है। इसी तरह से आवेदन किए जाते हैं और रोज़गार पाए जाते हैं।

SHRI B. MANICKAM TAGORE: Hon. Speaker, Sir, about nine years back, the hon. Prime Minister promised to create two crore jobs every year. What account is the Government of India going to give in this regard? I want to know whether the Government has created 20 crore jobs in the past 10 year.

The employment exchanges are used to register data of the job seekers. How much fund does the Union Government provide in terms of financial assistance for establishment of a Model Career Centre? The House would also like to know how much money has so far been spent on the Model Career Centres programme.

श्री रामेश्वर तेली : अध्यक्ष महोदय, मॉडल कैरियर सेंटर के लिए 60 लाख रुपये की राशि दी जाती है। अभी तक पूरे भारत में करीब 400 मॉडल कैरियर सेंटर्स स्थापित किए गए हैं।

श्री दुष्यंत सिंह : स्पीकर महोदय, आपने मुझे अलाऊ किया। इसलिए, मुझे मंत्री जी से एक क्वेश्चन पूछना है।

सर, मंत्री जी बड़े इलैबरेट तरीके से जवाब दिया है। इन्होंने बताया है कि मॉन्स्टर डॉट कॉम और प्रेशर वर्ल्ड से एमओयू पार्टनरशिप हो रहा है। मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बारां और झालावाड़ में जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज है, उनमें आपने किस टीम के साथ लिंक किया है और कितने लोगों को आपने नौकरी देने का काम किया है?

श्री रामेश्वर तेली : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हमारे 16 मॉडल कैरियर सेंटर हैं। जैसे हमने कहा कि एक मॉडल सेंटर के लिए 60 लाख रुपये दी जाती है। हमने 400 मॉडल कैरियर सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा था। हमारा यह लक्ष्य पूरा हो गया है। अगर हम बाद में कुछ और नये मॉडल कैरियर

सेंटर बनाने का प्रस्ताव लेंगे तो हमारे सांसद महोदय ने जिस क्षेत्र के मॉडल कैरियर सेंटर के बारे में कहा है, वहां अभी लिये नहीं गये हैं, हम वहाँ भी जरूर सेंटर लाएंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 107, श्री संजय सेठा।

(Q. 107)

श्री संजय सेठ : अध्यक्ष जी, जोहारा जनजातीय समाज को आजादी के बाद सबसे बड़ा सम्मान यदि किसी ने दिया तो नरेन्द्र मोदी जी ने दिया।

सर, आजादी के बाद लोग रोना रोते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। भगवान बिरसा मुंडा की जयन्ती 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस है। 140 करोड़ देशवासी एक साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। यह पहला मौका है, जब देश की आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री 15 नवंबर को उलिहातू गांव गए और वहां पुष्पांजली अर्पित की। उस स्थल पर लाखों लोग मौजूद थे। मैं जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कृतज्ञता प्रकट करता हूं। हमारे जनजातीय समाज के लोग स्किल्ड हों, वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ें और मुखर हों, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिला है। मैं माननीय अर्जुन मुंडा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत काबिले तारीफ काम किया है। हमारी चिंता का विषय है कि झारखंड में जनजातीय समाज का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। हमारी बेटियों को फंसा कर, फुसला कर धर्मांतरण किया जा रहा है। मेरा प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि क्या धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्य सरकार को कोई निर्देश दिये गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद संजय सेठ जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वास्तविक रूप से आजादी की लंबे कालखंड में, 75 वर्षों की आजादी का यात्रा पूरी हुई। यह अमृत काल है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, घड़ी की तरफ भी ध्यान रखिए।

श्री अर्जुन मुंडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने जिस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया है, वैसे तो यह विषय राज्य सरकार का है, राज्य सरकार को इन सारी बातों पर ध्यान रखना होता है कि राज्य में रहने वाले तमाम समुदाय और खासकर वह जनजातीय समुदायों के बारे में इस बात का ध्यान रखे कि उनके जीवन, मूल्य, भाषा और संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, वे अक्षुण्ण रहें।

12.00 hrs

लेकिन कई राज्यों में इन सारे मामलों में शिकायतें आती हैं कि इनका ध्यान नहीं रखा जाता है। मैंने जनजातीय शोध संस्थानों को और राज्य सरकारों को स्मरण दिलाते हुए कहा कि भाषा संस्कृति परम्परा की जो जीवन्त व्यवस्था है, उसको बनाये रखने के लिए संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए, ताकि जो मूल उद्देश्य है, वह पूरा हो। 1948 में जब जनजातीय समाज के बारे में पहली समिति कांस्टीच्युएंट असेम्बली के लिए बनी थी, उसमें इन सारी बातों का उल्लेख है। जिसको बाद के दिनों में 1962 में पुनः लोकुर कमेटी ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी अनुशंसा दी थी। भारत सरकार ऐसी सारी अनुशंसाओं के साथ राज्य सरकारों को लगातार स्मारित करती रही है।

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

(Starred Question Nos. 108 to 120

**Unstarred Question Nos. 1151 to 1236, 1238 to 1252,
1254, 1256 to 1268, 1270 to 1369 and 1371 to 1380)**

(Page No. 36 to 682)

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.01 hrs

RESIGNATION BY MEMBER

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि तेलंगाना राज्य के मल्काजगिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के निर्वाचित सदस्य माननीय श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ने लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने इनके त्यागपत्र को दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 से स्वीकार कर लिया है।

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Hon. Speaker, Sir, with your permission, on behalf of Shri Arjun Munda, I rise to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 338A (6) of the Constitution:-
 - (i) Thirteenth Annual Report of the National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi, for the year 2017-2018.
 - (ii) Action Taken Memorandum of the Thirteenth Report of the National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi, for the year 2017-2018.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10208/17/23]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Hon. Speaker, Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002:-

- (i) The Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General, other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.587(E) in Gazette of India dated 4th August, 2023.
- (ii) The Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General, other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Second Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.732(E) in Gazette of India dated 11th October, 2023.
- (iii) The Competition (Form of Publication of Guidelines) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.795(E) in Gazette of India dated 26th October, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10209/17/23]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2022-2023.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10210/17/23]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:-

- (i) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. IBBI/2023-2024/GN/REG102 in Gazette of India dated 20th July, 2023.
- (ii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. IBBI/2023-2024/GN/REG103 in Gazette of India dated 20th July, 2023.
- (iii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. IBBI/2023-2024/GN/REG104 in Gazette of India dated 18th September, 2023.
- (iv) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professionals Agencies) (Amendment) Regulations, 2023 published in

Notification No. IBBI/2023-2024/GN/REG105 in Gazette of India dated 18th September, 2023.

- (v) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. IBBI/2023-2024/GN/REG106 in Gazette of India dated 18th September, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10211/17/23]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10212/17/23]

- (2) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10213/17/23]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49ड. (5) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3358(अ) जो दिनांक 8 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रबंधन प्राधिकरण को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की उसमें उल्लिखित धाराओं एवं इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों और प्रकार्यों को उक्त अधिसूचना के कॉलम (3) में उल्लिखित प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रत्यायोजित किया जाना अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 10214/17/23]

- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जल शुद्धिकरण प्रणाली (उपयोग का विनियमन) नियम, 2023 जो दिनांक 10 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 833(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 8 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 826(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 10215/17/23]

- (3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 3840(अ) जो दिनांक 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का.आ. 3581(अ) जो दिनांक 10 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 6071(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का.आ. 4751(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, इसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर बने दमन और दीव तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन को अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 4798(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, इसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर बने आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन को अधिसूचित किया गया है।
- (4) उपर्युक्त (3) की मद सं. (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10216/17/23]

- (5) (एक) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10217/17/23]

(7) (एक) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10218/17/23]

(8) (एक) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10219/17/23]

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागवानी विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2019-2020 और 2020-21 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागवानी विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2019-2020 और 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10220/17/23]

(12) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49ज(4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3547(अ) जो दिनांक 8 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का अध्याय पांच ख के प्रयोजनार्थ इसमें उल्लिखित, प्रवेश और निकास वाले पत्तनों को अभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 10221/17/23]

(13) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49च(1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3548(अ) जो दिनांक 8 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इसमें उल्लिखित, संस्थानों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अध्याय पांच ख के प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक प्राधिकरण के रूप में अभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 10222/17/23]

- (14) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.4994(अ) जो दिनांक 21 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और उप-कार्यालयों में कार्यरत संयुक्त सचिव और वैज्ञानिकों (ग्रेड 'जी' से ग्रेड 'बी') को प्रवेश/निरीक्षण तथा नमूने के संग्रहण के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 10223/17/23]

- (15) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.4995(अ) जो दिनांक 21 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और उप-कार्यालयों में कार्यरत संयुक्त सचिव और वैज्ञानिकों (ग्रेड 'जी' से ग्रेड 'बी') को प्रवेश/निरीक्षण तथा नमूने के संग्रहण के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 10224/17/23]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10225/17/23]

- (2) (एक) अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10226/17/23]

- (3) धन शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) धन-शोधन का निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 4 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.652(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) धन-शोधन का निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) तीसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.745(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10227/17/23]

- (4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 4086(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की

अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) अधिसूचना संख्या 68/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जो दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का.आ. 4256(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) अधिसूचना संख्या 73/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जो दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का.आ. 4507(अ) जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) अधिसूचना संख्या 76/2023-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के

विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात) का.आ. 4631(अ) जो दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) का.आ. 4752(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) अधिसूचना संख्या 81/2023-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो दिनांक 2 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) का.आ. 4938(अ) जो दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) अधिसूचना संख्या 83/2023-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो दिनांक 15 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी

मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बारह) अधिसूचना संख्या 84/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जो दिनांक 16 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) का.आ. 5061(अ) जो दिनांक 28 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) का.आ. 5118(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.585(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (सोलह) सा.का.नि. 792(अ) जो दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 55(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 872(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 328(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10228/17/23]

(5) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3421(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 123 के उपबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 3422(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 137 से 162 के उपबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 3423(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एसएलपी(सी) सं. 32709-32710/2018 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुरूप पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 3424(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कतिपय माल के विनिर्माण में

शामिल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पांच) सा.का.नि. 574(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26.12.2022 की अधिसूचना संख्या 27/2022 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 575(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2 करोड़ रुपये तक के समग्र टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्ति को उक्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक विवरणी भरने से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 576(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 158क के अंतर्गत “लेखा संकलक” को प्रणाली के रूप में अधिसूचित करना है जिससे सामान्य पोर्टल पर सूचना को साझा किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 577(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 24(नौ) के अंतर्गत कतिपय दशाओं के अध्यक्षीन, ईसीओज के माध्यम से माल की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति हेतु अनिवार्य पंजीकरण की बाध्यता से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि.578(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन सभी वस्तुओं या सेवाओं को

अधिसूचित करना है, जिन्हें एकीकृत कर के भुगतान पर निर्यात किया जा सकता है और जिन पर ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा कर सकता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ.3420(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स बीएसएच हाऊसहोल्ड एप्लायंसेज मैनुफेक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस के संबंध में सामान्य निर्णायक प्राधिकारी नियुक्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.588(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा कंपोजिशन करदाताओं द्वारा उनके माध्यम से की जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.589(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा उनके माध्यम से माल की आपूर्ति के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.590(अ) में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चौदह) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 6 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.657(अ) में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) का.आ.4090(अ) जो दिनांक 18 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिनका आशय मेसर्स इंकुआट इंफ्रासोल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में सामान्य निर्णायक प्राधिकारी नियुक्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) का.आ.4219(अ) जो दिनांक 25 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा अधिसूचना संख्या 3424(अ) दिनांक 31 जुलाई, 2023 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सा.का.नि.704(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अक्टूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया, जिससे केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध लागू होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सा.का.नि.705(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15 की उप-धारा (5) के अंतर्गत ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदायन, ऑनलाइन मनी गेमिंग के अलावा अन्य ऑनलाइन गेमिंग प्रदायन और कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों के प्रदायन को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सा.का.नि.706(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 नवंबर, 2017 की अधिसूचना

संख्या सा.का.नि.1422(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.707(अ) में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.798(अ) में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ.4767(अ) जो दिनांक 2 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2023 तक दिए गए मांग आदेशों के विरुद्ध अपील दायर करने में विलंब की माफी के लिए एक विशेष प्रक्रिया अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का.आ.4073(अ) जो दिनांक 14 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 राज्य पीठों के गठन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.846(अ) जो दिनांक 17 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.903(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2023 जो दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.793(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10229/17/23]

(6) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति: -

(एक) सा.का.नि.708(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अक्टूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया, जिस दिन एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध लागू होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.709(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदायन को माल प्रदायन के रूप में अधिसूचित करना है, जिनके आयात पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 55 की उप-धारा (1) के अंतर्गत एकीकृत कर लगाया और एकत्र किया जाएगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.710(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केंद्रीय कर, बंगलुरु पश्चिम के प्रधान आयुक्त और उनके अधीनस्थ सभी अधिकारियों को ऑनलाइन मनी गेमिंग के विदेशी प्रदाता के लिए ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदायन के मामले में पंजीकरण देने के लिए अधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.797(अ) जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर रूट के अंतर्गत रिफंड के लिए पात्र पंजीकृत व्यक्ति की आपूर्ति और श्रेणी को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10230/17/23]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:-

(एक) सा.का.नि.836(अ) जो दिनांक 16 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.837(अ) जो दिनांक 16 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.871(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10231/17/23]

(8) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:-

- (एक) सा.का.नि.845(अ) जो दिनांक 17 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन गणराज्य से उत्पन्न या निर्यात किए गए "1.8 एमएम से 8 एमएम की मोटाई और 0.4 वर्ग मीटर या उससे कम व्यास वाले घरेलू उपकरणों के लिए प्रबलित काँच" के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.853(अ) जो दिनांक 21 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी प्रथम सनसेट समीक्षा अंतिम निष्कर्षों के अनुसार चीन गणराज्य से "सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड)" के आयात पर 5 साल के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि.860(अ) जो दिनांक 22 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मौजूदा शुल्क तालिका को संशोधित करने के लिए चीन गणराज्य से "कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक अभ्रक-आधारित मोती औद्योगिक रंगद्रव्य" के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10232/17/23]

- (9) अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 32 के अंतर्गत 5 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.655 (अ) में प्रकाशित अधिकरण (सेवा की शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2023 की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10233/17/23]

(10) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 24 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/139 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सुविधा और शिकायत निवारण तंत्र) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 17 अगस्त, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 22 अगस्त, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/148 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10234/17/23]

(11) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति: -

- (एक) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 1 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.579(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 9 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.595(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2023 जो 16 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 607(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) आयकर (17वां संशोधन) नियम, 2023 जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 604(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2023 जो 18 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 615(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2023 जो 28 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 630(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2023 जो 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 637(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2023 जो 25 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 685(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2023 जो 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 697(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दस) आयकर (23वां संशोधन) नियम, 2023 जो 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 702(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2023 जो 10 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2023 जो 16 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 740(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) आयकर (26वां संशोधन) नियम, 2023 जो 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 786(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10235/17/23]

- (12) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 11क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.4291(अ) जो 30 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10236/17/23]

- (13) केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.3252 (अ) जो दिनांक 20 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को, जिसका पंजीकृत कार्यालय एलायंस भवन, डोमेस्टिक टर्मिनल- I, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110037 में है, उक्त अधिनियम की धारा 5की उप-धारा (5) के

प्रयोजनार्थ "अभिहित भारतीय वाहक" के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10237/17/23]

- (15) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (कैवल्यधाम के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 27 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 699 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 3 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 716 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज, पुणे की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 29 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 867 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्का निर्माण (राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, पुणे की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 17 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 844 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) सिक्का निर्माण (संत मीरा बाई के 525वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 21 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 855 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10238/17/23]

(16) सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.620(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (दूसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.621(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 6 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.818(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) वरिष्ठ नागरिक बचत (चौथा संशोधन) योजना, 2023 जो 9 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 829(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पाँच) राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (चौथा संशोधन) योजना, 2023 जो 9 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.830(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छह) लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 जो 9 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.831(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[Placed in Library, See No. LT 10239/17/23]

(17) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या 329 /आईएफएससीए/बुलियन एमआईआईएस /2023-4 जो 27 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 9 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना सं.329 / आईएफएससीए / बुलियन एमआईआईएस/2023-24 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी042 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10240/17/23]

(18) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 24 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/140 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 22 अगस्त, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/147 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेश सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 को अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/154 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/156 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10241/17/23]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी):
अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्र संरक्षित संस्मारक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियाँ 2023 - पिक्चर गैलरी, हुसैनबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(दो) केंद्र संरक्षित संस्मारक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियाँ 2023 - जुमा मस्जिद, हरदोई रोड, हुसैनबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(तीन) केंद्र संरक्षित संस्मारक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियाँ 2023 - चतुर्दश देवता मंदिर, त्रिपुरा।

(चार) केंद्र संरक्षित संस्मारक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियाँ 2023- मच्छी भवन किला के पास कब्रिस्तान, लखनऊ।

[Placed in Library, See No. LT 10242/17/23]

- (2) (एक) अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10243/17/23]

- (4) (एक) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10244/17/23]

- (5) (एक) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10245/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10246/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10247/17/23]

- (2) (एक) *अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर* के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) *अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर* के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10248/17/23]

- (3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्री सिटी, चित्तूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्री सिटी, चित्तूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10249/17/23]

- (4) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10250/17/23]

- (5) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10251/17/23]

- (7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 जो 8 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 1-1/2023 (आईसी-एफएचईआई) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10252/17/23]

- (8) दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 32 की उप-धारा (5) के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां, 2023 जो 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.4-1/2023-सीयू.॥. में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10253/17/23]

- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एडसिल इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एडसिल इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10254/17/23]

- (10) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के अध्यादेश, जो 17 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 27021/2022-स्था./ के.सं.वि./ अध्यादेश में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10255/17/23]

- (11) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड तथा शिक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 तथा वर्ष 2024-2025 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10256/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Hon. Speaker, Sir, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the State Bank of India, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Bank of India, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10257/17/23]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Housing Bank, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Housing Bank, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10258/17/23]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10259/17/23]

- (4) A copy of the separate Audit Report (Hindi and English versions) of the Stressed Assets Stabilisation Fund, Mumbai for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 10260/17/23]

- (5) A copy of the 53rd Valuation Report (Hindi and English versions) of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year ended 31st March, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10261/17/23]

- (6) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the General Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2022-2023.
- (ii) Annual Report of the General Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10262/17/23]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2022-2023.
- (ii) Annual Report of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10263/17/23]

(c) (i) Review by the Government of the working of the Oriental Insurance Company Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Oriental Insurance Company Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10264/17/23]

(d) (i) Review by the Government of the working of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10265/17/23]

(e) (i) Review by the Government of the working of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10266/17/23]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 60 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981:-

- (i) The National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) General Regulations, 2008 published in Notification No. 45 in weekly Gazette of India dated 14th November, 2008.
- (ii) The National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. 43 in weekly Gazette of India dated 24th October, 2015.
- (iii) The National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General (Amendment) Regulations, 2018, published in Notification No. NB.Secy/C-4/2018-19. in Gazette of India dated 23rd May, 2018.

(8) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 10267/17/23]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 114A(3) of the Insurance Act, 1938 and Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999:-

- (i) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. IRDAI/Reg/5/193/2023. in Gazette of India dated 23rd August, 2023.
- (ii) Notification No. F. No. IRDAI/IAC/6/194/2023. published in Gazette of India dated 23rd August, 2023 notifying Reconstitution of Insurance Advisory Committee.

[Placed in Library, See No. LT 10268/17/23]

- (10) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the quarter ended 30.06.2023.
- (ii) Liquidator's Report on the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the quarter ended 30.06.2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10269/17/23]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI

to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the quarter ended 30.09.2023.

- (ii) Liquidator's Report on the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the quarter ended 30.09.2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10270/17/23]

- (11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:-

- (i) The Bank of Baroda (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HO:HRM:PEN:115:3263(E) in Gazette of India dated 7th November, 2023.
- (ii) The Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HO:HRM:TBD:2023-24:319 in Gazette of India dated 19th October, 2023.
- (iii) The Bank of Maharashtra (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. AX1/ST/Pension Reg./1524/2022-23 in Gazette of India dated 19th October, 2023.

- (iv) The Canara Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HRW IRS 228A PS 886 2023 in Gazette of India dated 9th August, 2023.
- (v) The Central Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. 395(E) in Gazette of India dated 11th October, 2023.
- (vi) The Indian Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. Pen/01/2023(E) in Gazette of India dated 11th October, 2023.
- (vii) The Indian Overseas Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HRMD/PEN/001/2023 in Gazette of India dated 8th November, 2023.
- (viii) The Punjab National Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HO:Pension/Misc/2023 (E) in Gazette of India dated 11th August, 2023.
- (ix) The Punjab and Sind Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. PSB/PEN/AMEND/1/2023 (E) in Gazette of India dated 4th August, 2023.

- (x) The UCO Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HOPSD/Pension/ 2023-24/67 in Gazette of India dated 31st August, 2023.
- (xi) The Union Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. UBI/HR/22300 (E) in Gazette of India dated 18th October, 2023.
- (xii) The Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HO:HR:IL:2023-2024:422 in Gazette of India dated 3rd November, 2023.
- (xiii) The Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. BCC:HRM:115:403 in Gazette of India dated 3rd August, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10271/17/23]

- (12) A copy of the National Bank for Financing Infrastructure and Development (terms and conditions of service of officers and employees') Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. 01/NaBFID/2023-24. in Gazette of

India dated 6th October, 2023 under Section 33 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 10272/17/23]

- (13) A copy of the Reserve Bank of India Pension (Amendment) Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. CO.HRMD No. S9781/21.01.000/2023-24 in Gazette of India dated 8th November, 2023 under Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

[Placed in Library, See No. LT 10273/17/23]

- (14) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) under sub-section (8) of Section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and 1980:-

- (i) Report on the working and activities of the Bank of Baroda for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (ii) Report on the working and activities of the Union Bank of India for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (iii) Report on the working and activities of the Bank of Maharashtra for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

- (iv) Report on the working and activities of the Canara Bank for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (v) Report on the working and activities of the Central Bank of India for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (vi) Report on the working and activities of the Indian Bank for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (vii) Report on the working and activities of the Indian Overseas Bank for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (viii) Report on the working and activities of the Punjab National Bank for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (ix) Report on the working and activities of the Punjab and Sind Bank for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (x) Report on the working and activities of the UCO Bank for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

- (xi) Report on the working and activities of the Union Bank of India for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (15) A copy each of the Review (Hindi and English versions) for the year 2022-2023 of the Banks mentioned at (14) above.

[Placed in Library, See No. LT 10274/17/23]

- (16) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2022 together with Auditor's Report thereon:-

- (i) Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Hanumakonda
- (ii) Andhra Pragathi Grameena Bank, Kadapa
- (iii) Arunachal Pradesh Rural Bank, Naharlagun
- (iv) Aryavart Bank, Lucknow
- (v) Assam Gramin Vikash Bank, Guwahati
- (vi) Bangiya Gramin Vikash Bank, Murshidabad
- (vii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Ajmer
- (viii) Baroda Gujarat Gramin Bank, Vadodara
- (ix) Baroda UP Bank, Gorakhpur
- (x) Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur
- (xi) Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, Raipur
- (xii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
- (xiii) Ellaquai Dehati Bank, Srinagar
- (xiv) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi

- (xv) J&K Grameen Bank, Jammu
- (xvi) Jharkhand Rajya Gramin Bank, Ranchi
- (xvii) Karnataka Gramin Bank, Ballari
- (xviii) Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad
- (xix) Kerala Gramin Bank, Mallappuram
- (xx) Madhya Pradesh Gramin Bank, Indore
- (xxi) Madhyanchal Gramin Bank, Sagar
- (xxii) Maharashtra Gramin Bank, Aurangabad
- (xxiii) Manipur Rural Bank, Imphal
- (xxiv) Meghalaya Rural Bank, Shillong
- (xxv) Mizoram Rural Bank, Aizawl
- (xxvi) Nagaland Rural Bank, Kohima
- (xxvii) Odisha Gramya Bank, Bhubaneswar
- (xxviii) Paschim Banga Gramin Bank, Howrah
- (xxix) Prathama U.P. Gramin Bank, Moradabad
- (xxx) Puduvai Bharthiar Grama Bank, Puducherry
- (xxxi) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
- (xxxii) Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Jodhpur
- (xxxiii) Saptagiri Grameena Bank, Chittoor
- (xxxiv) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
- (xxxv) Saurashtra Gramin Bank, Rajkot
- (xxxvi) Tamil Nadu Grama Bank, Salem
- (xxxvii) Telangana Grameena Bank, Hyderabad

(xxxviii) Utkal Grameen Bank, Balangir

(xxxix) Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

(xl) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarnagar

(xli) Uttarakhand Gramin Bank, Dehradun

(xlii) Vidharbha Konkan Gramin Bank, Nagpur

[Placed in Library, See No. LT 10275/17/23]

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10276/17/23]

12.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES

(i) 25th and 26th Reports

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): महोदय, मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) 'भू-जल: एक बहुमूल्य किंतु घटता संसाधन' विषय पर '22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।
- (2) 'देश में ग्लेशियर प्रबंधन - हिमालयी क्षेत्र में अचानक बाढ़ के कारण बनने वाले हिमनदी झीलों के विस्फोट सहित ग्लेशियरों/ग्लेशियल झीलों की निगरानी' विषय पर 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

(ii) Statement

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): महोदय, मैं जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

Statements

SUSHRI SUNITA DUGGAL (SIRSA): I beg to lay a copy each of the Statements (Hindi and English versions) showing further Action Taken by the Government on the following Reports of the Standing Committee on Communications and Information Technology (2023-24):

(1) Thirty-seventh Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twenty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Suspension of Telecom Services/Internet and its impact' relating to the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

(2) Thirty-eighth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twenty-seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Ethical Standards in Media Coverage' relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

(3) Thirty-ninth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirty-second Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23) relating to the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

(4) Fortieth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirty Third Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23)] relating to the Ministry of Communications (Department of Posts).

(5) Forty-first Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirty-fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23) relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

(6) Forty-second Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirty Fifth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23) relating to the Ministry of Electronics and Information Technology.

(7) Forty-ninth Action Taken Report by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Forty-third Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-2024)' relating to the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

(8) Fiftieth Action Taken Report by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Forty-sixth Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24)' relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

(9) Fifty-first Action Taken Report by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Forty-

fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24)' relating to Ministry of Communications (Department of Posts).

12.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS,
FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

33rd Report

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): I beg to present the Thirty Third Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution (2023-2024) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty Seventh Report on the subject – 'BIS-Hallmarking & Jewellery' pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

12.07 hrs

**STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE**

134th to 140th Reports

SHRI MALOOK NAGAR (BIJNOR): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English Versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice:

- (1) 134th Report on Action Taken on 103rd Report of the Committee on 'Functioning of the Virtual Courts/Court Proceedings through Video Conferencing' pertaining to Department of Justice;
- (2) 135th Report on Action Taken on 126th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) pertaining to Department of Personnel and Training;
- (3) 136th Report on Action Taken on 127th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) pertaining to Department of Administrative Reforms & Public Grievances; and Department of Pension and Pensioners' Welfare;
- (4) 137th Report on Action Taken on 128th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) pertaining to Department of Justice;
- (5) 138th Report on Action Taken on 129th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) pertaining to Department of Legal Affairs;

(6) 139th Report on Action Taken on 130th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) pertaining to Legislative Department; and

(7) 140th Report on 'Appointment of Notaries'.

12.08hrs

**STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED
QUESTION NO. 980 DATED 08.12.2023 REGARDING
DECLARATION OF HAMAS AS TERRORIST ORGANIZATION***

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY
AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN):** I beg to lay a Statement correcting
the reply given on 08.12.2023 to Unstarred Question No. 980 (Hindi and
English versions) by Shri Kumbakudi Sudhakaran, MP regarding 'Declaration
of Hamas as Terrorist Organization'.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10276 (A)/17/23.

717

STATEMENT LAID BY SHRI V. MURALEEDHARAN, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS CORRECTING THE NAME OF MINISTER FOR THE UNSTARRED QUESTION NO. 980 GIVEN IN LOK SABHA ON 8 DECEMBER 2023 REGARDING "DECLARATION OF HAMAS AS TERRORIST ORGANISATION" RAISED BY SHRI KUMBAKUDI SUDHAKARAN, MEMBER OF PARLIAMENT (LOK SABHA)

I rise to correct the name of the Minister in response to the Unstarred Question No. 980 given in Lok Sabha on 8 December 2023 regarding "Declaration of Hamas as Terrorist Organization" as follows:-

Part of the Question answered	For	Read
Answered by	Smt. Meenakshi Lekhi	Shri V. Muraleedharan

Thank you very much for consideration of our request.




११४

लोकसभा में 8 दिसंबर 2023 को संसद सदस्य (लोकसभा) श्री कुंबाकुडी सुधाकरन द्वारा "हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने" के संबंध में उठाए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 980 के उत्तर में मंत्री महोदय के सही नाम का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन द्वारा दिया गया दृश्य।

मैं "हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने" के संबंध में 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत अतारांकित प्रश्न संख्या 980 के उत्तर में मंत्री महोदय के सही नाम का उल्लेख कर रहा हूँ जोकि इस प्रकार है:-

जिस प्रश्न का उत्तर दिया गया	इसके स्थान पर	यह पढ़ा जाए
उत्तर देने वाले मंत्री महोदय का नाम	श्रीमती मीनाक्षी लेखी	श्री वी. मुरलीधरन

हमारे अनुरोध पर विचार करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।



719

CORRECTED VERSION

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO-980

DECLARATION OF HAMAS AS TERRORIST ORGANISATION

980. SHRI KUMBAKUDU SUDHAKARAN

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :-

(a) whether the Government has any proposal to declare Hamas as a terrorist organisation in India, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and


(b) whether the Government of Israel has raised any demand to the Government of India to declare Hamas as terrorist organisation, if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(SHRI V. MURALEEDHARAN)

(a & b) Designation of an organisation as terrorist is covered under the Unlawful Activities Prevention Act and declaring any organisation as terrorist is considered as per the provisions of the Act by the relevant government departments.



719 (A)

संशोधित संस्करण

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 980

हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना

980. श्री के. सुधाकरन:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का हमास को भारत में आतंकवादी संगठन घोषित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इजराइल सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए भारत सरकार से कोई मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करना गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आता है और किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने के विषय में संबंधित सरकारी विभागों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है।

742

Original
Reply

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO-980
ANSWERED ON- 08/12/2023

DECLARATION OF HAMAS AS TERRORIST ORGANISATION

980. SHRI KUMBAKUDI SUDHAKARAN

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :-

(a) whether the Government has any proposal to declare Hamas as a terrorist organisation in India, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and


(b) whether the Government of Israel has raised any demand to the Government of India to declare Hamas as terrorist organisation, if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(SMT. MFENAKSHI LEKHI)

(a & b) Designation of an organisation as terrorist is covered under the Unlawful Activities Prevention Act and declaring any organisation as terrorist is considered as per the provisions of the Act by the relevant government departments.



721

मूल अर

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 980
दिनांक 08.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना

980. श्री के. सुधाकरन:


क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का हमास को भारत में आतंकवादी संगठन घोषित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इजराइल सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए भारत सरकार से कोई मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्रीमती मीनाक्षी लेखी)

(क) और (ख) किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करना गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आता है और किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने के विषय में संबंधित सरकारी विभागों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है।



12.09 hrs**(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)**

माननीय सभापति : शून्य काल ।

श्रीमती सुप्रिया सुले जी ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): अध्यक्ष महोदय, मैं आज शून्यकाल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू सीनियर सिटीजन के बारे में बताना चाहती हूँ। इस देश में एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड की एक एनुअल रिपोर्ट आती है, जिससे पता चला है कि एम्पलाइज पेंशन स्कीम, 1995 है, बहुत सारे ज्येष्ठ नागरिक हैं। जब वे नौकरी में थे तब उन्होंने बड़े विश्वास से प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया था, लेकिन आज ईपीएस 95 के जो बेनिफिशियरी हैं, उसमें 1.8 मिलियन पेंशनर्स ऐसे हैं, जिनको एक हजार रुपये से कम हर महीने मिलता है। सबसे ज्यादा चार या पांच हजार रुपये से ज्यादा एक भी पेंशनर्स को पैसा नहीं मिलता। इस पूरे वर्क सेक्टर का जो फोर्स है, उसका अगर एक ऐवरेज निकले तो 1500 रुपये ही ईपीएस 95 से मिलता है।

आज इतनी महंगाई है कि अगर कोई दादा-दादी, नाना-नानी उनके छोटे पोते या पोती के लिए जन्म दिन पर कोई गिफ्ट भी देना चाहे, अगर उनको 1500 रुपये पूरे में महीने मिलता है, यह उनके हक की कमाई है। उन्होंने पूरी लाइफ बच्चों को बड़ा करने में लगाया, बच्चों की पढ़ाई और घर लेने में लगा दिया। अब रिटायर होकर वह अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं। महोदय, आप सोचिए कि 1500 रुपये में एक रिटायर्ड आदमी कैसे जी सकता है? आज हेमा जी सदन में नहीं है, वह खुद इन सब बातों को लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलने गई थीं और माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनको गारंटी दी थी कि वह कुछ करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है।

महोदय, मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ईपीएस-95 पेंशन स्कीम में लोगों की छोटी सी मांग है। यह उनके हक का पैसा है जो सरकार के पास पड़ा हुआ है। इनकी तीन मांगें हैं – प्वाइंट नंबर एक है कि पूरा कैलकुलेशन ढंग से किया जाए। दूसरा प्वाइंट है कि स्पाउस में बीवी या पति में से अगर कोई एक पहले चला जाए तो उनके हक का पैसा ठीक से मिलना चाहिए।

तीसरी बात कॉस्ट ऑफ इंडेक्स की है, ईपीएस-95 पेंशन स्कीम के तहत उनके हक का पैसा उनको ही मिलना चाहिए, इसे सरकार न रखे क्योंकि यह उनका ही पैसा है और सरकार ने इसे गलत तरीके से अपने पास रखा है।

महोदय, मैं हाथ जोड़कर सरकार से विनती करती हूं, आप गारंटी की सरकार बोलते हैं तो प्लीज़, सीनियर सिटिजन्स को, जो गारंटी एक स्कीम ने दी थी, उसे पूरा करें और जल्द से जल्द सीनियर सिटिजन्स को उनके हक का पेंशन का फंड दें।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the Committee Report is already there but the Government is doing nothing.

HON. CHAIRPERSON: Please sit.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप स्लिप भेज दें।

... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र अम्बेडकरनगर के अंतर्गत टांडा विधान सभा क्षेत्र बुनकर बाहुल्य इलाका है। यहां प्रति माह हजारों ट्रक कपड़े का उत्पादन होता है और हजारों टन यार्न भी आता है।

महोदय, अकबरपुर जंक्शन से टांडा तक एक रेलवे लाईन जाती है, जिस पर एनटीपीसी की कोयले की गाड़ी माल ढोने का काम करती है। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट में अम्बेडकरनगर को बुनकर के लिए चुना गया है। मेरी आपके माध्यम से अम्बेडकरनगर के बुनकरों के लिए प्रार्थना है, हर घर में एक से दो लूम चलते हैं, जब इस माल को बाहर भेजते हैं तो यातायात का भारी खर्च उठाना पड़ता है। यह माल अम्बेडकरनगर से मेन ट्रेन लाईन के मिलने से पूरे देश में जा सकता है। टांडा से सिर्फ मालगाड़ी ही जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस रेलवे लाईन पर एक पैसंजर ट्रेन चलाई जाए ताकि अम्बेडकरनगर के बुनकरों को सुविधा मिले और वे पूरे देश के बाजार से जुड़ सकें। उनका माल सस्ते तरीके से बाजार तक पहुंच सके। इससे वे प्रतिस्पर्द्धा कर सकेंगे।

महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस रेलवे लाईन को संचालित किया जाए और अम्बेडकरनगर के बुनकरों को राहत दिलाई जाए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय सभापति जी, मैं एक गंभीर मुद्दे की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यहां माननीय विदेश मंत्री जी भी बैठे हैं।

महोदय, अब कई सवाल देश की फॉरेन पॉलिसी को लेकर उठ रहे हैं। मान लीजिए मालदीव्स में चुनाव हुए। 'भारत को बाहर रखो, भारत को हटाओ' मुद्दे को लेकर चुनाव हुए और चुनाव में जिन्होंने नारा लगाया था, उनकी जीत हुई। मालदीव्स में इस तरह से हुआ है, हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह स्ट्रेटजिक आईलैण्ड है। मान लीजिए हमारे देश की गल्फ ऑफ एडन, होर्मुज, मलक्का स्ट्रेट, सारे सी-लेन ऑफ कॉम्युनिकेशन्स वहीं से गुजरते हैं। चीन धीरे-धीरे अपना कब्जा जमा रहा है। यह लक्षद्वीप के बारे में है।

महोदय, कतर में हमारे देश के आठ नेवी मैन फांसी की कतार में खड़े हैं। सरकार क्या कर रही है, हमें पता नहीं है? पीओके में क्या हो रहा है, चीन और पाकिस्तान मिलकर कोरिडोर बना रहे हैं। हम तो यहां कहते हैं कि पीओके छीनकर लाएंगे, लेकिन वहां 3,000 किलोमीटर तक पीओके का सीना चीरकर गुजर रहा है। हम देखते हैं कि हमारा रिश्ता कनाडा के साथ खराब हो रहा है। यूएसए की तरफ से एक बात आई थी, that the U. S. Justice Department announced in November that it had arrested a man who was allegedly working to assassinate someone. यह कहा गया है कि हमारे विदेश मंत्रालय से किसी को मेमो भेजा गया। इसके साथ-साथ इजरायल और हमास पर हमारा रवैया क्या है, वह भी हमें पता नहीं है। बड़ी अजीब स्थिति है कि हमें फॉरेन अफेयर्स के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। जयशंकर जी और लेखी जी से मैं चाहता हूँ कि एक बार खुलेआम फॉरेन पॉलिसी को लेकर सदन में चर्चा हो। मोदी जी की सेकेंड गवर्नमेंट के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं, इसलिए एक बार एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में सदन में विस्तार से चर्चा होनी जरूरी है।

माननीय सभापति : आप बीएसी के अंदर इस विषय को रख दीजिएगा।

प्रो. अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। I would like to raise the issue of need for more CGHS Wellness Centres.

Out of the 5 CGHS Wellness Centres in toto in Odisha State comprising of 30 revenue districts, three Wellness Centres are in the capital city of Bhubaneswar itself and one each in Cuttack and Berhampur which seriously fail to cater to the need of the CGHS beneficiaries of the State as a whole. Barring as many as eight districts mainly in the coastal belts, the Central Government employees and pensioners including the eligible beneficiaries of the Legislature, Judiciary and Press of the other 22 districts are deprived of getting proper CGHS facilities due to want of nearby Wellness Centres.

In this context, the Confederation of Central Government Employees and Workers Federations have already appealed the hon. Minister, Ministry of Health and Family Welfare and the Government of India and submitted a proposal for opening of more numbers of CGHS Wellness Centres/extension counters to provide comprehensive medical care to the Central Government employees and pensioners in particular and to meet the healthcare needs of eligible beneficiaries.

I would like to reiterate the request to bestow your kind attention on the issue to consider and plan to fulfil the need for opening of more numbers of Wellness Centres both within Bhubaneswar and in different parts of Odisha.

महोदय, इस सिलसिले में आपसे अनुमति लेकर मैं आधे मिनट के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पिछले हफ्ते संसद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2023 के डिस्कशन में भगवान के

आशीर्वाद से माननीय सदस्यगण तथा माननीय मंत्री जी ने भुवनेश्वर का उल्लेख किया तथा तारीफ की। अतः मैं श्री राजीव प्रताप रूडी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, श्री चंद्रशेखर साहू जी एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri N. Reddeppa Ji.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I request the Government to kindly introduce a comprehensive Bill to ensure cabin facilities for lactating mothers to breastfeed their infants in public places. Many mothers face challenges when it comes to finding suitable and private spaces to breastfeed in public. A Bill to ensure that breastfeeding cabins in public spaces including parks, airports, bus terminals, convention centres, auditoriums, shopping malls, and Government buildings, is the need of the hour to redress the grievance in this regard. Provision of such a facility shall promote a breastfeeding-friendly environment and support mothers in their choice to breastfeed infants. The proposed Bill may have guidelines for the design, location, and facilities of breastfeeding cabins, taking into consideration the comfort and privacy of lactating mothers and infants. Moreover, the Bill may have provisions to establish a regulatory authority to monitor the facilities at the aforementioned cabins.

HON. CHAIRPERSON: I called out the name of Mr. Reddeppa, but you took the chance. It is okay.

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): A grave threat looms over our agriculture and food security enhancing droughts. India's changing climate has led to a 57 per cent increase in drought-prone areas since 1997. Warnings from the Intergovernmental Panel on Climate Change indicate a rising drought crisis in South Asia, endangering food availability and causing undernourishment.

Flash droughts, caused by climate change, have further intensified the problem. Andhra Pradesh has already experienced deficit rainfall during the crucial southwest monsoon, risking major crop yields and food security in several districts.

Amidst this, the Central Government's recent reduction in financial support for drought mitigation raises concerns. Previously, both moderate and severe droughts qualified for assistance from the National Disaster Relief Fund. However, a 2016 revision now restricts aid to the States facing severe droughts. Furthermore, there is also a need for the Central Government to re-evaluate the existing criteria for the States to declare drought, making them more responsive to each State's unique challenges. These changes will ensure timely relief for farmers and vulnerable populations.

Therefore, I urge upon the Government to take immediate steps to aid the States facing drought or drought-like conditions. We must also work to advance our drought preparedness and management system as an integral component of our national disaster management strategy.

Thank you very much, Sir.

*** SHRI SURESH PUJARI (BARGARH):** The tragic incident of the collapse of Ash Pond 'C' of OPGC, Banharpali in my constituency on Saturday morning has renewed the shock and life threat in the people. The bridge of the Ash Pond collapsed under heavy pressure on Saturday causing the flow of ashes and contaminated water into nearly 120 acres of cultivable land with standing crops, the water sources, and finally into the Hirakud reservoir from where water is lifted to provide drinking water to Jharsuguda and Sambalpur and other districts, and endangered lives of people of village Shardhapali and Katatikra of Lakhanpur Block of Jharsuguda in particular and the people of the region in general. Upon my visit to the site, and affected villages and after holding talks with officials of the company, administration, and masses, my irresistible conclusions are: 1. The construction work of Ash Pond was of inferior quality and was awarded for lower than estimated cost given by Madras IIT; 2. The physical capacity of Ash Pond had exhausted but was still operational; 3. The scientific method of distribution of intake pressure on all sides of the ridges through rotational discharge of watery ashes into the pond was not followed, resulting in constant pressure on the front side ridge culminating in the flow of the most ash and water outside by breaking the ridge. The Ash Pond was constructed and operated in a negligent manner endangering the life and property inviting serious penal action against the erring officials and contraction. Adequate compensation to the affected farmers for standing crops and loss of fertility of their land is to be fairly assessed and

* English translation of the Speech originally delivered in Odia.

paid. Such incidents of the collapse of Ash Pond are happening again and again in Jharsuguda by M/S Vedanta, OPGC, and other power plants in the area. For this a judicial probe is necessary to take within its sweep the causes of the present and past collapse of Ash Pond and suggest measures to prevent its recurrence.

Therefore, I request both the hon. Minister of Power as well as the Forest and Environment and Jal Shakti to cause an inquiry by high-level technical experts to find out the causes, fix the responsibility, take stern action against the erring officials and construction company, and impress upon the State Government to take up the remedial measures to ensure that that such incidents do not happen in Jharsuguda district of Odisha.

Thank You.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदय, पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर अंतर्गत सहरसा एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहां से भारी संख्या में रेलयात्री देश के भिन्न-भिन्न कोने में यात्रा करते हैं। यहां रेलयात्री किराया एवं माल ढुलाई से प्रतिमाह 6-7 करोड़ रुपये की आय होती है, लेकिन इस क्षेत्र के रेलयात्रियों को उस तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसके वे हकदार हैं। यहां से पटना तक रात्रिकालीन गाड़ी की सुविधा भी नहीं है।

‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत सहरसा जंक्शन का चयन किया गया है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। वहां पटना-कोटा एक्सप्रेस तथा पटना-बेंगलुरु एक्सप्रेस के विस्तार की आवश्यकता है। पटना से सहरसा तथा जनहित एक्सप्रेस का विस्तार सहरसा से बनारस जंक्शन तक किया जाए। शहर की घनी आबादी गंगजला में अवस्थित रैक प्वाइंट को परमिनियां हॉल्ट तक स्थानांतरित किया जाए। पूर्व से बने सहरसा-सर्वाढ़ाला से झपड़ा टोला तक 0.75 किलोमीटर बाईपास लाइन को पुनर्जीवित किया जाए।

सहरसा जंक्शन पर तीन स्टे लाइन का निर्माण कराया जाए एवं निर्माणाधीन अतिरिक्त वाशिंग पिट का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए। सहरसा-पटना के बीच में रात्रि में गाड़ी चलाई जाए। लहेरिया से सहरसा तक 100 किलोमीटर रेल लाइन का डीटेल डीपीआर तैयार हो गया है। वह रेलवे बोर्ड भेज दिया गया है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि सहरसा की समस्या के समाधान के लिए इस रेल लाइन के निर्माण की भी स्वीकृति दी जाए, ताकि वहां के लोगों को सुविधा मिल सके।

श्री संजय सेठ (राँची) : सभापति महोदय, देश में एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है। वह ट्वीट है - नोटबंदी के बाद देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन बहुत व्यथित हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से कोई भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सकता है, तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। यह ट्वीट 12 अगस्त, 2022 का है। यह ट्वीट है, ... * अब कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि किसने यह भ्रष्टाचार, किसने यह काला धन...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, किसी का नाम मत लीजिए। नाम को रिकॉर्ड से हटा दीजिए।
... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। मैंने व्यवस्था दे दी है।
... (व्यवधान)

श्री संजय सेठ : महोदय, सुनो-सुनो, धैर्य रखो।...(व्यवधान) 500 करोड़ रुपये कहां से आए? इसका जवाब दो।...(व्यवधान) झारखंड खनिजों का भंडार है, लेकिन इन दिनों वह भ्रष्टाचार की खदान बन चुका है। इंडी गठबंधन, जवाब दो। ...* का मुंह क्यों बंद हो गया है? ...* का मुंह क्यों बंद हो गया है? कांग्रेस पार्टी के सांसद, ...*...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, किसी भी सदस्य का नाम मत लीजिए।
... (व्यवधान)

श्री संजय सेठ : महोदय, अभी तक गिनती जारी है।...(व्यवधान) अनुमान है कि 800 से 900 करोड़ रुपये बरामद होंगे।...(व्यवधान) 176 बैग्स में से 140 बैग्स की गिनती हुई है। अभी भी 36 बैग्स बाकी हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अखबार मत दिखाइए।
... (व्यवधान)

* Not recorded.

श्री संजय सेठ : महोदय, मैं शून्य काल में...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सब बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री संजय सेठ : महोदय, देश की सुरक्षा का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है...(व्यवधान)

मुझे बोलने का मौका दिया जाए।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। केवल संजय सेठ जी की ही बात रिकॉर्ड में जाएगी।

... (व्यवधान)... *

श्री संजय सेठ : महोदय, देश के गद्दारों का मुंह काला करना है। आप देखिए कि 500 करोड़ रुपये मिले हैं। अभी 176 बैग्स में से 140 बैग्स ही खुले हैं।...(व्यवधान) झारखंड में ईडी...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। समाचार पत्र मत दिखाइए। अखबार मत दिखाइए।

... (व्यवधान)

श्री संजय सेठ : सभापति जी, आप देखिए कि कैसे ईडी के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है।...(व्यवधान) ईडी के अधिकारियों को रेप केस में फंसाने की धमकी...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सब लोग बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री भागीरथ चौधरी जी।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के समय रेल मंत्रालय का जो विकास हुआ है, चाहे वंदे भारत ट्रेन्स हों, आज पूरे देश में उनकी प्रशंसा हो रही है।

राजस्थान प्रदेश से लाखों लोग गत 40-50 वर्षों से दक्षिणी भारत के पूणे, हुबली, बेंगलुरु, मैसूर, चैन्नई, इचलकरंजी, कोल्हापुर, केआर पुरम, यशवन्तपुर आदि औद्योगिक एवं व्यापारिक शहरों में निवासरत होकर अपने-अपने उद्योग-धन्धों एवं नौकरी पेशा क्षेत्र में रोजगाररत हैं। ... (व्यवधान) हालांकि, कहने को तो राजस्थान से उक्त शहरों के बीच रेलवे ने नौ जौड़ी ट्रेनों का संचालन कर रखा है, जिसमें 05 साप्ताहिक व 04 द्विसाप्ताहिक ट्रेनें हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात जारी रखिए, बाकी सब बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया सब लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी : सभापति महोदय, इन ट्रेनों का राजस्व भी अच्छा है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि पिछले 50 वर्षों में आज तक राजस्थान से दक्षिणी भारत की ओर एक भी नियमित ट्रेन का संचालन नहीं हुआ। उक्त संचालित सभी 9 ट्रेनों में काफी भीड़ होने से सीजन और ऑफ सीजन में भी आगामी चार माह तक का वेटिंग रिजर्वेशन मिलता है। उनके सब्र का बांध तो उस समय टूटता है, जब टिकट कन्फर्म नहीं होता है और उनके प्रदेश आने की सारी की सारी तैयारियां धरी रह जाती हैं।

मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी निवेदन है कि राजस्थान से लाखों लोग दक्षिण भारत में रहते हैं तो वहां नियमित ट्रेनों का ठहराव हो। आपसे निवेदन है कि अजमेर से संचालित होने वाली गाडी संख्या 16209/16210 अजमेर-मैसूर द्विसाप्ताहिक ट्रेन अथवा गाडी संख्या 16531/16532 अजमेर-बेंगलुरु साप्ताहिक ट्रेन के फेरे बढ़ाकर, अर्थात् किसी एक का संचालन सप्ताह के सातों दिन

कराने की एवं इस रूट पर नई ट्रेन के संचालन की सक्षम स्वीकृति अविलम्ब जारी कराएं, ताकि राजस्थानी प्रवासी बन्धुओं को रेल सुविधाओं का अधिकाधिक समग्र लाभ मिल सकें।

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि श्रद्धेय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के अन्तर्गत संडीला के साथ-साथ माधोगंज तथा बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र में चौबेपुर औद्योगिक क्षेत्र है, जहां लघु प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित हैं और अन्य लघु उद्योग विकसित हो रहे हैं। इन स्थलों पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार सुलभ हो सके।

अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि संडीला और चौबेपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी केन्द्रीय सहयोग से खाद्य प्रसंस्करित उद्योग स्थापित किए जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाए।

माननीय सभापति : संक्षेप में कहने के लिए आपका धन्यवाद।

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरे लोक सभा क्षेत्र गुना के शिवपुरी जिले देहरदा तिराहे से अशोकनगर जिले के बंगला चौराहे तक की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है और उक्त मार्ग को फोर लेन करने तथा जिला मुख्यालय अशोकनगर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की मांग जनता द्वारा कई वर्षों से की जा रही है। यह मार्ग फोरलेन होने से शिवपुरी और अशोकनगर के दो राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-3 आगरा-मुम्बई और एनएच-346 दिनारा से बंगला चौराहा होते हुए भोपाल मार्ग से जुड़ जाएंगे। इसके कारण ग्वालियर और दिल्ली से आने वाले वाहनों को भोपाल तक पहुंचने में कम समय लगेगा और ईंधन की भी बचत होगी।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला शिवपुरी में प्रसिद्ध माधव नेशनल पार्क, जिला अशोकनगर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल थूबोनजी, ईसागढ़ में आनंदपुर ट्रस्ट और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल करीला धाम है। जिला अशोकनगर में ए-क्लास की अनाज मंडी है, जहां पर शरबती गेहूं का काफी उत्पादन होता है और पूरे देश में इसका निर्यात होता है, जिससे व्यापारियों को दूरस्थ जिलों में आना-जाना पड़ता है। अशोकनगर जिले में जनजाति समुदाय के काफी संख्या में ग्राम हैं, जिनके विकास के लिए भी इसको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना अनिवार्य है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि 'प्रधान मंत्री गति शक्ति योजना' के तहत देहरदा तिराहा से बंगला चौराहा तक फोर लेन मार्ग का निर्माण किया जाए, जिससे जिला मुख्यालय अशोकनगर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

***SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG):** Hon. Chairman, Sir, I would like to raise one very important issue related to mango and cashew farmers of my constituency Ratnagiri-Sindhudurg in the Konkan region. This is a very serious issue and through you, I want to invite the Central Government's attention towards it.

Sir, my Konkan region has been witnessing different types of natural calamities for the last few years. Last year it was very critical and this year is also disappointing. Due to climate change and unseasonal rains, the world famous Devgad alphonso mango and the cashew crops have been adversely affected. The farmers are totally dependent on these cash crops and it is their only source of earning. The fruit growers spend lacs of rupees on the horticulture as well as for crop insurance and if they do not get any income throughout the year, they land in the trap of debts. Government should provide financial relief to these farmers. Sir, these mango growing farmers are on hunger strike and they are pursuing the State and Central Governments for fulfillment of their demands. They are constantly requesting the Central and State Governments to provide help and assistance, but nobody is listening to them. They are deprived of any help even after facing acute natural calamities.

Sir, the production of mango and cashew is decreasing every year and it was around only 15% last year. This year also, untimely and extreme rainfall badly affected the blossom of mango trees and hence the mango production is likely to touch a new low of only 12 per cent. Mr. Chairman, Sir, the insurance

* English translation of the Speech originally delivered in Marathi.

companies are not providing adequate insurance benefits even after paying insurance premiums. The mango growers are demanding a compensation of Rs.15000 per tree from the Government. The Chief Minister of Maharashtra had given positive reply to them but they have not received any compensation yet. Lastly, Sir, I would request the Union Government to provide Rs.15000 per tree to these needy and distressed farmers.

Thank you.

*** SHRI S. VENKATESAN (MADURAI):** Hon Chairman, Sir, Vanakkam. Heavy rains and subsequent floods which were unprecedented in last 47 years played havoc in Chennai, Tiruvallur, Kanchipuram and Chengalpattu districts of Tamil Nadu. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, in a letter written to the Union Government, has sought Rs.5060 crore as a special package and interim relief for saving the lives of the people of Tamil Nadu from this natural disaster. I urge that the Union Government immediately extend this financial help to Tamil Nadu.

Chennai is one among the important cities of India where unplanned expansion has taken place. Providing relief is the only way to bring back normalcy into the lives of people affected by this disaster. I urge that interim relief should be released immediately by the Union Government. Similarly, three industrial estates of Tamil Nadu have been worst affected by this recent disaster. Small, Micro and Medium Industries are the most affected sector. In India, Tamil Nadu is a progressive State paying a substantial amount as its share of GST revenues to the Union. I, therefore, urge in this august House that a Special Package should be provided to Small, Micro and Medium Enterprises of Tamil Nadu. Heavy rains occurred on 4.12.2023 and have affected four districts of Tamil Nadu including Chennai. But on 6.12.2023, UGC-NET Exams were conducted in Chennai by the Education department. I have a serious question to ask whether or not the Education Department is aware of what is happening in several parts of the country, particularly a

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

disaster of this magnitude in Chennai. Many students, particularly girl students were not able to attend this UGC-NET Exam held on 6.12.2023. I therefore urge that a new revised date should be fixed for conducting once again the UGC-NET Exams in Chennai, Chengalpattu, Kanchipuram and Tiruvallur districts of Tamil Nadu. I also urge that the Interim Relief be released immediately to Tamil Nadu.

Thank you.

श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ (साबरकांठा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी का एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 तथा 48 को वर्ष 2018 में मंजूरी मिली थी और उसी वर्ष से सड़क कार्य शुरू हो गया था। उस समय उदयपुर से अहमदाबाद तक का कॉन्ट्रैक्ट मंजूर हुआ था। बाद में उदयपुर से शामलाजी तक काम हो गया था। शामलाजी से चिलोड़ा तक सड़क का काम ठेकेदार को सौंपा गया था। लेकिन 6 सालों के बावजूद भी यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके साथ उदयपुर से शामलाजी रोड का कार्य पूरा हो गया था, लेकिन अहमदाबाद का कार्य चार सालों से अधूरा है।

मैंने उस विषय पर बार-बार बात भी की थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी उसके चार ओवरब्रिज बाकी हैं, साइड रोड बाकी है तथा रेलवे ओवरब्रिज भी बाकी हैं। इसके बावजूद भी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी आपके माध्यम से दरखास्त है कि ठेकेदार की शिकायत की जाए और उससे जल्दी से जल्दी यह काम पूरा करवाया जाए।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): *Dhanyavaad*, Chairman, Sir, for allowing me to raise a very important issue about irregularities and mismanagement of Machkund Power Generation Project.

Sir, this Project was established in Machkund in the District of Koraput, Odisha, which is in my parliamentary segment. It is a joint venture of Andhra Pradesh and Odisha with an agreement to use 70 per cent and 30 per cent power respectively. It was established around 50 years back and the understanding was that after 50 years, the power sharing would be 50 per cent each. But the Superintending Engineer of this particular project of the Andhra Pradesh Government is not listening to any of the demands of the Odisha Government. The power sharing is still 70 per cent and 30 per cent. They have been working without consulting the State Government.

Sir, in this respect, I would like to raise three points here before you. The first thing is that there was a medical centre at Onukudelli which was established under the Machkund Project but, unfortunately, this has been outsourced on a contractual basis to a private player where no proper care has been taken. This medical centre has now been defunct because of the mismanagement of this particular project authorities. The second thing is that there was a guest house in Jagadamba Junction, Visakhapatnam. It is a prime location. It was supposed to take care of employees and the people of the periphery areas who come for their medical needs to Visakhapatnam. But, unfortunately, this has been leased out by the Andhra Pradesh Government without any consultation with Odisha Government. The third and important

point is that Machkund is also a famous place for tourism where a number of foreigners and visitors come every day. There was a winch for providing an adventurous journey to the visitors of this plant. That has also been closed citing the reason that this has been damaged. There is no effort to repair this winch by the authorities.

Sir, through you, I would like to urge upon the Ministry to take urgent action so that this mismanagement will be taken care of and the sharing, which was 50 per cent for Andhra Pradesh and 50 per cent for Odisha, will be restored back.

Thank you so much, Sir.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

Through you, I wish to draw the kind attention of the Government towards the hardships faced by the people in my constituency as a result of wrong kind of construction on the NH. The work on the NH is progressing and we are all desirous to get it done at the earliest. In fact, the authorities are creating a lot of confusion with regard to the lack of crossing facilities on the NH. There must be proper crossing facilities on the NH. They gave us the assurance that within the distance of every two-and-a-half kilometres, an underpass will be constructed. But nothing has been done so far. The most affected areas are Randathani, Puthu Ponnai, Kozhichena, Kuttipuram and also the area between Kuttipuram bridge and Ayanakalam and its surroundings. It is a sorry state of affairs that the people cannot cross roads. Not only that, it is very difficult for the people to go to schools, hospitals, worship places and even to bring dead bodies to burial grounds. That is the situation there. We have represented to the authorities several times but there has been no development so far. As I told you in the beginning, though the authorities have assured that they will solve the problem, there has been no development so far and the problem has aggravated.

An emergent intervention of the Government is very much required in this regard. Even though we have done several meetings at the regional level, they have not taken any initiative. So, what I would humbly submit is this. Considering the hardships and difficulties faced by the people, the Government

should urgently come up to solve the issue and redress the grievances of the people. Thank you very much.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापति महोदय, देश को विकसित बनाने के लिए मोदी जी की गारंटी के साथ अनेक जन कल्याणकारी कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। वर्ष 2014 में सरकार के आने के पहले, पूरे देश में नारा लगता था कि अच्छे दिन आएंगे। उस समय मीडिया के बंधु पूछते थे कि अच्छे दिन कहां हैं? अब मीडिया के बंधु नहीं पूछते हैं कि अच्छे दिन कहां हैं।

आज मैं शून्य काल में आपके संरक्षण में यह बात सदन में रखना चाहता हूं कि सभी दिशाओं में काम हो रहा है। सभी प्रकार के लोगों और गरीबों के लिए देश में समर्पित सरकार है। सभी लोगों को सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, संपन्न व्यक्ति हो, जो सर्विस में हो, जो सर्विस में न हो या कृषक हो, सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ शत-प्रतिशत मिल रहा है।

सभापति महोदय, हमारे दिव्यांग बंधुओं को सरकार ने सम्मान दिया है, आदरणीय मोदी जी ने सम्मान दिया है। देश के सभी दिव्यांगजनों को जिस प्रकार से जैसे आज सभी लोगों को जम्मू-कश्मीर में सुविधा मिल रही है, वैसे ही शत-प्रतिशत हर आय वर्ग के दिव्यांग लोगो को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले। सभापति महोदय, इसी से जुड़ा हुआ मैटर है। हर गरीब वर्ग के लिए अमृतकाल में अमृत के समान यह संजीवनी साबित होगा।

सभापति महोदय, हमारे देश में एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं। लोग एक्सप्रेस-वे से पेशेंट्स को लेकर अपने प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी के लिए निकलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुन कर यहां आया हूं। मेरे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र, हमीरपुर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। बुंदेलखंड में कोई एम्स नहीं है। सभी लोग पेशेंट्स को लेकर दिल्ली आते हैं। एक्सप्रेस-वे से आने पर समय बचता है, लेकिन एक्सप्रेस-वे पर कहीं कोई दिक्कत न आ जाए,

इसलिए वे एक्सप्रेस-वे की बजाय झांसी, ग्वालियर और आगरा होकर दिल्ली आते हैं। अभी ऐसा अनेक लोग करते हैं। एक्सप्रेस-वे पर अगर कोई एमरजेंसी हो तो हमें कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि हर एक्सप्रेस-वे पर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हजारों-लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लोगों के यातायात को सुगम बना रही है, तो एम्बुलेंस से आने वाले मरीजों के लिए हर एक्सप्रेस-वे पर 200 किलोमीटर के बाद एक मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि किसी भी दुर्घटना से किसी भी मरीज को, किसी भी सुदूरवर्ती क्षेत्र के चाहे हमारे जनजाति बंधु हों या कोई हों, सभी को उसका लाभ मिल सके।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity. My submission is regarding opening of a Kendriya Vidyalaya in my constituency. I have made this request several times before the Government through my verbal submissions and letters.

Sir, Kendriya Vidyalayas are opened primarily to cater to the educational needs of the wards of transferable Central Government employees, including those from Defence and Paramilitary Forces, Central Autonomous Bodies, Central Public Sector Undertakings, and Central Institutes of Higher Learning, by providing a common programme of education throughout the country.

There are many Kendriya Vidyalayas in other constituencies of Kerala but in my constituency, Chalakudy, there is not even one. In my constituency, many employees are working in the railway sector, coastguards, and in the Air Force. We also have the CISF staff working in the Cochin International Airport and in other Central Government institutions. Hence, a Kendriya Vidyalaya is most needed in our constituency for the education of their children.

Therefore, I request the Central Government to kindly initiate a proposal to start a Kendriya Vidyalaya in my constituency, Chalakudy. Further, I would like to inform the Government that the required land is also available there.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am very happy to raise a very important issue. The hon. Finance Minister is sitting in the House.

The Sabarimala temple in Kerala, where Lord Ayyappa is worshipped, is a world-famous pilgrim destination. The Dharmasastha form of the lord is worshipped there. The unique way of worship and rituals mark Sabarimala different from other temples, as a very tough and rigorous 41 days of *vratha* that a pilgrim must undertake to proceed to the Sabarimala temple.

The temple is the spiritual home and abode for crores and crores of Ayyappa devotees and yet, the State and the Central Government are ignoring the temple and its increasing developmental needs and infrastructural requirements. The Sabarimala temple is located in the Pathanamthitta District and is surrounded by 18 hills of the Periyar Tiger Reserve, making it the most administratively complex and spiritually significant destination.

Despite realising the situation, both the Central and the State Governments are ignoring the development and logistical needs of the shrine complex where nothing less than a lakh of devotees visit every day, and annually the figure goes up to 10 to 15 million devotees.

Sir, through you, let me invite their attention to the immediate issue happening now at Sabarimala. Lakhs of devotees or Ayyappa *swamis* are made to wait in long queues for 4-5 hours from Pampa to Sannidhanam. Sometimes, they are made to wait up to 8-10 hours or 10-15 hours. Recently, in the last few days, it took 20-25 hours. So, nothing is being done to scientifically manage the crowd at all. This shocking attitude by the State

Government is a sure sign of carelessness and total lack of planning and demand forecasting to control the inflow and exit of devotees.

The fundamental reason for this current situation is the complete lack of development projects for Sabarimala. All the projects rest in paper alone. ... *(Interruptions)* Sir, I am concluding. This is a very important issue.

In this regard, I would also point out that there is a lack of attention to the Sabarimala masterplan wherein projects like Edathavalams announced by the Government are stuck as only 25-30 per cent of the work has progressed even after years.

The masterplan projects, including construction of Pampa rescue bridge which is very important, development of core area, vehicle parking area at Nilackal and laying of a drinking water pipeline from Kunnar dam, are nowhere completed, let alone be conceptualized.

Let me also state that the physical progress of various projects in the masterplan is not at all being rapidly executed.

It is this total lack of commitment and dedication towards completing the masterplan and pilgrim management system that defeats the idea of a relaxed pilgrimage for devotees who come from all States, including Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka and other parts of India, and also from other parts of the world.

In the present scenario, I would also invite their attention, through you, Sir, to the fact that an 11-year old girl died as she was unable to withstand the huge crowd and a lengthy queue. I must warn the Government that anytime a

disastrous stampede could happen and there is hardly any police force or adequate health services present to manage the huge crowd.

Sir, I would ask the Government to further take steps in deploying the ITBP battalion that is stationed in nearby Nooranad camp in Alleppey district for the security of the devotees.

In conclusion, I would urge the Government to immediately consult with the State Government to assess the situation and offer all support for managing the situation. I would also request the Government to fast-track all the development projects, sanction permissions and allocate forest land so that better facilities are provided to the pilgrims for making their journey more comfortable. Thank you, Sir.

श्री मलूक नागर (बिजनौर) : माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी प्रार्थना है कि आपने जितना टाइम श्री सुरेश जी को दिया, मुझे भी उतना ही टाइम दिया जाए।

माननीय सभापति : आप अपने विषय के बारे में बोलिए।

श्री मलूक नागर : सर, मैं अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहा हूँ। तीन दिन पहले मैंने गन्ने का रेट बढ़ाने और बकाया राशि दिलाए जाने के बारे में कहा था। इसलिए मुझे सब्जेक्ट चेंज करने की इजाजत दी जाए।

सर, पूरे उत्तर प्रदेश और खासकरके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान एक समस्या से बहुत परेशान हैं। हम भी गऊ माता का बहुत सम्मान करते हैं। अगर दुनिया में कोई भी गाय माता का सम्मान करता है, तो मैं उसका सबसे ज्यादा सम्मान करता हूँ। मैं सरकार की भी सराहना करता हूँ कि गौ माता के लिए जितना बढ़ावा दिया जा रहा है, यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं उत्तर प्रदेश के और देश की सरकार की सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। उसमें एक दिक्कत आ रही है, जो गाएं बूढ़ी हो जाती हैं, जो दूध नहीं देती हैं, जो गाएं किसान के काम की नहीं रह जाती हैं, ऐसी गाएं बाहर घूमती रहती हैं। उनके लिए हर जिले में जो जगह बनाई गई है, वहाँ उनकी पूरी तरह देखरेख नहीं हो रही है। उनको जिस बाउंड्री में रखा जा रहा है, वहाँ पर उनका इलाज कराया जाए, उनकी देखरेख की जाए और वे बगैर देखरेख की न घूमें। इसमें एक और समस्या आ रही है, चाहे उनको बछड़ा कहें, बैल कहें, बिजार कहें या साँड कहें, जो खुले में घूम रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की जाए। जब ये 50-50 के समूह में घूमते हैं, तो ये जिधर भी रात को निकलते हैं, उधर किसानों की पूरी फसल को चट कर जाते हैं। इससे किसान बहुत परेशान हैं, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि प्रदेश की सरकार उनके लिए व्यवस्था करे, उनका भी ध्यान रखा जाए ताकि किसानों की फसलों का नुकसान न हो।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इन्दौर का एक विषय उठाना चाहता हूँ।

इन्दौर सिर्फ स्वच्छता में ही नम्बर वन नहीं है, बल्कि इन्दौर स्मार्ट सिटीज में भी नम्बर वन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी नम्बर वन है, आयुष्मान भारत में भी नम्बर वन है, मातृत्व वंदन योजना में भी इन्दौर नम्बर वन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इन्दौर उम्मीदों का शहर बन गया है। इन्दौर की ग्रोथ रेट देश के अन्य शहरों से बहुत आगे है। मैं इन्दौर के एक ऐसे विषय को आपके सामने लाना चाहता हूँ कि अब इन्दौर के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि आने वाले 50 वर्षों में इन्दौर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और इन्दौर एयरपोर्ट को इंटरनैशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिलाने के लिए कार्रवाई करें।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं जो इश्यू उठाना चाहता हूँ वह सारे देश का है और मेरे नेटिव स्टेट पंजाब का भी है। वैसे तो सभी खबरों में, सभी चैनलों में सुनने में आ रहा है कि अभी जो एफबीआई डायरेक्टर हैं, वे इसी हफ्ते में हमारा देश विजिट करने वाले हैं। अगर मैं कहूँ कि बहुत कंवेंशंस हैं, चाहे वे डिप्लोमैटिक रिलेशंस की हों, चाहे बायलैट्रल रिलेशंस की हों, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम वैल्यू करते हैं, लेकिन अगर वन वे ट्रैफिक होगा, तो यह कैसे चलेगा। इसलिए मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, I failed to understand, कि हम लगातार 26 बार जोकर पन्नु के बारे में लिखकर अमेरिका को लिखकर दे चुके हैं।

13.00 hrs

महोदय, वे कहते हैं कि परफेक्ट प्रूफ चाहिए, अब्सोल्यूट प्रूफ चाहिए। हमें तो समझ नहीं है कि वह कौन सा प्रूफ है?

महोदय, दूसरा, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, फादर लाइक सन, इसी तरीके से वर्ष 1982 में, जब सरकार ने लिखा था, उस टाइम मास मर्डर, सबसे बड़ा मास मर्डर अगर कहीं कनाडा में हुआ है तो वह कनिष्क एयरलाइन वाला हुआ था, जिसमें 300 से ऊपर लोग मारे गए थे। उस टाइम भी बार-बार हमारे देश ने बोला और कनेडियन पुलिस ने उसे इग्नोर किया। हमारे बार-बार कहने पर भी उसने बिल्कुल इग्नोर किया। जो उनकी पुलिस है। मैं अभी यहाँ पर पढ़ रहा था।

माननीय सभापति : आप संक्षेप में अपनी बात कहिए। बिट्टू जी, संक्षेप में बोलिए।

श्री रवनीत सिंह : सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आरसीएमपी, जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, उसने हमारी बात पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया और वह सबसे बड़ा मास मर्डर हुआ।

दूसरा, अब जो हो रहा है, आप इस पार्लियामेंट में बैठे हैं, वह एक जोकर पन्नु हमारी पार्लियामेंट को उड़ाने की बात करे। वह कह रहा है कि 13 तारीख को हम पार्लियामेंट उड़ाएंगे और

जो भी एयर इंडिया एयरलाइन्स में चढ़ेगा, वह जिम्मेदारी उसकी होगी। अब वह एयरलाइन हम उड़ा देंगे।

सर, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ। मैं ठीक कहता हूँ, किसी के देश में किसी को मारने की कोई इक्वायरी चल रही है, न कोई मार रहा है, न हमारा कोई हक है, न हमारा ऐसा देश है, लेकिन अगर वह यहाँ पर नहीं लाया जाता, स्पेशियली जो दो देश हैं, कनाडा और अमेरिका जो कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को, जिनको पता ही नहीं है, उनको 100 डॉलर देकर उनसे दीवारों पर खालिस्तान लिखवाते हैं और बाद में एनआईए उनको पकड़कर ले जाती है। एमईए, जो हमारा विदेश मंत्रालय है।... (व्यवधान)

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Sanjay Seth	Shri Jamyang Tsering Namgyal Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Suresh Pujari	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Bhagirath Choudhary	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Girish Chandra Shri Gopal Shetty
Shri Ashok Kumar Rawat	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar

Shri Krishnapalsingh Yadav	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Malook Nagar
Shrimati Supriya Sadanand Sule	Shri B. Manickam Tagore Shri N.K. Premachandran Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri N. Reddeppa	Shri Malook Nagar Shri Girish Chandra
Shri Ritesh Pandey	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Prof. Achyutananda Samanta	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri Dinesh Chandra Yadav	Shri Malook Nagar
Kunwar Pushpendra Singh Chandel	Shri Parvesh Sahib Singh Verma
Shri Vinayak Bhaurao Raut	Shri Ranjeetsingh Naik Nimbalkar Shri Malook Nagar Shri Girish Chandra
Shri S. Venkatesan	Shri B. Manickam Tagore
Shri Dipsinh Shankarsinh Rathod	Shri Malook Nagar Shri Girish Chandra
Shri Malook Nagar	Shri Girish Chandra Shri Ajay Nishad
Shri Ravneet Singh	Shri Ajay Nishad

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.02 hrs

*The Lok Sabha re-assembled at Two Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

**(i) Regarding grant of a special package for promotion of
tourism in Chitrakootdham**

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): उ०प्र० के चित्रकूट धाम के अंतर्गत जनपद चित्रकूट एवं बांदा आते हैं, जो पर्यटन का क्षेत्र है, जहां श्रीराम 12 वर्षों तक वनवास व्यतीत किए हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में देश- विदेश से पर्यटक आते हैं, यहाँ की संस्कृति एवं देव स्थलों का अवलोकन करते हैं, जनपद चित्रकूट में भगवान कामतानाथ स्वामी का दिव्य मंदिर है, जहां पर्यटक पर्वत की परिक्रमा करते हैं, यहाँ प्राचीन सोमनाथ जी का मंदिर है, पर्वत श्रृंखला में स्थित हनुमान धारा है, लक्ष्मण पहाड़ी है, गुप्त गोदावरी है, माड़फा का शिव मंदिर है, शबरी जल प्रपात, धारकुंडी आश्रम, गणेश बाग का किला, जनपद बांदा में दुर्ग कालिंजर है, गिरवा में विद्यवासिनी देवी जी का मंदिर है, पहाड़ीया दाई का मंदिर, बहुत सारे देव स्थान हैं, परंतु इस क्षेत्र को पर्यटन के मानचित्र में नहीं रखा गया है, तथा सड़क, बिजली, पानी आदि मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, पूरा क्षेत्र उ०प्र० व म०प्र० की सीमाओं से लगा हुआ है। अतः सरकार से मांग करता हूँ, की उ०प्र० व म०प्र० के सीमा पर स्थित चित्रकूटधाम को पर्यटन की दृष्टि से देश के मानचित्र में शामिल कर विशेष पैकेज प्रदान करने का कष्ट करें।

* Treated as laid on the Table.

(ii) Regarding rejuvenation of various canals and ponds in the country

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): देश में अनेक ऐसे तालाब हैं जो 50 से 100 वर्ष तक पुराने हैं। वर्षों पुराने तालाब एवं इनकी नहरें अत्यंत जर्जर एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई हैं। नहरों के जीर्ण शीर्ण एवं जर्जर होने के कारण ज्यादातर पानी रिस कर बर्बाद होता है। किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पाता है और फसलें नष्ट होती हैं। किसानों को नुकसान होता है। मेरे संसदीय क्षेत्र बालाघाट में वर्षों पुराने अनेक जलाशय हैं। जिनमें सिवनी जिले के संजय सरोवर, अरी, बोरी, सागर, चीचबंद एवं बालाघाट जिले के राजीव सागर, पचामा, नहलेसर्रा सहित और भी अन्य जलाशय हैं जो 50 वर्ष से 100 वर्ष के हैं इन जलाशयों की नहरें बहुत ही खराब और जर्जर हो चुकी हैं। किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है ज्यादातर पानी बर्बाद हो जाता है। सिंचाई के पानी के अभाव में किसान की फसल नष्ट हो जाती है। यदि इन लघु, मध्यम, बड़े जलाशय की नहरों का सीमेंटीकरण करा दिया जाता है जलाशयों के संपूर्ण जल का उपयोग होगा तथा नहरों से पानी रिसकर बर्बाद नहीं होगा। सरकार से आग्रह है कि इन वर्षों पुराने जलाशयों के जीर्णोद्धार सहित इनकी नहरों का सीमेंटीकरण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

**(iii) Regarding sanctioning stoppage of trains at various stations in Sikar
Parliamentary Constituency**

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): मेरे लोकसभा क्षेत्र सीकर में खाटूश्याम जी, जीणमाताजी, हर्ष भैरव मंदिर, सालासर बालाजी, लोहाग्रल धाम, साकंभरी माता सहित अनेक धार्मिक स्थल स्थित है। यहां लाखों श्रद्धालु रोज आते जाते हैं। लेकिन यहां के आसपास के कुछ स्टेशनों जैसे पलसाना, रेनवाल, लक्ष्मणगढ़, चौमू और नीमकाथाना में विभिन्न ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि क्षेत्रवासियों एवम् श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए ट्रेन संख्या 14701/14702 श्री गंगानगर बांद्रा, ट्रेन संख्या 12403/12404 प्रयागराज बीकानेर और 04705/04706 जयपुर श्री गंगानगर का पलसाना स्टेशन पर स्टॉपेज, उदयपुर दिल्ली हमसफर 22985/86 ट्रेन का स्टॉपेज नीमकाथाना और श्रीमाधोपुर, दिल्ली सराय रोहिल्ला- अजमेर जनशताब्दी ट्रेन 12065/12066 का रेनवाल और कांवट स्टेशन पर स्टॉपेज करने की कृपा करें जिससे क्षेत्र वासियों के साथ श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिल सके। साथ ही सरकार से निवेदन है कि जयपुर से रेवाड़ी सेक्शन की एकमात्र ट्रेन भिवानी डेहर का बालाजी (14705/14706) का स्टॉपेज मेरे लोकसभा क्षेत्र के जीलो, भगेगा और कछेरा स्टेशनों पर करने की कृपा करें क्योंकि इन स्टेशनों से जयपुर की एक भी रेल सेवा नहीं है।

(iv) Regarding construction of an International Cricket Stadium in Bihar

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): There is no international stadium in Bihar. ICC Men's World Cup happened few days ago. IPL happens every year. More than 12.5 crore people of Bihar, especially youth don't get opportunity to enjoy viewing cricket matches in stadiums. They are restricted to their TV and phone screens. States like Tamil Nadu, Karnataka and Gujrat which has population of 6 to 7 crores have international stadiums. Telangana with 3.8 crore population has a stadium. Maharashtra which has almost same population as Bihar has two international stadiums: in Mumbai & Pune. Cricket stadiums generate huge resources. World Cup finals happened at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Hotels in Ahmedabad charged above ₹40,000 and some as high as ₹2,40,000 per night. 1 to 1.2 lakh spectators came to watch the match. Tickets were priced from ₹3,000 to ₹24,000. Imagine the resource generated. A cricket stadium in Bihar will also help to boost economy of Bihar. I urge the Government to build one international stadium in Bihar.

**(v) Need to increase the working days under MGNREGA from
100 to 200 days**

श्री बृजेन्द्र सिंह (हिसार): भारत सरकार की MGNREGA योजना के तहत प्रति वर्ष 100 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध है जो प्रयाप्त नहीं है। साथ ही कई बार मजदूरों को अपने कार्य स्थल तक लम्बी यात्रा करनी पड़ती है जिसके एवज में उन्हें कोई यातायात या भत्ता प्रदान नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं जैसे मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति, कन्या विवाह हेतु कन्यादान राशि का प्रावधान सरकार द्वारा दिया जाता है, किन्तु इन योजनाओं का सही तरह से प्रचार व पालन नहीं होने के कारण इनका लाभ पात्रों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। मेरे संज्ञान में आया है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र हिसार के लोगों द्वारा इन योजनाओं के तहत आवेदन करने के बावजूद उनकी अर्जी बर्खास्त कर दी जाती है। अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है की MGNREGA के तहत रोजगार की न्यूनतम कार्य अवधि को 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन प्रति वर्ष किया जाए ताकि लोगों को आवश्यक सहायता की आपूर्ति हो । साथ ही मजदूरों को कार्य स्थान तक लम्बी यात्रा के लिए यातायात की व्यवस्था अथवा निश्चित राशि यातायात भत्ते के तौर पर प्रदान की जाए तथा अन्य योजनाओं का लाभ अत्यधिक लोगों को प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें ।

**(vi) Regarding ban on conversion of agricultural land into
commercial land**

श्री दुर्गा दास उइके (बैतूल): मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि बड़े बड़े महानगरों में प्रत्येक वर्ष 4/5 ग्रामों को खत्म कर रहे हैं, शहरो के निकट ग्रामों में कृषि योग्य भूमि को बड़े बड़े बिल्डर्स मुँह माँगे दामो पर खरीद कर वहाँ रिहायशी कॉलोनी बना रहे हैं जिससे कृषि योग्य भूमि समाप्ति कि कगार पर पहुँच रही है। मेरा सरकार से निवेदन है की काली मिट्टी की भूमि तथा कृषि योग्य उपजाऊ भूमि को कमर्सियल पर्पस अथवा रिहायशी (आबादी) भूमि हेतु बेचने पर रोक लगे।

**(vii) Regarding sanctioning of the B.R. Ambedkar English Medium
Residential School Project in Dakshin Dinajpur**

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): In the 41-Dakshin Dinajpur Assembly Constituency reserved for SC in West Bengal, more than 58% of the population belongs to the SC/ST society. The majority of residents are from EWS and OBC category. As the people's Representative, I have closely understood and learned the problems of my people here and it has been discovered that upliftment of SC/ST people can only be done providing them with the best education. I have also discussed this issue with our District Magistrate, Dakshin Dinajpur and sent my recommendation for establishing Dr. B.R. Ambedkar English Medium Residential School here at Buruj Para Village on a 3 acres Government land where S.C./S.T. and other classes talented students (girls and boys) may be provided education. The Local MLA has also written to Hon'ble Minister of Social Justice requesting accord of approval for the Dr. B.R. Ambedkar English Medium Residential School but nothing could have been realized on ground so far. In view of such grim situation, I request the Government that for sake of our very own deserving local SC/ST people and their children, kindly approve and sanction the project of setting up of BR Ambedkar English Medium School at the earliest.

**(viii) Regarding construction of a medical college from union budget in
Aurangabad district of Bihar**

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): शिक्षा देश के विकास और प्रगति की रीढ़ है और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन ऐसे बेहतर तरीकों में एक है। हाल में ही नीति आयोग ने औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज के स्थापना की सिफारिश की है। औरंगाबाद वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और आकांक्षात्मक जिला है। NH-19 एवं NH-98 पर स्थित औरंगाबाद बिहार के रोहतास, अरवल, गया, और झारखण्ड के पलामू चतरा जिलों से जुड़ा है। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज खुलने से एक बड़ी आबादी को लाभ होगा। देश और विशेष रूप से बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिवर्ष हजारों छात्र मेडिकल की पढ़ाई हेतु दूसरे राज्यों में जाते हैं। यह मेडिकल कॉलेज बिहार और झारखण्ड के युवाओं के लिए उपयोगी होगा। उक्त मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त भूखंड की कमी के कारण मैंने अपनी खुद की 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय बजट से कॉलेज का निर्माण कराये।

(ix) Regarding grant of clearance for availability of forest land to Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) in Kolar for expanding its premises

SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): Kolar has the second biggest tomatoes market in the Asian Continent. The inflow and outflow of tomatoes and other vegetables happens at the Agricultural Produce Market Committee (APMC) premises. This is too small place to accommodate the huge quantity of tomatoes and vegetables.

I along with the farmers of Kolar have made consistent appeal to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to intervene in the matter of allotting an available forest land in the vicinity of the APMC market at Kolar.

The State Government has given a negative reply citing some reasons in spite of the Central Government's intervention. Now I request the Hon'ble Minister for Environment, Forests and Climate Change to kindly treat it as a special case and allot the available forest land for the greater good of the farmers and the traders of tomatoes and vegetables using his discretionary/prerogative powers.

(x) Regarding operation of international flights from Prayagraj Airport

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): मैं सरकार का ध्यान जनपद प्रयागराज उ०प्र० की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और इस जनपद प्रयागराज में एअरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शुभारम्भ 16 दिसम्बर 2018 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। वर्तमान समय में प्रयागराज एअरपोर्ट से लगभग 18 फ्लाइट मूवमेंट कर रही है, इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है 1. प्रयागराज एअरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एअरपोर्ट है। चूंकि उत्तर प्रदेश एक आबादी बाहुल्य राज्य है इस लिहाज से भी प्रयागराज एअरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने प्रारंभ करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका आकार बढ़ेगा तो यहाँ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जिससे आस पास के जिले के लोग लाभान्वित होंगे 2. प्रयागराज महाकुम्भ जो कि 2025 में होना है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं का आवागमन होगा उसको भी दृष्टिगत रखते हुए प्रयागराज एअरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय आकार देने की जरूरत है। उपरोक्त मांगे जनहित की हैं तथा इनको पूर्ण किये जाने से प्रयागराज समेत अगल-बगल के कई जिलों एवं मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के जिलों में रहने वाले जनमानस को भी लाभ होगा।

(xi) Need to promote private solar plants in Bundelkhand region

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): Solar energy is defined as solar radiation that is capable of creating heat, activating chemical processes, or generating electricity. The overall quantity of solar energy incident on Earth exceeds the world's present and projected energy needs. The goal of a trillion-dollar economy too should be achieved in a manner so that the income generation is faster in relatively backward regions like Bundelkhand. Out of the total investment proposals received at the Global Investors Summit-2023, about 12% is earmarked for Bundelkhand. The challenge is to quickly bring this investment to the ground. To deal with the situation, the Government may like to increase the installation of Solar Panels in the Bundelkhand Region so that the power generated from solar energy can be gainfully utilized. Therefore, we also request to install and promote private solar plantations in the Bundelkhand region as there is direct exposure to sunlight. This will create a great impact in terms of employment as well for the local citizens.

(xii) Regarding dredging work in Churni river

श्री जगन्नाथ सरकार (रणघाट): मैं माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण समस्या पर केंद्रित करवाना चाहता हूँ जो पश्चिम बंगाल के पारिस्थितिक कल्याण से संबंधित है, विशेष रूप से चूर्णी नदी की ड्रेजिंग की तत्काल आवश्यकता से संबंधित है। चूर्णी नदी पूर्वी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। बांग्लादेश के चीनी उद्योग (शुगर मील) से निकलने वाले अपशिष्टों के कारण नदी को गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ा है जो गंगा नदी को भी प्रदूषित करती है। इस गिरावट का क्षेत्र के पर्यावरण, आजीविका और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चूर्णी नदी में ड्रेजिंग और प्यूरीफाय (शुद्ध) गतिविधियों से जमा हुई गाद, प्रदूषक और मलबा निकल जाएगा, जिससे नदी के पानी की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पुनर्स्थापना प्रयासों से पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से जीवंत करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना का अपनी आजीविका, मत्स्य पालन और कृषि गतिविधियों के लिए नदी पर निर्भर समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक स्वच्छ और स्वस्थ चूर्णी नदी स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हुए पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकती है। मैं मंत्री जी से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि चूर्णी नदी में ड्रेजिंग का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाए।

**(xiii) Regarding construction of Semi-High Speed Rail Corridor
connecting Delhi-Sonipat and Panipat**

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत): दिल्ली में मेट्रो शुरू होने के बाद सोनीपतवासियों को उम्मीद थी कि इसका विस्तार सोनीपत तक किया जाएगा जो नहीं हो पाया। दिल्ली-पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस) को उम्मीद थी जिससे उन्हें सुगम यातायात का लाभ मिलता साथ ही सोनीपत भी गुड़गांव व फरीदाबाद की तरह विकसित होता। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली, सोनीपत और पानीपत को जोड़ने वाला 103 min (64 min) हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को स्वीकृति मिलने के बावजूद कदम नहीं बढ़ाया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि यह परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

(xiv) Regarding construction of a new building of ICAR-Central Institute for Research on Cattle in Hapur district, Uttar Pradesh

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मेरठ में गोवंश पर अनुसंधान को समर्पित केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान है। यह संस्थान सेना द्वारा 30 वर्ष की लीज पर दी गई 32 एकड़ भूमि पर स्थित है। इस भूमि की लीज जुलाई 2025 में समाप्त हो रही है तथा अपने बढ़ते हुए कार्यों का संपादन करने के लिए संस्थान का विस्तार करने हेतु अतिरिक्त न्यूनतम 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता संस्थान को है। संस्थान को अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराने के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप मेरठ संसदीय क्षेत्र के ही अंतर्गत हापुड़ जनपद में बाबूगढ़ के निकट 150 एकड़ भूमि का आवंटन प्रदेश सरकार द्वारा संस्थान को किया गया है तथा यह भूमि दिनांक 23 अगस्त 2023 को संस्थान को हस्तांतरित हो गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त भूमि पर संस्थान के नवीन भवन का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ कराए जाने का कष्ट करें।

(xv) Regarding budgetary sanction for construction of Rewa-Mirzapur via Hanumana Railway Line

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): मध्य प्रदेश में सिंगलौरी पावर हब के रूप में विकसित हो रहा है तो रीवा सतना सीमेंट हब के रूप में, इन्हे जोड़ने के लिए रीवा-मिर्जापुर वाया हनुमान रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है जिसका डी पी आर भी तैयार हो गया था लेकिन बजट की स्वीकृति नहीं होने के कारण कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अतः निवेदन है कि रीवा मिर्जापुर वाया हनुमना रेलवे लाइन का बजट स्वीकृत कराके कार्य शुरू कराये जाने का निर्देश देने का कष्ट करें।

(xvi) Regarding implementation of the recommendations of Bezbaruah Committee and need for amendment of section 153 (C) of IPC to recognize racial crimes

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): Residents of North-East living in different parts of the country continue facing racial discrimination and marginalization. The Bezbaruah Committee, established by Ministry of Home Affairs on March 2014 to address these issues will complete a decade next year. However, the committee's recommendations including legislative actions, policy initiatives and educational efforts to raise awareness about the North-East have remained insufficient. There is need for data on migration of North-East residents to major metros and racial crimes committed against them, and sensitisation of people regarding the geographical and cultural diversity of North East through undertaking relevant changes in curriculum. Further, following set up of Special Unit for North-East Region (SPUNER) of Delhi Police, there is a need to replicate the model in other metropolitans. I urge the Government to release a detailed action report regarding the implementation of the recommendations of Bezbaruah committee, and undertake the amendment of 153(C) IPC to recognize racial crimes.

**(xvii) Regarding critical concerns surrounding the Kochi Harbour
Development Project**

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Despite the allocation of funds amounting to Rs. 169.17 crores secured through Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and Sagarmala, the progress of the project has been disappointingly sluggish, with the project yet to kick off. The initial establishment of vital infrastructure is crucial for the overall success of the project. However, the lack of expedited action for early completion is deeply concerning. The non-kickoff of the project has left a devastating impact on Exporters, Fishing Boat Owners, Fishermen, Sellers, middlemen, intermediaries, and amenities providers for the workers of Fishing Boats. Their livelihoods are now in real jeopardy due to the project's stagnation. The delay in executing the work and prolonged inaction exacerbates the challenges faced by the local community and the fisheries sector. A series of strikes in recent days reflects the growing frustration among the people towards the authorities of ports and the Central Government. A Harbour Protection Council has been formed to organize protests and advocate for the swift resumption of the development works. The resumption is an absolute necessity to prevent further derailment of our community's economic and social well-being.

In the light of the above, I urgently request the Hon'ble Minister to intervene in the matter.

**(xviii) Regarding measures to curb the increasing pollution level in
Delhi-NCR**

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Delhi's air quality has been consistently ranked among the worst in the world for several years. The situation has worsened significantly this year, with air quality indexes reaching hazardous levels, crossing the 400 mark. The current air quality in Delhi is beyond acceptable. The combination of vehicular emissions, industrial pollutants, dust from construction activities, and agricultural residue burning has created a toxic smog that hangs over the city, causing respiratory illnesses, cardiovascular diseases and other health complications. Children, the elderly, and those with pre-existing health conditions are particularly vulnerable to these harmful effects. The deteriorating air quality has led to an unprecedented rise in hospital admissions due to pollution-related illnesses. The resultant out-of-pocket expenditure has put undue strain on millions of region residents. The air quality crisis in Delhi is a public health emergency that cannot be ignored. I urge the Minister for Environment Forest and Climate Change to intervene urgently, to propose a comprehensive air-shed approach in the polluted belts in and around the Delhi-NCR region, strengthen the regulatory bodies, and identify other pollution belts in the country. This will ensure that no citizen is deprived of the basic human right to clean air and good health.

**(xix) Regarding expansion of medical facilities in ESIC Hospital in
Tirunelveli Parliamentary Constituency**

SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): The ESIC hospital in my constituency at Tirunelveli is functioning since 2012 and serving for about one lakh ninety-three thousand patients. Daily around one thousand patients are receiving medical benefits as outpatients in this hospital. In the past two years, more than 200 major surgeries were also performed by the doctors successfully in this hospital. Daily, more than 100 patients are being admitted and treated as inpatients. Due to insufficient space and infrastructure, the patients are being admitted and treated in the corridors of the hospital. So, it is very essential to upgrade and expand the existing 100 bedded hospital into a minimum 250 bedded hospital. The Government must consider the request of the ESIC beneficiaries and expand the ESIC hospital and to make available with departments like Medical Oncology, Neurology, Gastroenterology, Rheumatology, Urology and Plastic Surgery etc.

**(xx) Regarding construction of railway overbridge in Bardhaman Purba
Parliamentary Constituency**

SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA): I want to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Railways with regard to the 'Railway Over Bridge' at Memari, Masagarm Kalna and Katwa under the Eastern Railway in West Bengal. In my Parliamentary constituency, a number of people regularly pass through the crossing of GT Road Railway Station resulting in accidents every day. A Railway Over Bridge is much needed to be constructed at the crossing of GT Road and railway station in my Constituency. I have also submitted an early petition in this regard but still no action has been taken by the Government. Further, inspection work has been done but the construction work has not yet started. I request the Hon'ble Minister to take needful action at the above-mentioned place.

(xxi) Need to sanction funds for development of Necessary infrastructure across river Sarada in Anakapalle Parliamentary Constituency

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): The villagers of Kasimkota in Anakapalle parliamentary constituency, Andhra Pradesh heavily rely on crossing the Sarada River on a daily basis to carry out essential agricultural activities, cattle breeding, and cultivation. However, during the rainy season, this river crossing becomes treacherous and hazardous, leading to several tragic incidents and loss of lives. The safety of the residents is at significant risk, and this situation demands urgent intervention. It is my humble request to the Ministry of Panchayati Raj and Rural Development to consider this request favourably and expedite the sanctioning of funds to help alleviate the hardships faced by the people of Kasimkota. The timely intervention will not only save lives but also serve as a great relief to the poor people who currently rely on hazardous river crossings.

(xxii) Regarding introduction of new local train between Lonavala-Pune-Lonavala

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): कोविड-19 से पहले लोनावाला-पुणे-लोनावाला के बीच सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे लोकल रेलगाड़ियों चलती थी जबकि कोविड काल में यह सभी लोकल रेलगाड़ियों की सेवा बंद कर दी गई। स्थिति सामान्य होने के उपरांत देशभर में समस्त रेलगाड़ियों का संचालन होने के बाद भी लोनावाला-पुणे-लोनावाला के बीच सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे चलने वाली लोकल रेलगाड़ियों बंद है जिसके कारण इस रेलमार्ग के रखरखाव को बताया गया है जबकि इसी समय इस मार्ग पर मालगाड़ियां चलती हैं। लोनावाला-पुणे-लोनावाला रेलमार्ग पर छात्र, महिलायें, शिक्षक, किसान, नौकरीपेशा, पर्यटक और नागरिक यात्रा करते हैं। इस समय लोकल रेलगाड़ी नहीं होने से यात्रियों को 2 घंटे से अधिक समय तक इन्तजार करना पड़ता है। इस समय पर लोकल रेलगाड़ी नहीं चलने से यात्रियों में आक्रोश होने से यह आन्दोलन के चेतावनी दे रहे हैं। अतः मैं सरकार से लोनावाला-पुणे-लोनावाला के बीच सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे लोकल रेलगाड़ी चलाये जाने की मांग करता हूँ।

(xxiii) Regarding creation of Legislative Council in Odisha

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Odisha Assembly on September 18, 2018, adopted a resolution for creating a Legislative Council in the State and the same was communicated to the Lok Sabha, Rajya Sabha, Ministry of Parliamentary Affairs Ministry and Ministry of Law and Justice. The matter is pending since then. India has adopted a bicameral legislature. Provisioned and empowered by Article 169 of the Indian Constitution, states can create a legislative council. According to the Article 169 of the Constitution of India, the Parliament of India can create or abolish the State Legislative Council of a state if that state's legislature passes a resolution for that with a special majority. Since Odisha Assembly has fulfilled its responsibilities as per the Constitution for creation of a Legislative Council, it should not be held back by the Centre. I request the Central Government to facilitate creation of a second Chamber in the State of Odisha as the Council would be in the direction of greater scrutiny and accountability of the Executive, thereby a step in the direction of strengthening democracy. The Resolution, as passed in the Assembly, should be taken to its logical conclusion by the Centre without any further delay.

(xxiv) Regarding restoration of Old Pension Scheme

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): दिनांक 1 जनवरी 2004 के बाद देश में नियुक्त 70 लाख से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर शेयर बाजार पर आधारित नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया, जिसमें किसी का भी बिल्कुल हित नहीं है। नई पेंशन व्यवस्था से निहित वर्तमान समय में सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक एवं कर्मचारियों को मात्र 850 रुपये से 1243 रुपये तक की पेंशन दी गयी है जिसके कारण सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक एवं कर्मचारी आज आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। पुरानी पेंशन देश के कार्मिकों का संवैधानिक हक है, जो उसे संबंधित विभागीय सेवा की ऐवज में आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के रूप में दिया जाता है। आज सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था और देश के योग्य बेरोजगार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होगा। नई पेंशन व्यवस्था व निजीकरण पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था है। नई पेंशन व्यवस्था एवं निजीकरण के प्रति देश के शिक्षक एवं कर्मचारियों में अत्यंत रोष व्याप्त है। 70 लाख से अधिक शिक्षक, कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पैरामेट्रिक फोर्स के सैनिकों के भविष्य की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा हेतु नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुनः पुरानी पेंशन योजना को लागू करें।

**(xxv) Regarding enhancement of honorarium of Sevikas working in
Aanganwadi Kendras**

चौधरी महबूब अली कैसर (खगड़िया): मैं सरकार का ध्यान बिहार जिसमें मेरा लोकसभा खगड़िया क्षेत्र भी शामिल है, के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर ले जाना चाहता हूं। जो बाल एवं विकास मंत्रालय द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर काम कर रही सेविका के मानदेय के संबंध में है। समान सेविका का चयन 700 से 1000 की आबादी एवं मिनी केंद्र से सेविका का चयन 300 से 500 की आबादी पर किया जाता है। आंगनबाड़ी सेविका द्वारा तीन से छह वर्ष तक के 40 बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है एवं मिनी केंद्र सेविका द्वारा 20 बच्चों को शिक्षा दी जाती है। वहीं इन लोगों को अति कुपोषित, कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की देखभाल का भी मंथली टास्क होता है, परंतु सरकार द्वारा इन आंगनबाड़ी सेविकाओं को रुपए 5950/- प्रति माह तथा मिनी केंद्र सेविका को ₹4500/- प्रति माह तथा सहायिका को रुपए 2975/- पर प्रति माह मानदेय के रूप में दिया जाता है, जिससे इनका परिवार का भरण पोषण हो पाना बहुत मुश्किल है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन सेविकाओं तथा सहायिकाओं के मानदेय पर विचार किया जाए और इसमें वृद्धि कर इतना किया जाए जिससे एक परिवार आराम से जीवन यापन कर सके।

(xxvi) Regarding improving service conditions of Aanganwadi, ASHA and Auxiliary Nurse Midwife health workers

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Healthcare workers are an important link between the health providers and community, and are instrumental in raising awareness about health-related risks, especially in rural areas. Study undertaken in the anganwadi centres of India proved that interventions by anganwadi workers can help in early detection and appropriate management of preventable childhood disabilities like malnutrition. Anganwadi sevikas who work at the grassroot level are major contributors for this reduction in malnutrition. Anganwadi sevikas undertake a range of crucial functions including conducting real time monitoring of malnutrition among children and lactating mothers, organising immunization drives along with Auxiliary Nurse Midwife (ANM), providing pre-school & health education, distributing supplementary nutrition among others. Despite the importance of the functions they perform, they are not entitled to any wages but are paid a mere honorarium by the Centre and the State Governments as per the cost sharing ratio. I urge the Centre to ensure that Anganwadi, ASHA & ANM healthcare workers are compensated with appropriate financial entitlement, job security and other employment related benefits by recognising them as permanent Government employees.

14.03 hrs

**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS—
FIRST BATCH, 2023-2024
AND
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2020-2021**

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 17 और 18 एक साथ लिए जाएंगे।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें और अतिरिक्त अनुदानों की पूरक मांगें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

“कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 8, 10, 11, 13 से 16, 18 से 21, 23 से 33, 35 से 38, 43 से 56, 58 से 66, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 79, 85 से 98 और 100 से 102 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।”

लोक सभा LOK SABHA

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2023-2024
की अनुदानों की प्रथम बैच की सूची
List of Supplementary Demands for Grants- First Batch for 2023-2024
to be submitted to the Vote of the House LOK SABHA

क्रम और मांग का शीर्षक No. and Title of the Demand		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि Amount of Demand for Grant submitted to the Vote of the House		
1	2	प्रत्यक्ष Revenue ₹	मुंजी Capital ₹	कुल Total ₹
1	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	2,00,000	6,28,00,000	6,30,00,000
2	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	217,65,00,000	...	217,65,00,000
3	परमाणु ऊर्जा	600,60,00,000	...	600,60,00,000
4	आयुष मंत्रालय	3,00,000	...	3,00,000
6	उर्वरक विभाग	13350,83,00,000	...	13350,83,00,000
7	भेषज विभाग	1,00,000	1,00,000	2,00,000
8	नागर विमानन मंत्रालय	...	605,49,00,000	605,49,00,000
10	वाणिज्य विभाग	145,01,00,000	...	145,01,00,000
11	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	6,00,000	10,62,00,000	10,68,00,000
13	दूरसंचार विभाग	1,00,000	8310,77,00,000	8310,78,00,000
14	उपभोक्ता मामले विभाग	18,39,00,000	22,34,00,000	40,73,00,000
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	6995,41,00,000	25,00,00,000	7020,41,00,000
16	सहकारिता मंत्रालय	4,00,000	50,00,000	54,00,000
18	संस्कृति मंत्रालय	260,35,00,000	2,00,000	260,37,00,000
19	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	3198,42,00,000	1525,00,00,000	4723,42,00,000
20	रक्षा सेवा (सैन्य)	14992,90,00,000	...	14992,90,00,000
21	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत खर्च	...	1,00,000	1,00,000
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	...	1,00,000	1,00,000
24	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2,00,000	3,00,000	5,00,000
25	विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	4,00,000	10,00,000	14,00,000
26	उच्चतर शिक्षा विभाग	649,88,00,000	...	649,88,00,000
27	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	2,00,000	40,18,00,000	40,20,00,000
28	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	92,57,00,000	3,00,000	92,60,00,000
29	विदेश मंत्रालय	10616,16,00,000	9513,74,00,000	20129,90,00,000
30	आर्थिक कार्य विभाग	1438,46,00,000	6840,03,00,000	8278,49,00,000
31	खर्च विभाग	...	1,00,000	1,00,000
32	वित्तीय सेवाएं विभाग	1992,68,00,000	8329,54,00,000	10322,22,00,000
33	लोक उद्यम विभाग	...	1,70,00,000	1,70,00,000
35	राजस्व विभाग	344,14,00,000	179,82,00,000	523,96,00,000
36	प्रत्यक्ष कर	535,42,00,000	1,00,000	535,43,00,000
37	अप्रत्यक्ष कर	...	2,66,00,000	2,66,00,000
38	भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग	24,08,00,000	70,05,00,000	94,13,00,000
43	मत्स्यपालन विभाग	2,00,000	...	2,00,000
44	पशुपालन और डेयरी विभाग	2,00,000	147,32,00,000	147,34,00,000
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2,00,000	1,00,000	3,00,000
46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	7,00,000	4,00,000	11,00,000
47	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	2,00,000	...	2,00,000
48	भारी उद्योग विभाग	244,01,00,000	1,00,000	244,02,00,000
49	गृह मंत्रालय	8,00,000	243,77,00,000	243,85,00,000
50	मंत्रिमंडल	44,08,00,000	40,00,00,000	84,08,00,000
51	पुलिस	2,00,000	1,00,000	3,00,000
52	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	6,75,00,000	46,14,00,000	52,89,00,000
53	चंडीगढ़	556,80,00,000	40,09,00,000	596,89,00,000
54	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	61,68,00,000	14,00,000	61,82,00,000

2

1	2	3	4	5
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
		₹	₹	₹
55 लद्दाख	55 Ladakh	4,00,000	5,00,000	9,00,000
56 लक्षद्वीप	56 Lakshadweep	207,41,00,000	4,00,000	207,45,00,000
58 जम्मू और कश्मीर को अंतरण	58 Transfers to Jammu and Kashmir	3170,00,00,000	...	3170,00,00,000
59 पुदुचेरी को अंतरण	59 Transfers to Puducherry	271,00,00,000	...	271,00,00,000
60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60 Ministry of Housing and Urban Affairs	9,00,000	700,01,60,000	700,10,00,000
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting	4,00,000	8,00,00,000	8,04,00,000
62 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	62 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	5,00,000	2,00,000	7,00,000
63 पेयजल और स्वच्छता विभाग	63 Department of Drinking Water and Sanitation	2,00,000	...	2,00,000
64 श्रम और रोजगार मंत्रालय	64 Ministry of Labour and Employment	1,00,000	...	1,00,000
65 विधि और न्याय	65 Law and Justice	3609,83,00,000	618,08,00,000	4227,93,00,000
66 निर्वाचन आयोग	66 Election Commission	73,67,00,000	28,09,00,000	101,76,00,000
68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	68 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	3,00,000	1,00,000	4,00,000
69 खान मंत्रालय	69 Ministry of Mines	1,00,000	1,00,000	2,00,000
73 संसदीय कार्य मंत्रालय	73 Ministry of Parliamentary Affairs	...	2,07,00,000	2,07,00,000
74 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	260,36,00,000	2,64,00,000	263,00,00,000
76 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	76 Ministry of Petroleum and Natural Gas	9216,85,00,000	2,00,000	9216,87,00,000
78 पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways	96,85,00,000	94,55,00,000	191,40,00,000
79 विद्युत मंत्रालय	79 Ministry of Power	2,00,000	1927,67,00,000	1927,69,00,000
85 रेल मंत्रालय	85 Ministry of Railways	...	69,83,00,000	69,83,00,000
86 रास्ते परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	86 Ministry of Road Transport and Highways	1,00,000	2,00,000	3,00,000
87 ग्रामीण विकास विभाग	87 Department of Rural Development	14524,34,00,000	12,00,000	14524,46,00,000
88 भूमि संसाधन विभाग	88 Department of Land Resources	2,00,000	...	2,00,000
89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	89 Department of Science and Technology	2,00,000	...	2,00,000
90 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	90 Department of Biotechnology	1,00,000	...	1,00,000
91 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	91 Department of Scientific and Industrial Research	452,46,00,000	3,56,00,000	456,02,00,000
92 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	92 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	2,00,000	1,00,000	3,00,000
93 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	93 Department of Social Justice and Empowerment	1,00,000	...	1,00,000
94 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	94 Department of Empowerment of Persons with Disabilities	1,00,000	...	1,00,000
95 अंतरिक्ष विभाग	95 Department of Space	386,32,00,000	1,00,000	386,33,00,000
96 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	96 Ministry of Statistics and Programme Implementation	1,00,000	...	1,00,000
97 इस्पात मंत्रालय	97 Ministry of Steel	1,00,000	...	1,00,000
98 वस्त्र मंत्रालय	98 Ministry of Textiles	4,00,000	2,00,000	6,00,000
100 जनजातीय कार्य मंत्रालय	100 Ministry of Tribal Affairs	2,00,000	1,00,000	3,00,000
101 महिला और बाल विकास मंत्रालय	101 Ministry of Women and Child Development	4,00,000	6,00,00,000	6,04,00,000
102 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	102 Ministry of Youth Affairs and Sports	1,00,000	...	1,00,000
जोड़	Total	88856,42,00,000	39462,32,00,000	128318,74,00,000

और

“कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष संख्या 15 और 18 के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं”

757

लोक सभा LOK SABHA

घटक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2020-21 की अतिरिक्त अनुदानों की मांग सूची

List of Demands for Excess Grants for 2020-21 submitted to the Vote of the House LOK SABHA

मांग की संख्या और शीर्षक No. and Title of the Demand		मांग की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि Amount of Demand for Grant to be submitted to the Vote of the House		
1	2	3		
		स्वयंस्फूर्त Revenue ₹	मूल्य Capital ₹	कुल Total ₹
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution	118648,59,80,000	...	118648,59,80,000
18. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	18 Ministry of Defence (Civil)	...	1,91,62,184	1,91,62,184
कुल	TOTAL	118648,59,80,000	1,91,62,184	118650,51,42,184

श्री गौरव गौरव गोगोई

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि जब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करने वाले हैं, तो आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी उचित समझेंगी कि वे स्वयं यहां आकर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों की बातें और जनता की बातें सुनने का प्रयत्न करें। सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में लगभग 80 ग्रांट्स हैं, चार एप्रोप्रिएशन हैं और लगभग 1,19,000 हजार करोड़ रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं। मैं सबसे पहले सप्लीमेंट्री ग्रांट के संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा। कुछ ही दिन पहले क्वार्टर टू जीडीपी का डेटा जनता के सामने प्रकाशित हुआ। यदि आप उसकी गहराई में जाएंगे तो कुछ चिंताजनक विषय आपको मिलेंगे। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में हमारा क्वार्टर टू जीडीपी इतना अच्छा नहीं हुआ है। यदि एग्रीकल्चर के सबसेक्शन में जाएंगे तो उसमें कटौती हुई है, ग्रोथ की बजाए उसमें रिग्रेशन हुआ है और इसका कारण वर्तमान की बारिश, मानसून, एलनिनो इफेक्ट का प्रभाव हमें दिख रहा है।

ऐसे संदर्भ में, मैं आशा कर रहा था कि इस सत्र के पूर्व शायद सरकार ने मनरेगा के लिए अतिरिक्त वित्तीय राशि मांगी होगी, लेकिन उन्होंने अभी तक जितनी राशि मनरेगा के लिए रखी है, वह संतोषजनक नहीं है और मैं अपेक्षा करूंगा कि इस सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में वे मनरेगा के लिए अतिरिक्त रकम लाएंगे क्योंकि आज भी मनरेगा की बहुत डिमांड हमारे देश में दिख रही है और यह आपके डेटा में भी है कि मनरेगा की डिमांड पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है, घटी नहीं है।

आदरणीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इस सरकार से सेन्सस-2021 का भी विवरण चाहते हैं। मुझे याद है, आज से लगभग एक-डेढ़ वर्ष पहले आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में सेन्सस के लिए कुछ राशि एलोकेट की थी, लेकिन उसके पश्चात्, अब तो कोविड भी खत्म हो गया है, इसे खत्म हुए लगभग दो साल हो गए, लेकिन सेन्सस-2021, जो होना है, उस पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ठोस कदम हम नहीं देख पा रहे हैं। इस साल के बजट में भी इसका कोई विवरण नहीं दिखा और न ही सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में भी इसके लिए कुछ दिख रहा है। हम बार-बार

सेन्सस की मांग कर रहे हैं, देश की जनता यह मांग कर रही है कि एक कास्ट सेन्सस होना चाहिए। इसमें पूरा कास्ट डेटा आना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि यह सरकार वर्ष 2021 के सेन्सस को कब प्रकाशित करेगी, हमारी वित्त मंत्री जी इसके बारे में आज स्पष्टीकरण दें।

महोदय, तीसरी बात यह है कि बहुत दुःख की बात है कि यही वह देश है, जिसमें हमारे पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय शास्त्री जी ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया था। मैंने किसान की बात तो कह दी है कि आज किसान जलवायु परिवर्तन और विभिन्न परिस्थितियों से लड़ रहा है और उसकी अवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन जवानों के साथ भी आज यह सरकार अन्याय कर रही है। आज यह सरकार डिसेबिलिटी पेन्शन को लेकर भी बार-बार प्रश्न उठा रही है और यह कितने अफसोस की बात है कि हमारे जवान, जो अपने गांव, अपने घरों से दूर रहकर सरहद पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश के लिए बलिदान देते हैं, आज उनकी डिसेबिलिटी पेन्शन पर भी इस सरकार की आँख है और इन्होंने डिसेबिलिटी बेनिफिट्स को कम कर दिया है। ऐसे जवानों को, जिन्हें एक वर्ग के तहत डिसेबिलिटी पेन्शन मिल रहा था, उसको भी यह सरकार और रक्षा मंत्रालय कोर्ट में जाकर चैलेंज कर रहा है। यह कितने अफसोस की बात है कि न तो किसानों को सम्मान मिल रहा है, न जवानों को सम्मान मिल रहा है।

इसी संदर्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज आप अग्निवीर स्कीम लाए हैं, लेकिन हमारे अलग-अलग प्रदेशों में सैनिक स्कूल की मांग हो रही है। मेरे ही प्रदेश असम में हम बार-बार इसकी मांग कर रहे हैं। हमने इसके लिए भूमि भी ठीक कर दी है। हम यह मांग कर रहे हैं कि गोलाघाट जिले में एक दूसरा सैनिक स्कूल होना चाहिए, जिसका विवरण इससे पहले मनोहर पर्रिकर जी, जो इससे पहले देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने किया है। असम की राज्य सरकार के बजट में भी यह उल्लिखित है कि गोलाघाट जिले में दूसरा सैनिक स्कूल होना है, लेकिन आज तक हमने जमीन पर कोई परिवर्तन नहीं देखा, कोई काम नहीं देखा।

सर, इसके साथ-साथ मैं डिजास्टर रिलीफ की भी मांग करता हूँ। कुछ ही दिन पहले केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए कुछ बजट रिलीज किया, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है,

तमिलनाडु का जो ड्यू है, under the State Disaster Response Fund, only their due has been released. But the additional damage caused by floods in Chennai, the burden of that now falls on the State Government and the Centre is not doing enough.

They talk about Cooperative Federalism, but there is no additional aid that is offered to States at the time of natural disasters whether it is floods in Chennai, whether it is cyclone in Andhra, whether it is landslide that we saw in Himachal Pradesh or whether it is landslide that we saw in Sikkim. In Sikkim, the amount of fund that was released was miniscule. It was pitiable.

आप 'लुक ईस्ट', 'एक्ट ईस्ट', नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, लेकिन सिक्किम में जब एक डिवैस्टेशन हुआ, जिसमें लोगों की जानें चली गयीं, the amount of fund that was released was miniscule. I urge this Central Government, in the spirit of cooperative federalism कि जब किसी राज्य में आपदा आती है तो उनका जो ड्यू है, उसे तुरन्त रिलीज करें, लेकिन उस राज्य को जो अतिरिक्त री-इम्बर्स करना चाहिए, वह भी ये करें, इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इस सप्लिमेंट्री ग्रांट्स में, मैं नेशनल हाइवे का भी उल्लेख करना चाहूंगा। असम में नेशनल हाइवे आईडीसीएल का एक कॉर्पोरेशन बनाया गया है। लेकिन किसी भी प्रकार से उनका काम ज़मीन पर अच्छा नहीं है, असंतोषजनक है औ। उसमें प्रश्न उठ रहे हैं। आज नोमालीगढ़ से डिब्रुगढ़, जो फोर लेन हाइवे है, टिओक-शिवसागर पार्ट पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। वहां पर आज फेज 1 के एक्सपेंशन का काम हो गया है। लेकिन वह काम वहीं पर रह गया है और फेज 2 और फेज 3 अभी तक हुआ नहीं है। बहुत अफसोस की बात है कि जो अपर असम है, जहां पर पर्यटक आते हैं, आज वहां पर किसी प्रकार का काम हुआ नहीं है। नेशनल हाइवे अथॉरिटी यह करती है कि जब लोगों की भूमि लेती है तब उनको कम्पनसेशन देती

है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों को काम्पनसेशन देना एक स्कैम बन गया है, क्योंकि कुछ लोग आज लैण्ड के फर्जी डॉक्युमेंट्स दिखा कर एनएचआईडीसीएल के कुछ अधिकारियों के साथ बात कर के स्कैम के द्वारा लाखों रुपये का कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। विशेष रूप से ऐसा हम कार्बी एंगलॉन्ग में देख रहे हैं, एनएच 29 में, पारोख्वा, लाहौरिजन के एरिया में बहुत से फर्जी लोगों को वहां पर फर्जी लैण्ड दिखा कर एनएचआई से बहुत सी रकम ले ली है। मैं चाहता हूँ कि आज यह रिकॉर्ड पर जाए और एनएचआईडीसीएल पर एक जाँच बैठे कि कहाँ-कहाँ उन्होंने इस प्रकार के फर्जी काम किए हैं।

सर, मैं ब्रॉडली अब इस सप्लिमेंट्री ग्रांट्स से बाहर आना चाहता हूँ कि सप्लिमेंट्री ग्रांट्स पर हम यह देख रहे हैं कि बार-बार सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी जीडीपी बहुत आगे बढ़ रही है, आज बहुत सी प्राइवेट इनवेस्टमेंट, एफडीआई हो रही है। सर, लेकिन देश की जो असली अवस्था है, देश की जो वास्तविकता है, वह हमने कुछ दिनों पहले उत्तराखण्ड में देख ली है। उत्तराखण्ड में केंद्र सरकार का 12,000 करोड़ रुपये का एक सुरंग बनाने का प्रोजेक्ट था, उस सुरंग में हमारे लगभग 41 मज़दूर लगभग 2 हफ्ते फंस गए थे। उनके फंसने का कारण था कि टनल निर्माण करते हुए जो एक एस्केप पैसेज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए होना चाहिए था, वह एस्केप पैसेज उनके लिए नहीं था। यह तो मैं आभार प्रकट करता हूँ, विभिन्न एजेंसियों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा लोगों का जिन्होंने उन 41 वर्कर्स को बाहर निकाला। लेकिन क्या इंकवायरी होगी कि उत्तराखण्ड के सिल्व्कारा टनल में ऐसा क्यों हुआ कि टनल को कोलैप्स होना पड़ा? एस्केप पैसेज क्यों नहीं था? क्या इसकी इंकवायरी होगी? क्या हम दोबारा उन मज़दूरों को भूल गए हैं? यही आज सच्चाई है। करोड़ों का प्रोजेक्ट बना कर सरकार हाईवे तो बनाती है, लेकिन जो इंकवायरी होनी चाहिए, जो सुरक्षा हमारे मज़दूरों को देनी चाहिए, वह सुरक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं। जब रैट होल माइनर्स ने लोगों को निकाला तो उन्होंने अंत में क्या बोला? उन्होंने अंत में यह बोला कि हमने इन सभी लोगों को बचाया, हम सरकार से बस इतना ही चाहते हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। यही देश की आज वास्तविकता है कि हर वह मज़दूर, हर वह

श्रमिक, हर वह किसान, चाहे शहरी इलाके में हो या चाहे गांवों में हो, आज बढ़ती हुई मंहगाई में वह चाहता है कि सरकार मेरा वेतन बढ़ाए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि विशेष रूप से महिलाओं का पार्टिसिपेशन आज लेबर फोर्स में घट रहा है। आज असमानता बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि सरकार यह बताए, आज कोविड के पश्चात दो साल गए हैं, लेकिन महिलाओं का पार्टिसिपेशन आज लेबर फोर्स में घट क्यों रहा है? आप आज का इकोनॉमिक्स टाइम्स या बिज़नस स्टैंडर्ड देख लीजिए, अज सैलरीड सैक्टर में भी महिलाओं की जो सैलरी है, compared to men is far less. There is a huge gender gap that is happening and that should worry us because we want our Indian women to be empowered financially, socially, and politically. It pains and disturbs us that irrespective of a woman working on a field, in a mine or in a company, she is discriminated against and she is not getting fair wages and equal wages. Therefore, we see a greater income inequality that is taking place. Women are facing the greatest brunt of income inequality. This is a very disturbing fact for India. Even the United Nations Development Programme has said that in India, top 10 per cent hold 15 per cent of the national income. The top 10 per cent hold 15 per cent of the national wealth.

जबकि 10 प्रतिशत आबादी के पास ही 50 प्रतिशत नेशनल इनकम है, लगभग 15 परसेंट नेशनल वेल्थ है। हम यही देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन जो फल है, वास्तव में जो अच्छे दिन आ रहे हैं, वह अच्छे दिन देश के सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों के लिए आ रहे हैं। ज्यादातर लोग आज भी सरकार द्वारा दिए जाने वाली फ्री अनाज पर निर्भर हैं। हम बात करते हैं कि हम फिफ्थ लार्जैस्ट इकोनॉमी हैं, थर्ड लार्जैस्ट इकोनॉमी हैं, लेकिन आज भी हमें अपनी 80 करोड़ आबादी को फ्री में राशन देना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वे लोग भुखमरी की समस्या झेलेंगे। यह हमारे देश की सच्चाई है। इससे हमें भागना नहीं चाहिए। देश की इस सच्चाई

को हमें कबूल करना चाहिए, न कि बार-बार राजनीति करनी चाहिए। यह सरकार बार-बार अपना सीना ठोकती है और कहती है कि हमने फ्री में अनाज दिया, लेकिन वह फ्री अनाज किस एक्ट के जरिए दे रही है? वह जो फ्री अनाज दे रही है, वह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए दे रही है। यह एक्ट यूपीए सरकार के दौरान पारित हुआ था। आज उसी एक्ट के द्वारा यह फ्री राशन दिया जा रहा है।

महोदय, यह सरकार बार-बार जैम ट्रिनिटी की बात करती है, यह सरकार बार-बार यूपीआई की बात करती है, लेकिन यूपीआई और जैम ट्रिनिटी के जो दो मूल पहलू हैं, वह आधार है। इसका ढांचा भी यूपीए सरकार के दौरान बनाया गया था। यूपीए के समय ही लोगों के हाथों में मोबाइल, स्मार्ट फोन और चीप डेटा हो गया था। इसीलिए, मैं चाहता हूँ कि यह सरकार कबूल करे कि यह जो प्रगति है, उसमें सारी सरकारों की भूमिका है। इस देश का जो इतिहास है, उसे दोबारा लिखने की कोशिश यह सरकार न करे। देश के इतिहास को सिर्फ अपने राजनीतिक ढंग से सोचने की कोशिश न करें।

सर, हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जीडीपी के बारे में बोले। आज भी हमारे जो लेबर इंटेन्सिव सेक्टर्स हैं, चाहे वह एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, होटल एंड कम्युनिकेशन हो, वहां इतनी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हुए हैं। यहां पर लेबर इंटेन्सिव इंडस्ट्रीज हैं। आज जो लेबर इंटेन्सिव इंडस्ट्रीज हैं, उनकी वास्तविक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सरकार बताए कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, होटल, कम्युनिकेशन, अपैरल, लेदर, टेक्सटाइल क्षेत्रों में, जहां पर ज्यादातर लोग काम करते हैं, उनको बढ़ोतरी दी जाएगी, ताकि लोगों को रोजगार मिले। लोगों का जो वेतन है, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? चलिए, मैंने इस सरकार की बात मान ली कि देश आज बहुत तरक्की कर रहा है। यह भी मान लिया कि आज देश की जीडीपी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गयी है। हमने यह भी मान लिया कि आज हमारा देश पाँचवे नंबर पर है और कुछ सालों के बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अगर सरकार के मंत्रियों की बात सुने तो देश की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी है। इस सरकार से मेरा यही प्रश्न है कि अगर देश की

आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी है तो आज हमारे पेट्रोपंप पर पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्यों नहीं घटे हैं? आज पूरी दुनिया में ऑयल प्राइस घट चुकी है। आज हमारे पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि हम लगभग 40 देशों से तेल ले रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार रूस से चीप ऑयल ले रही है। जब हम चीप ऑयल ले रहे हैं, जब हमारे पास डाइवर्सिफाइड ऑयल सप्लायर्स हैं, तो हम यह पूरा का पूरा बेनिफिट कंज्यूमर को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम पहले की तरह 60 या 70 रुपये प्रति लीटर तेल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर हमारी व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो मैं इस सरकार से गारंटी मांगूंगा कि आज इस साल हमने शुरुआत में जो इंफ्लेशन देखा, दूध के दामों में जो इंफ्लेशन देखा, टमाटर के दाम में जो इंफ्लेशन देखा, वह इस साल में नहीं होगा। अगर आज भी यह सरकार कह रही है कि इंफ्लेशन हो सकता है तो यह सरकार किस प्रकार का काम कर रही है? यह सरकार आज ग्राहकों के लिए काम नहीं कर पा रही है। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि यह सरकार चंद कंपनियों के लिए काम रही है।

महोदय, पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने पेपर में उल्लेख किया है कि देश की जो आर्थिक अवस्था है, वह ठीक नहीं हो रही है। यहां एक कार्टेलाइजेशन और मोनोपॉली बन रही है। अगर आप बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज सेक्टर में देखेंगे तो हर सेक्टर में तीन-चार बिजनेसमैन डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे वह एविएशन हो, चाहे टेलिकॉम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे मेटल्स हो। यह कितनी अफसोस की बात है कि हमारा जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक ढांचा है, ऐसी कुछ कंपनियां हैं, जो डोमिनेट कर रही हैं, कार्टेलाइजेशन हो रहा है, मोनोपॉली हो रही है, उनके आधार पर चल रहा है। इसके कारण हमारे देश के जो आर्थिक रेगुलेटर्स हैं, वे ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं।

मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस ने कुछ कंपनियों को नोटिस भेजा था कि आप इंडोनेशिया से बहुत कम दाम पर कोयला लाते हैं और भारत में आकर उस दाम को बढ़ा देते हैं। यह क्यों हो रहा है, इसके लिए कागज मांगे थे, लेकिन आज तक उन विभिन्न कंपनियों ने अपने कागज डीआरआई को नहीं दिए। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या

सरकार बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की तहकीकात करने से डरती है? क्या यह बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने से डरती है? सुप्रीमकोर्ट को सेबी को कहना पड़ा कि आप एक विशेष कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करें। क्यों इस अवस्था तक हम पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा। यह बहुत अफसोस की बात है कि जहां पर हमें ग्राहकों को सुरक्षित करना है, किसानों को सुरक्षित करना है, श्रमिकों को सुरक्षित करना है, यह सरकार विशेष कंपनियों को सुरक्षित कर रही है। विशेष एक-दो कंपनीज़ हैं, जिनका नाम सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बवाल मच जाएगा, क्योंकि सरकार आज देश की नहीं उस कंपनी की चल रही है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि सरकार को देश हमारे श्रमिकों ने चुना, मजदूरों ने चुना, ट्रक ड्राइवर्स ने चुना, घर में काम करने वाले लोगों ने चुना, मैकेनिक्स ने चुना, क्राफ्ट्समैन ने चुना, दुकानदार ने चुना। आज हमें उनके लिए सोचना चाहिए। आज हम गिग इकोनॉमी की बात तो करते हैं, लेकिन हम गिग वर्कर्स के लिए कौन सी सुरक्षा लाए हैं? कोविड के समय हमारे यहां आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भरपूर काम किया। आप डॉक्टर हैं। आप खुद जानते हैं कि आशाकर्मी हमारे देश में स्वास्थ्य का जनजागरण करने के लिए कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। आशाकर्मी, आंगनबाड़ीकर्मी आज हर प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं। उन्हें और भी मदद चाहिए, लेकिन आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आज भी हमें उन लेबर इंटेन्सिव इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान देना चाहिए। टी, कॉटन, रबर्स, स्पाइसेज़, विशेष रूप से मैं टी का उल्लेख करना चाहूंगा। असम, जहां से मैं आता हूं, हमारे यहां असम की चाय बहुत ही मशहूर है। लेकिन, विशेष रूप से नेपाल से जो हम चाय की पत्ती आयात कर रहे हैं, उससे असम टी का ब्रांड खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूं कि नेपाल से इल्लिगल इंपोर्टेड टी का जो बिजनेस स्कैम चल रहा है, उसको आप बंद करें और हमारी असम की सीटीसी टी पर एक जीआई टैग लायें। आज एक ही चिंता हमारे मन में है। देश की जो आबादी है, वह युवा हो रही है, जबकि पूरी दुनिया में आबादी वृद्ध हो रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं को जिस प्रकार से शिक्षित होना चाहिए, उनके हाथ में जो कला होनी

चाहिए, उनके हाथ में जो हुनर होना चाहिए, वह आज भी नहीं हो रहा है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, जितना लोगों को गेनफुल इंप्लायमेंट मिलना था, आज भी वह नहीं मिल रहा है। आज चाहे डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, नर्स हो, क्राफ्ट्समैन हो, होटल में काम करने वाला व्यक्ति हो, हमें स्किल ट्रेनिंग, स्किल एजुकेशन पर और ध्यान देना चाहिए। मिनिस्ट्री को उस हिसाब से शिक्षा पर, स्किल डेवलपमेंट पर और ध्यान देना चाहिए। यह बजट, सप्लीटमेंट्री ग्रांट्स सिर्फ कंपनीज़ का नहीं, सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का नहीं, यह आम जनता का होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ, धन्यवाद ।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, धन्यवाद। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो वक्ता हैं, वे पार्लियामेंट के रूल्स और रेगुलेशन्स को कभी पढ़ते ही नहीं हैं। मैं लगातार 10 सालों से उनके वक्ताओं को सुन रहा हूँ। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जब आता है, तो उसमें रूल साफ कहता है कि जिस विषय के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आया है, वक्ता केवल वही और वही बोल सकते हैं। किसी भी पॉलिसी डिस्मिशन के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती है। मैंने जानबूझकर गौरव जी को नहीं रोका। कांग्रेस की जो स्थिति इन तीन राज्यों में हार के बाद है, तो अगली बार कितने सांसद आएंगे, नहीं आएंगे, पता नहीं। कांग्रेस के जितने लोग बोलते हैं, मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि नियम-कानून से इसका कोई मतलब नहीं।

दूसरा, जहाँ से उन्होंने बंद किया, वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अपने दिल से जानिये, पराये दिल का हाला सन् 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1947 से लेकर 1991 तक, 54 सालों तक इस देश में लाइसेंस, परमिट और कोटाराज रहा। यदि किसी को कार बनानी है तो बिरला जी की एम्बेसडर के अलावा किसी को लाइसेंस नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने देश में किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया क्योंकि बिरला जी उनके संसद सदस्य होते थे, कांग्रेस के पदाधिकारी होते थे, कांग्रेस के लोग होते थे। यदि स्कूटर बनाना है तो बजाज फैमिली ही बनाएगी। जमनालाल बजाज बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ। यदि किसी को स्कूटर का लाइसेंस मिलेगा तो बजाज साहब को ही मिलेगा। यदि किसी को सीमेंट बनाना है, आपको रामकृष्ण डालमिया के बारे में पता है, अखबार भी रामकृष्ण डालमिया जी का परिवार चलाएगा। यदि सीमेंट की फैक्ट्री बनानी है या इंडस्ट्री बनानी है, टाटा, बिरला, डालमिया लाइसेंस परमिट कोटा राज में कांग्रेस आगे बढ़ी है, इसीलिए आज इस दौर में भी केवल बिजनेसमैन नजर आ रहे हैं।

मैं यह कह रहा हूँ कि 5जी का ऑक्शन हो रहा है, 4जी ऑक्शन हो रहा है। किस कंपनी को भारत सरकार रोक रही है। मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूँ कि किस कंपनी को भारत सरकार कह रही है कि तुम टेलीकॉम में नहीं आओ। आज सीमेंट बनाने वाली 50 कंपनियाँ हैं, अहलुवालिया

मेहर में भी बना रहा है, रामको इंडस्ट्री चेन्नई में बना रहा है। छोटे-छोटे लोग जिनके बारे में उनको पता नहीं है, वे सारे लोग सीमेंट इंडस्ट्री में हैं। यदि आज ईवी का चलन बढ़ रहा है, हम जिस तरह से इन्सेन्टिव दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हिकल या कार बनानी है या स्कूटर बनाना है, हमने एलन मस्क से कहा कि आपको हम सुविधा देंगे, बशर्ते आप हमारे यहां मैन्यूफ्रेक्चर कीजिए जिससे हमारे यहां के लोगों को रोजगार मिले। क्या यह सब उनको दिखाई नहीं दे रहा है? मैंने कहा कि यदि किसी ने आंख पर पट्टी बांध ली है तो हम क्या कर सकते हैं?

आज इस देश की इकोनॉमी के बारे में पूरी दुनिया कह रही है। कोरोना के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जहां पर क्रेडिट था, जिस पर आप लोन देते हैं, लोन पहले एक परसेंट, दो परसेंट और तीन परसेंट पर मिल जाता था, आज वह लोन दस परसेंट पर मिल रहा है। दस परसेंट पर लोन मिल रहा है। आप बाइडन का स्टेटमेंट देख लीजिए या सुनक का स्टेटमेंट देख लीजिए। सारे लोग कहते हैं कि कोरोना के बाद हमने लोगों को फ्रीबीज दे दिया, इन्सेन्टिव दे दिया, इस तरह से हमने इकोनॉमी को तबाह कर दिया। आज इन्फ्लेशन का रेट पूरी दुनिया में 10 परसेंट से ऊपर है। सुनक और बाइडन का एक बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट आया कि हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं, इन्फ्लेशन के बाद यदि बैंक डिस्साइड करती है तो इंटरैस्ट रेट कम हो सकता है।

भारत ही एक ऐसा देश है जहां आज इंटरैस्ट रेट कम है। इन्फ्लेशन हमने पांच परसेंट के आसपास रखा है, चीन की हालत खराब है। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, जिसका भी उदाहरण लेना चाहते हैं सभी लोगों की स्थिति यह है कि लोग अपने मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं। लोग अपने मकान की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, लोग अपनी गाड़ी की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। वहां की हेल्थ व्यवस्था सारी की सारी चौपट हो गई है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ही एक ऐसी इकोनॉमी है, पूरी दुनिया आशा की नजरों से देख रही है, हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल करके रखा है, पांच परसेंट इन्फ्लेशन है, हमारी इकोनॉमी सात - साढ़े सात परसेंट जीडीपी ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। क्या यह आपको दिखाई नहीं

देता, क्या इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए। क्या इसके लिए देश को गौरान्वित नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे - कुछ नहीं हो रहा है। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देता है।

दो-तीन चीजें इकोनॉमी की बढ़ी है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में हमने इनकम टैक्स, एक्सपेन्डिचर और इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए कुछ पैसे का प्रावधान किया है। क्या प्रावधान किया है? जब इस देश में जीएसटी लागू हो रही थी तब कई लोग कह रहे थे कि राज्य का पैसा कम हो जाएगा, इकोनॉमी कम हो जाएगी, कलेक्शन कम हो जाएगा, उनका क्या होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितना कम होगा उतना कम्पनसेशन हम देंगे।

आप निश्चित रहिए, हम आपको कमिटमेंट कर रहे हैं कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा। यह मनमोहन सिंह जी कहते थे कि जिस दिन इस देश में जीएसटी लागू हो जाएगा, उस दिन जीडीपी डेढ़ से दो परसेंट बढ़ जाएगी। आज क्या हाल है? आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 1 लाख 61 हजार करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन प्रति माह हो रहा है जबकि पहले यह 80,000-90,000 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होता था। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि 17 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट टैक्स के लिए एक टारगेट फिक्स करके रखा था कि 12 से 13 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन होगा जबकि यह आज 25 परसेंट ऊपर जाकर 16 लाख करोड़ करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसका कारण क्या है? हमने फेसलैस सिस्टम लागू किया, जीएसटी में टेक्नोलॉजी लागू की। पहले जितने भी चोर, बेईमान लोग थे, जो टैक्स नहीं देने की कोशिश करते थे, अब नौ करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं।

महोदय, हमने जब वर्ष 2014 में चार्ज लिया तो उस वक्त तीन या चार करोड़ लोग ही टैक्स पे करते थे। मैं कल ही जवाब दे रहा था कि देश में साढ़े नौ करोड़ लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी उसी हिसाब से बढ़ रही है। अब ये क्या कहेंगे? पेट्रोल और डीजल की बात ही तो कहेंगे। चूंकि ये राजस्थान में हार गए हैं, इस सवाल पर सारे सांसदों और पूरे देश की

पोलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए कि जीएसटी के दायरे में दो चीजें नहीं आई हैं। आप बार-बार ब्लेम भारत सरकार को देते हैं कि पेट्रोल और डीजल का दाम ज्यादा है और लोग परेशान हो रहे हैं।

महोदय, आपने जो दो चीजें छिपा रखी हैं, रोक रखी हैं, मैं उसका कारण समझ रहा हूँ। झारखंड में एक रेड चल रही है, कांग्रेस के बड़े सम्मानित सांसद हैं, तीन बार से सांसद हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी थे, 500 करोड़ रुपये के आसपास कैश पकड़ा जा चुका है। आज संजय सेठ साहब ने इसे बड़ी प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया। इसका कारण क्या है? यह पैसा क्या है? मैंने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की स्टेटमेंट पढ़ी, वे कह रहे हैं कि उनका यह पुश्तैनी धंधा है, शराब के धंधे में हैं, शराब के धंधे का यह पैसा है। मैंने बड़े नेताओं की स्टेटमेंट पढ़ी है और मैं इसलिए सारे सांसदों और पोलिटिकल पार्टीज के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जीएसटी के दायरे में दो चीजें नहीं हैं और इन दो चीजों के कारण से भारत की इकोनॉमी में आम जनता निश्चित तौर से प्रभावित हो रही है। सभी कन्सेंसस बनाएं, भारत सरकार ने ऑफर किया है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आइए, लेकिन फिर आपको यह कहने का मौका मिलेगा कि भारत सरकार के कारण पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम घट रहे हैं। राजस्थान ही ऐसी सरकार थी, जहां पूरे देश में 12 या 13 रुपये ज्यादा महंगा था। आप पैसा कमाएं। यह तो रत्नाकर वाली बात हो गई कि रत्नाकर चोरी करके पूरे परिवार को चलाता था, लेकिन जब पाप लेने की बात आई तो पूरे परिवार में से कोई आदमी शामिल नहीं हुआ। आप पेट्रोल और डीजल में कमा रहे हैं, आपकी जो सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, अभी छत्तीसगढ़ की सरकार खत्म हुई, चाहे राजस्थान की सरकार हो, पेट्रोल-डीजल का ज्यादा पैसा लेती है और उसके बावजूद आप भारत सरकार को ब्लेम करते हैं।

महोदय, लिंकर का पैसा जमा करते हैं, सांसद पकड़े गए हैं, आप लिंकर को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते? फिर आपको पता चलेगा कि जो दाम महाराष्ट्र में है, वही छत्तीसगढ़ में है,

वही झारखंड में है और वही बिहार में है, खैर बिहार में तो शराबबंदी है। आप इन दोनों को दायरे में नहीं लाएंगे क्योंकि ये आपकी पैसा कमाने की मशीनें हैं।

महोदय, ये लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। आप बताएं कि किस माननीय प्रधानमंत्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपनी कोई सोच रखी है? जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उससे पहले जब वह गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे, तब सबसे बड़ा डिजास्टर कच्छ में हुआ था। सभापति जी, आप भी उसी राज्य से आते हैं। आपको ध्यान होगा कि कच्छ और सूरत, दो इंसीडेंट्स हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, जो आज के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेन्द्र मोदी जी ही इस देश के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें गांव, गरीब और किसान की जान की चिंता है और वे वोट बैंक की पोलिटिक्स से ऊपर उठकर चिंता करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पहली बार भारत सरकार इतनी आगे रही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का बड़ा इश्यू था, आप देखें कि उत्तराखंड के 39 लेबर्स को बचाने के लिए कौन सा ऐसा देश है, जिसके थ्रू भारत सरकार ने प्रयास नहीं किया? चाहे आर्मी हो, एयर फोर्स हो, एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, कौन सी ऐसी संस्था थी जिसे भारत सरकार ने टच नहीं किया?

मैं इसीलिए इस बारे में बहुत इमोशनल हूँ कि हमारे यहां एक रोप-वे की दुर्घटना देवघर में हो गई, जिससे काफी जानें वहां फंस गई। एक-दो लोग मर गए और उसके बाद गरुड़ एयरफोर्स की गरुड़ बटालियन, जिसका काम केवल और केवल विदेश में जाकर दुश्मनों को मारना है, उस एयरफोर्स की सहायता से उन लोगों को बचाने के लिए देवघर रोप-वे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद मॉनिटर करके सारे लोगों को बचाया और इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। चाहे नेपाल में आपदा हो जाए, टर्की में आपदा हो जाए, चाहे हिमाचल प्रदेश की बाढ़ हो जाए, मैं बताना चाहूंगा कि अभी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीत का जश्न तो मनाएं, लेकिन कार्यकर्ताओं से उन्होंने आग्रह किया कि अभी चेन्नई में बाढ़ आने वाली है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भी उसका इम्पैक्ट होने वाला है। अतः भारतीय

जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से उन्होंने आग्रह किया। इसी तरह से मैं सोचता हूँ कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी आग्रह करना चाहिए कि सब काम छोड़ो, डिजास्टर मैनेजमेंट में लगे। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया, जिसके कारण आज हम जान बचा पाने की स्थिति में हैं।

दूसरा, माननीय सदस्य नॉर्थ-ईस्ट से आते हैं। मैं नॉर्थ-ईस्ट में वर्ष 2014 से पहले भी गया था। अभी कांग्रेस के स्पीकर नॉर्थ-ईस्ट के बारे में बोल रहे थे। नॉर्थ-ईस्ट की क्या स्थिति थी? नॉर्थ-ईस्ट की स्थिति यह थी कि वहां जाने के लिए कनेक्टिविटी नहीं थी। आज त्रिपुरा तक रेल जा रही है, आज अरुणाचल प्रदेश तक रेल जा रही है। असम से आपको कनेक्ट करना था, जो केवल एक पुल के कारण रुका हुआ था, वहां अब इंडस्ट्री जा रही है। मैं सिक्किम गया था। वहां जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, शायद भारत में पुणे और हिमाचल प्रदेश के बंदी को छोड़कर किसी और जगह पर उतनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज नहीं हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नॉर्थ-ईस्ट के लोग अब यहां नहीं आना चाहते? चाहे नॉर्थ-ईस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सवाल हो, डेवलपमेंट का सवाल हो, बॉर्डर के ऊपर अंतिम गांव तक रोड बनाने का सवाल हो, वर्ष 2014 से पहले क्या स्थिति थी, आप बताइए। यदि वर्ष 2014 से पहले लोगों को गुवाहाटी से शिलांग जाना होता था, तो कितने घंटे लगते थे? आप वर्ष 1972-73 की बात कीजिए। आज शिलांग जाने में मुश्किल से एक-डेढ़ घंटा लगता है। शिलांग, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में एयरपोर्ट्स आ गए हैं। आपने क्या किया? सब जगह ट्रेन भी पहुंच गई। आप कह रहे हैं कि नॉर्थ-ईस्ट के लिए कुछ नहीं किया।

महोदय, नॉर्थ-ईस्ट ही नहीं, ईस्टर्न इंडिया, जिस इलाके से मैं आता हूँ, गोड्डा, जहां से मैं सांसद हूँ, वहां आजादी के 75 साल बाद भी रेल लाइन नहीं थी। संयोग से मुंडा जी यहां दिखाई दे रहे थे। वह मुख्य मंत्री के नाते वहां शिलान्यास करने गए थे। वहां यदि आपका एक मामूली एक्सिडेंट हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो उसके लिए एक डॉक्टर या अस्पताल नहीं था, एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन नहीं था, जहां आप अपने बच्चे को पढ़ा पाएं। यद्यपि रामकृष्ण मिशन ने एक अच्छा स्कूल बनाया था, जिसे 100 साल हो गए हैं। आज वहां मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसी संस्था

है, एयरपोर्ट है। आज गंगा नदी पर वाटर वेज है। केवल बंदरगाह समुद्र में ही नहीं खुल रहा है, साहबगंज में हमारे यहां गंगा पर बंदरगाह है, जिससे माल-ढुलाई का काम हो पाए, जिससे नेपाल को हम सप्लाई कर पाएं, जिससे भूटान को हम सप्लाई कर पाएं। जिस चार लेन का रोड लोगों ने जिंदगी में नहीं देखा था, वह चार लेन का रोड ईस्टर्न इंडिया में इतनी छोटी जगह पर दिखाई दे रहा है। चाहे फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, भारत सरकार की कोई ऐसी संस्था नहीं है, जो वहां मौजूद न हो। ट्राइबल के लिए हम जाने जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवम्बर को जिसका काम किया। आपको जानना चाहिए कि सिकल एनीमिया नामक एक बीमारी ट्राइबल्स में होती है, जिसके कारण वर्षों से ट्राइबल्स परेशान रहते थे, इस हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवगढ़ एम्स को डेडीकेटेड सिकल एनीमिया का एक सेंटर बना दिया, जिससे कि हम ट्राइबल्स के बच्चों को इस तरह की बीमारी से बचा पाएं। उस दिन मैंने कहा था 100 परसेंट प्रधानमंत्री आवास सभी लोगों को मिलेगा। मैं मोटर साइकिल से जाते हुए गिर गया था, जिससे मुझे घाव हुआ था। आज भी वहां के लोगों हेतु न प्रधानमंत्री आवास है, न पीने का पानी है, न स्वास्थ्य की सुविधा है, यानी कुछ भी नहीं है।

प्रधानमंत्री जी ने 15 नवम्बर को एक प्रोजेक्ट 'प्रधानमंत्री जनमन' चालू किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि 100 परसेंट, कोई भी ट्राइबल होगा, उसको हम मकाने बनाने के लिए 2 लाख 30 हजार रुपये देंगे। कोई ऐसा गाँव नहीं है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड नहीं जाएगा और कोई ऐसा घर नहीं है, जहां 'प्रधानमंत्री नल जल योजना' से पानी नहीं जाएगी। यह किसने सोचा? आप ट्राइबल का वोट लेते रहे और आप कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं।

सर, इस सप्लीमेंटरी डिमांड्स ऑफ ग्रान्ट्स में तीसरा सवाल फर्टिलाइजर का है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में एक बड़ा सवाल है। यह सभी को पता है कि फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, चाहे वह यूरिया बनाने के लिए हो, डीएपी बनाने के लिए हो, नाइट्रेट बनाने के लिए हो या फॉस्फेट बनाने के लिए हो, कोई भी रॉ मटेरियल भारत में नहीं है। यह आज का तो सवाल नहीं है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। वाई.वी.चव्हाण, जो एक बहुत बड़े नेता थे,

मैंने उनका वित्त मंत्री के नाते काफी बजट भाषण सुने हैं। वे वर्ष 1975-76 तक एक ही चीज चिल्लाते रहे कि मैं ऐसा बदनसीब वित्त मंत्री हूँ, जिसको लोगों को खिलाने के लिए बाहर से अनाज लाना पड़ता है। हमें इसके लिए अपने किसान को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। आज किसान सशक्त है। हमें बाहर से अनाज नहीं लाना पड़ता है। लेकिन, जब रॉ मटेरियल नहीं था, उस समय जब फर्टिलाइजर की जरूरत थी, क्या कांग्रेस के समय भारत सरकार ने कभी यह सोचा कि हमें फर्टिलाइजर में कैसे सस्टेन करना है? पूरी दुनिया में माइन्स के ऑक्शन हो रहे थे, जॉर्डन में हो रहे थे, मोरक्को में हो रहे थे, पांच-सात देश ही ऐसे हैं, जहां फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। क्या आपने कभी उनके साथ टाई-अप करने की कोशिश की? आज भारत पहला ऐसा देश है, जिसने फर्टिलाइजर पर और खासकर इसके ऊपर निर्भरता कम करने के लिए, ताकि अपनी जमीन खराब न हो, सॉयल खराब न हो, उसके लिए ऑर्गेनिक फॉर्मिंग की तरफ बढ़ावा देने के लिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग किया। भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह गर्व है कि उसने इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया और किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा काम किया। आपके यहां गुजरात, कलोल में यूरिया और डीएपी का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। हमारे यहां देवघर में भी नैनो यूरिया का प्लांट बन रहा है और डीएपी का बनने वाला है। 50 किलो का बोरा, जिसको किसान अपने माथे पर ढोता था, अब 500 मिलिलीटर में उपलब्ध है। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाई गई है, मैं आपको यह बता सकता हूँ कि जिस तरह से हरित क्रांति लाकर यह देश आत्मनिर्भर हुआ, उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व 'नमो ड्रोन दीदी' का जो कांसेप्ट है, उससे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी को वर्षों-वर्षों तक इतिहास याद रखेगा और उनको सम्मान देगा। किसानों की निर्भरता दूसरे चीजों पर कम होगी और उनकी किसानी का काम आगे बढ़ेगा, वह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस कारण से तब तक, जब तक कि ये नैनो यूरिया और डीएपी में भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, ये फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि किसानों का जो लागत मूल्य है, वह ज्यादा न बढ़े। 80 करोड़ लोगों को, जिनको हमें खाना वर्ष 2028 तक देना है, कई

लोग कहते हैं तो यदि इकोनॉमी बढ़ रही है तो आप क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन यह है कि मान लीजिए हम छोटे शहर में रहते हैं और अपने घर में रहते हैं। यदि हम अपने घर में 10 कट्ठा जमीन में सब्जी पैदा कर लेते हैं तो हमें घर का किराया नहीं देना पड़ता है और सब्जी का भी पैसा नहीं देना पड़ता है। जो पैसा है, हम उसको बचत करते हैं। 80-81 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनाज देने का फैसला किया है, उसका कारण यह है कि आपको जहां नौकरी करनी है, वहां कीजिए, आपको अपने जीवन में जितना व्यापार करना है, आप कीजिए, आपके बच्चे को जहां पढ़ना-लिखना है, आप वहां पढ़ाई-लिखाई, लेकिन आप खाने के बारे में आत्मनिर्भर रहिए। खाना की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, माननीय मोदी जी का है। यह मोदी गारंटी है। ... (व्यवधान) इसका कारण यह नहीं है कि भारत कहीं गरीब हो रहा है। इसका कारण यह नहीं है कि वे लोग गरीब हैं। हमने उज्ज्वला गैस दे दिया, उससे क्या हो गया? अभी हमने सैचुरेशन पाइंट पर कहा कि जिसके पास उज्ज्वला गैस नहीं है, उसको उज्ज्वला गैस दे दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं भारत सरकार उससे भी आगे बढ़ गई है। अब पाइपलाइन से गैस जाएगा। जो शहरों में स्थितियां थीं, वह आज हम गाँव में भी क्रिएट कर रहे हैं।

आज गांवों में लोग नल से जल पीते हैं। आज भारत में प्रत्येक परिवार ऐसा है, हम उनके पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? गांवों में विस्थापन और पलायन एक बड़ा विषय है, इस पार्लियामेंट में उस दर्द को बहुत कम लोग समझ पाएंगे, लेकिन झारखंड, बिहार और पूरे पूर्वोत्तर के जो लोग हैं, हम सबसे ज्यादा उसको समझ सकते हैं। मैं बार-बार ये बातें कहता हूँ कि मुंबई के लोग अपने आपको कहते हैं कि हम बहुत इन्कम टैक्स देते हैं। जब हम लोग मुंबई में नौकरी करने या रोजगार के लिए जाते हैं, तो वे भैय्या या बिहारी कहते हैं। आप यह समझिए कि भैय्या और बिहारी गाली है।

क्या कभी सोचा है कि मुंबई में जो टैक्सपेयर्स हैं, वे कौन लोग हैं? वे लोग वही हैं, क्योंकि इस देश का 50 प्रतिशत माइन्स और मिनरल्स केवल और केवल झारखंड देता है। चाहे टाटा की

बात कर लीजिए, चाहे बिरला की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी बड़े बिजनेसमैन की बात कर लीजिए, यदि झारखंड नहीं होता, छत्तीसगढ़ नहीं होता, ओडिशा नहीं होता, पश्चिम बंगाल नहीं होता, चाहे कोयले का सवाल हो, चाहे माइन्स का सवाल हो, चाहे मिनरल्स का सवाल हो, वह सब हमने दिया है। हम जो मालिक थे, जिसने मुंबई को मुंबई बनाया है। आज आप हमको गाली देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी विस्थापन और पलायन को रोकने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया है। यदि हम गांवों में ही सारी सुविधाएं दे देंगे, तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को इसका फायदा होगा।

महोदय, मुझे पता है कि और भी सदस्यों को बोलना है। चाहे एजुकेशन का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे जीआर का सवाल हो, चाहे बच्चियों को पढ़ाने का सवाल हो, चाहे उनको रोजगार देने का सवाल हो, आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक महीने रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। हम रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सरकार ने पिछले दस सालों में जो किया है, वह 'न भूतो और न भविष्यति'। तैत्तिरीयोपनिषद का एक श्लोक है -

‘सर्वज्ञम् विज्ञातः सर्वयौनीस्तव मात्वभू, सर्व प्रभुर निश मेकस्त्वं सर्वरूप भाक’।

महोदय, इस हाउस में जितने लोग बैठे हुए हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का योगदान पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए राम-राम और जो स्वीकार करना चाहते हैं, उनकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity. I would like to focus on the points like employment crisis, devolution of tax revenue from the Centre, agrarian crisis, precarious conditions that the public sector banks are facing, textile crisis, and the issues and problems in the MSME sector.

Sir, the employment status in India is showing an unprecedented fall in the total employment from 2014 to 2022. About 50 million jobs were lost due to multiple reasons. The three major reasons are Demonetisation, GST implementation, and COVID-19 pandemic. It is unfortunate that the total unemployed youth population is rising massively. The increased trend of contractual employment in both Government and private sectors is another threat to the economic security and peace. If this trend continues for another five years, there will be a great chaos all over the country. This is a red alert for the Union Government and also for the State Governments. The society and the parents have to pay heavily for this catastrophe. It is a ticking time-bomb which needs to be solved diligently. The Union Government which promised to create two crore new jobs every year is awfully short of the target. What is more dangerous is that they are trying to destroy the existing jobs in the Government sector and the PSUs. It is expecting that the private sector will create more jobs. But due to the economic crisis, the private sector is falling like nine pins. Unfortunately, no concrete steps have been taken to create new jobs at all.

Sir, there are 40 lakh job vacancies in the Central Government, State Governments, and the PSUs across the country. If the Government cannot take any proactive measures to provide Government jobs to our youth population, a big catastrophe is waiting. The unemployment rate is at an all-time high of 10.3 per cent. For the age group of 18 and 26, it is 30 per cent. That means, about one-third of the youth of our country is unemployed and another one-third is under-employed. This is a ticking time bomb.

Sir, the second point relates to devolution of taxes. Tamil Nadu continues to be one of the largest contributors to the country's direct tax revenues. The Union Government is betraying Tamil Nadu on many counts, including devolution of tax revenue with data. As regards devolution of share of tax revenue, Tamil Nadu is not getting its due share. For example, for every one rupee that Tamil Nadu gives to the Centre, it gets back 29 paise, and incidentally, all the BJP-ruled States or their electorally prospective States are getting a lion's share. This is unjustifiable.

During the past 10 years, as per the Central Finance Commission's recommendations, Tamil Nadu has been facing huge financial losses. The allocation, which stood at 5.305 per cent in the Twelfth Finance Commission, has come down to 4.079 per cent in the Fifteenth Finance Commission. This is because Tamil Nadu implemented the Family Planning Scheme sincerely. The State is being betrayed in financial allocations in many other schemes too.

When compared to the amount Tamil Nadu is giving to the Union Government as tax revenue, it is receiving back a very less amount. The Union

Government has offered the State nothing but only the State's tax share. Tamil Nadu is providing 9.16 per cent of the GDP to the Centre but the Union Government shared only 6.07 per cent of tax revenue to Tamil Nadu. Tamil Nadu has contributed Rs.5.16 lakh crore to the country's direct tax revenue but in return the State received only Rs.2.08 lakh crore. Tamil Nadu is facing a financial crisis.

When the DMK Government came to power, our hon. Chief Minister as well as our General Secretary of the Party and our hon. leader, Mr. T.R. Baalu visited the hon. Prime Minister. At the first instance, our General Secretary took the liberty of the Chief Minister and explained to the Prime Minister in the first meeting and said, "The heat and the dust of the election is over. Mr. Prime Minister, now we are here to extend our heart and hands in the vision to build this nation." These were the words uttered by our General Secretary to the Prime Minister. In spite of that, still the big brother attitude of the Government of India is continuing in respect of Tamil Nadu.

Regarding the banks, it is disheartening to see the performance of the public sector banks. Their performance is very much wanting. Most of them are sinking very fast. The RBI's Report of 2023 has reported that in 2020-21, there were 7338 frauds amounting to nearly about Rs.1,32,000 crore and in 2021-22, there were 9097 frauds and the amount was around Rs.59,000 crore. In 2022-23, it was peaking; it was higher.

Six of the 11 banks do not even have the non-executive Chairmen, reported *The Wire* on 22nd June, 2023. Even the SBI has no such post. Over

one-third of the PSB Director posts numbering 64 are vacant as on 12th January, 2023. The RBI Governor has recently said that the quality of the Directors is not up to the mark. Since 2014, none of the 12 banks have Employee and Officer Directors which are mandated by the law. This is in spite of the Delhi High Court's directive. Still the Union Government is not heeding to it.

The MSME segment, which is the largest provider of employment, is in crisis. Only the large corporates are favoured by the Government, and the smaller MSME segments are ignored. The loan facilities are not extended to them. The banks will be under serious trouble because of the amounts they have written off and the kind of NPAs they are having. Sir, 599 corporate companies with loans of about Rs.100 crore get a loan at less than five per cent interest whereas a poor education loan borrower pays 11-12 per cent interest. So, do the MSME borrowers. Why is this anomaly? Sir, 30 per cent of the bank loans have been shifted to the non-banking finance companies which get loans from the banks at 10-11 per cent and lend at the rates of 36 per cent. Now even the ceiling has been lifted. If this is the case, if this continues, then the banking sector has to be looked upon, and both the Union Government and the Finance Minister have to pay attention to the banking sector.

My next point is about the GST. The GST has disturbed the small businesses and damaged the erstwhile sales tax system abruptly. Several lakh companies just could not cope up with the haphazard imposition of GST and

the implication of the GST *raj*. The MSME sector took a big battering first by the demonetization and then by the haphazard imposition of GST.

Sir, 100 per cent guarantee at a concessional rate of 9.25 per cent for the MSMEs under the ECLG Scheme with an overall ceiling of Rs.3 lakh crore was the second biggest component out of the overall Rs.20 lakh crore package announced in 2020 but nothing has happened. We heard only slogans like 'ease of doing business', 'one crore loan in 59 minutes'. They are all slogans.

Sir, the Finance Minister had prodded public sector banks to expeditiously ensure easier flow of credit to micro, small and medium enterprises, and asked them to simplify the processes. But bankers never heeded to the Finance Ministry, and still if a common man wants to get a loan, he has to face a lot of hardship.

There is a need for quick disbursement of additional loans to MSME segment. Hence, they urged bankers to simplify process, formats and documentation. But at the ground level it is very different. The banks ask too many questions and lay too many conditions, and finally reject the loan proposal. This happens to 99 per cent of SMBs out of 100. The Government should take a serious note of it and act accordingly.

Currently, the rate of interest on loans given by banks to MSMEs varies from 9.5 per cent to 17 per cent depending on the risk perceptions. But no one is getting loans with 9.5 per cent interest. It normally goes up to 14 to 15 per cent and even to 17 per cent also. This again is a trap and literally unviable for anyone to stabilize their business.

Sir, now let me talk about my State of Tamil Nadu. Our great Dravidian leaders Thanthai Periyar, Peraignar Anna and Muthamilarignar Dr. Kalaignar and our beloved Chief Minister M.K. Stalin have trained us to conquer the conqueror. Our Chief Minister, Thiru M.K. Stalin has evolved a new political theory for the entire Indian nation called 'The Dravidian Model of Administration'.

Sir, a Dravidian Model means, the face of a Dravidian government is not power, but love; not arrogance, but democracy; not ornamentation, but simplicity; not totalitarianism, but equality; not fanaticism, but social justice. That is why it is criticised by a few but loved and now followed by many States in India. The Dravidian model cannot be subjugated.

Sir, textile industry is a sunshine sector. There has been an increase in investments from International and domestic companies in Tamil Nadu. Our hon. Chief Minister called upon Japanese industrialists to expand their investments in the State and invest in infrastructure projects.

Sir, I would like to tell the House that six Memoranda of Understanding were signed between Tamil Nadu and Japanese companies towards investments to the tune of Rs.3818 crores in the State. Out of 82 projects, investment of Rs.52,549 crore is expected, which would provide employment opportunities to 92,000 people but the Finance Ministry is not even looking at the textile industry in Tamil Nadu. A number of projects are coming up in 22 districts across the State of Tamil Nadu. A new textile park has been

developed in Tamil Nadu. A new textile policy has evolved in the State of Tamil Nadu. But the Union Government is not caring about anything.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI D.M. KATHIR ANAND: I am concluding it, Sir.

Sir, the issue of MGNREGS is a very important issue. As per the reply given by the Government in Lok Sabha on 5th December, 2023, the Government had stated that about Rs.2000 crores are pending as wage liability to States and Rs.4000 crores are pending as material liability as of 5th December, 2023. The Government in its supplementary demands is asking for Rs.16,142 crores as additional grants. Sir, in view of the above, there are three questions that I want to ask to the Government. Presently, there is a total pending liability of Rs.6000 crore, and about four months of work is pending under MGNREGS. How does the Government plan to manage these demands with a small allocation of Rs.16,142 crores? How much of the allocated budget of Rs.60,000 for MGNREGS has been spent so far? Finally, the revised estimates would be Rs.76,000 crores for MGNREGS which would be 16.6% less than the 2022-23 RE of Rs.89,400 crores last year. When the number of active beneficiaries for the scheme is more than that of 2022-23, then why does the Revised Estimate allocation is less compared to the last year?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI D.M. KATHIR ANAND: Sir, I am concluding in two minutes. I am the only member from my party to participate in this discussion.

Sir, I belong to Vellore constituency, and I have got three major points which I want to discuss in this budget. Kindly give me an opportunity to continue.

Sir, we are talking about Swachh Bharat. The Government of India is spending too much money on Swachh Bharat Mission in all over India. But Swachh Bharat Mission does not include only clean city mission, even sanitation also comes under it. I belong to Vellore and it is a big Municipal Corporation. It is a land of mutiny where the struggle for independence started. I asked the Government many a time in this august House for a waste management project. Many proposals have been given to the Government of India. But nothing has happened in this budget. When we talk about development, NHAI is a very big organization in the Government of India.

15.00 hrs

Sir, nearly four years are over. The Government had announced major roads. One such major road, I would like to submit in this august House, is from Chennai to Bengaluru, which is a big corridor. Our hon. Minister, Shri Nitin Gadkari ji also talked about this many times in this Parliament.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI D.M. KATHIR ANAND: Sir, it is a very important matter.

Sir, the money has been given, the tender has been floated, but the work has not been completed. The NHAI contractors in Tamil Nadu are not heeding to the Government at all.

In my constituency, there are four bridges, which include Kandaneri-Vettuvanam, Ambur-Reddythoppu and Ambur New Town bridge, for which the funds have been allocated, but nothing has happened.

Sir, I will end by saying one single line. I would like to tell this august House and the Union Government one Thirukkural verse:

“Idippaarai illaa yemaraa mannan

keduppaar ilaanum kedum”

This means ‘The king, leader or businessman, who is without the guard of men who can rebuke him, will perish, even though there be no one to destroy him.’

Thank you.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants. I would have been happy if the Finance Minister was here. The whole House looks like a desert. The Finance Minister is not there. Out of the two Ministers of State, only one is there. One Minister for Tribal Affairs is there. The Law Minister is also there. The others have all escaped. What is the point of speaking, if the Ruling Party does not stay?

Anyway, the Government is going to enhance its spending by a little over Rs. 58,000 crore, with about one-third of this being allocated to subsidies. Gross additional expenditure met by savings of the Ministries and Departments and by enhanced receipts is Rs. 70,000 crore. Additional Rs. 14,524 crore have been given for MGNREGS. This would take total MGNREGS bill to Rs. 77,175 crore, which is lower than Rs. 89,150 crore last year.

Regarding MGNREGS, I am saying that this Union Government is being cruel to West Bengal. It has deprived us of Rs. 7,300 crore. People who have worked for MGNREGS are being deprived of their wages. I have never heard of such a Government here. They will have to pay for this cruelty to West Bengal farmers. The Chief Minister has said yesterday that total dues from the Centre amount to Rs. 1,15,000 crore. The Chief Minister will be coming next year to make her demand to the Prime Minister and other Central Ministers. I demand in this House that West Bengal dues be paid.

Having said that, I will say a few words about the economic situation. The Finance Minister in her Rajya Sabha speech said that the Centre has

addressed the issues of inflation, unemployment and inequality. I shall take them up one by one.

Let me say that the Centre is confident of achieving fiscal deficit target of 5.9 per cent and is committed to lowering the fiscal deficit to 4.5 per cent in two years. Now, let us look at the Budget. *The Economist* of London says that sluggish investment is holding India back. Investment as part of GDP was 40 per cent in 2008 and is now 34 per cent. The money is not going into factories, research and private business, rather in infrastructure funded by the Government.

As a result of this, Foreign Direct Investment, FDI, fell by 16 per cent to \$71 billion in the fiscal year ending March 31st, 2023. FDI is falling. Finance Minister said that all is right in the State of Denmark. Out of the \$120 billion worth of projects scheduled to be completed by 2023, only \$72 billion worth of projects were finished. This is the condition of infrastructure.

I came across an article by Eswar Prasad, Cornell Professor. He said: "The country's infrastructure has many gaps in supporting a vibrant manufacturing sector. The educational sector is not equipping young people with the vocational and educational skills needed for a modern economy." Job growth has been weak with little net employment creation in the manufacturing and service sectors. This raises fears of social instability. People go unemployed, society will be disturbed. Professor Prasad says: "Endemic corruption continues to hold back business dynamism as politically well-connected conglomerates have accounted for significant share of growth

leading to a concentration of economic power.” A well-functioning legal system, a free Press, and other checks and balances are key to maintaining investors’ confidence. This Government has been prickly about criticism. So, this has held back investment. अगर लोगों को चिंता रहती है कि सरकार के खिलाफ कोई भी बोलेगा, तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई पड़ जाएंगे, तो कोई यहां आकर इन्वेस्ट नहीं करेगा।

Now, I am reading *Financial Times*, which is the most respected economic journal in the world. What do they say about Indian economy? We are talking about stock market. They say: “Indian upper middle class that invests in the local stock market accounts for three per cent. In China, it is 13 per cent. It is 55 per cent in USA. So, a very low percentage of people invest in the stock market. The benefits of India’s growth have been distributed shockingly unequally. Whereas its share of GDP going to the top one per cent grew in China between the 1980s and the 2010s from seven per cent to 13 per cent, in India, it rose from 10 per cent to 22 per cent. So, inequality is there. India today is more unequal than even post-apartheid South Africa and Putin’s Russia.” ...(व्यवधान) क्या है

I am not saying this. This is *Financial Times*. ... (Interruptions) Uday ji, you are one of the persons who read a few business magazines.

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, रूल 216 कहता है कि : “The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying...” ये वही सारे बोल रहे हैं। सर, आप इनको डिमांड फोर ग्रांट्स पर बोलने के लिए कहिए।...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, now, when we talk about stock markets, who is the biggest beneficiary of stock market? ... (*Interruptions*) प्रॉब्लम क्या है?

HON. CHAIRPERSON: You confine it to demands for grants.

PROF. SOUGATA RAY: The *Financial Times* says the biggest beneficiary of stock market is – I am not saying this – ...* whose connection with ...* goes back to the aftermath of Gujarat riots. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Don't speak such words.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Remove these words. It will not go into the records.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It will not go into the records.

... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, ऐसा नहीं है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप आगे बढ़िए।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, यह केवल डिमांड फोर ग्रान्ट्स पर बोलेंगे। यह गलत है।... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, ...*and ...* are ...* partners in nation building. ... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : फिर, सर।

HON. CHAIRPERSON: It will not go into the records. Do not speak it.

... (*Interruptions*)

* Not recorded.

PROF. SOUGATA RAY : Sir, ...* and ...* are ...* partners in ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: What he is saying will not go in the record.

... (*Interruptions*)...*

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, ये क्या कर रहे हैं? माइक में ऐसे कुछ भी बोल देंगे। ऐसे थोड़े ही होगा...
(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैंने किसी का नाम नहीं बोला।... (व्यवधान) ...* and ...* are ...* partners in nation-building. ... (*Interruptions*) But they are not globally competitive ...
(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly address the Chair.

... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, ...* are not globally competitive entrepreneurs. ...
(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Why are you repeating?

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It will not go in the record.

... (*Interruptions*)...*

PROF. SOUGATA RAY: Sir, in 1980, India lost out to China in manufacturing. What is happening in India is that in 2020 World Bank's Human Capital Index, which measures education and health outcomes, India had a score of 0.49 that is well below Nepal and Kenya, which are both poor countries. China had a score of 0.65. Since 1990, Indian women's labour participation has fallen from 32 per cent to 25 per cent. There are hundreds of millions of unemployed and

* Not recorded.

unskilled youth. The biggest problem today is unemployment and this is borne out by the World Bank Report. ... *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now.

... *(Interruptions)*

PROF. SOUGATA RAY: Sir, why are you not giving me time to speak?

HON. CHAIRPERSON: No, you have been given enough time.

... *(Interruptions)*

PROF. SOUGATA RAY: Sir, Nishikant ji went on speaking. You kept quiet. ... *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: No, there is no question of keeping quiet.

... *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: You have been given enough time.

... *(Interruptions)*

प्रो. सौगत राय : सर, आप मेरी बात सुनिये।

HON. CHAIRPERSON: Now, you conclude your speech.

... *(Interruptions)*

PROF. SOUGATA RAY: Sir, unemployment among under 25 is already more than 45 per cent. Despite progress in many matrices, a substantive welfare state remains an illusion.

I want to say that in per-capita GDP index out of 194 nations, we are at 133. From 2014 to 2023, the price of rice has risen by 56 per cent, wheat by 59 per cent and milk by 61 per cent. Impact on growth is not being felt on the ground. Literacy is only 74 per cent. Unemployment rate for 15-24 years is 23

per cent, and for graduates it is 42 per cent. देश की हालत के बारे में सुनिये। All is not well in the state of ... (*Interruptions*). India has 23 crore poor people, and among children 16.3 per cent are under-nourished. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Sougata Ray ji, kindly conclude now.

... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, according to McKinsey, India needs to boost its rate of employment growth and get 90 million non-farm jobs per year between 2023 and 2030 to increase economic growth. The net employment rate needs to grow by 1.5 per cent per annum. ... (*Interruptions*)

This is neither an economic recovery nor is it a growth-oriented economy. It is an economy which benefits only the ...* and ...* ... (*Interruptions*) Thank you, Sir.

* Not recorded.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अपनी बात रख रहा हूँ। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 58 हजार 378 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के लिए लोकसभा में ये अनुपूरक मांगें पेश की हैं और एक लाख 29 हजार करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय इस अनुपूरक मांगों में शामिल की हैं। इस अतिरिक्त खर्च में उर्वरक सब्सिडी का करीब 13 हजार 351 करोड़ रुपये का खर्च शामिल है।

महोदय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश विश्व में 7वें स्थान पर है। जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा था, किन्तु वर्ष 2023 के मध्य से हम प्रथम स्थान पर हैं और केवल 2.4 प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या के 17.76 प्रतिशत भाग को शरण प्रदान करता है।

वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था मानक मूल्यों के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2005 में यह 10वें स्थान पर थी।

साल 2014 से मौजूदा साल 2023 तक देश का आर्थिक सफर ऐसा रहा है, जिसे रोलर कोस्टर राइड कह सकते हैं। कोविड के संकटकाल से जूझती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था की हालत भी डगमगाई थी, जबकि आज कोविड के संकटकाल से बाहर आकर भारतीय इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यह वास्तव में हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और यह माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में ही संभव हुआ है।

महोदय, जब वर्ष 2014 में केन्द्र में माननीय मोदी जी की सरकार आई तो वैश्विक जीडीपी में भारत का हिस्सा 2.6 फीसदी पर था। आज इसे देखें तो यह बढ़कर 3.5 फीसदी पर आ चुका है। आजादी के 75वें साल में यह आंकड़ा देश का हौसला बढ़ाने का काम कर रहा है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक देश के जीएसटी कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। महोदय, अभी देश ने आर्थिक मोर्चे पर काफी शानदार मुकाम हासिल किया है और ग्लोबल चुनौतीपूर्ण माहौल में भी यहाँ आर्थिक विकास थमा नहीं है। देश भर में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। देश के हर गाँव, कस्बे को सड़कों और रेलमार्गों से जोड़ा जा रहा है। प्रतिदिन सड़क बनाने का रिकॉर्ड भी बन रहा है।

महोदय, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने में अक्सर देरी होती है, जिसके कारण लागत में वृद्धि होती है, जिसका बजटीय आवश्यकताओं के साथ-साथ संचालन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में वर्ष 2017 में पुणे से लोनावाला तक तीसरे और चौथे ट्रैक को बनाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन 1600 करोड़ रुपये का बजट अभी 2,700 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने महारेल की स्थापना की है। उसके द्वारा महाराष्ट्र सरकार ने समुचित सहमति दी है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि रेलवे बोर्ड ने अगर मंजूरी दी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और रेलवे विभाग द्वारा तीसरे और चौथे ट्रैक, जो महत्वपूर्ण है, पुणे और मुम्बई को जोड़ने वाला, वह पूर्ण हो सकता है। मैं इन अनुदानों की मांग के तहत यह भी मांग करता हूँ कि इस तीसरे और चौथे ट्रैक को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए।

महोदय, देश के हर गाँव को सड़क से जोड़ा जाए और देश को विश्वस्तरीय सड़क प्रदान हो, यह सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इस सपने को पूरा करने का कार्य माननीय गडकरी जी कर रहे हैं। आज प्रतिदिन 20 किलोमीटर से अधिक रिकॉर्ड सड़क निर्माण कार्य माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में हो रहा है। महोदय, वर्ष 2023-24 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कुल खर्च 2,70,435 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 25 प्रतिशत अधिक है। सबसे अधिक व्यय एनएचएआई के लिए किया गया है। वर्ष 2023-24 में एनएचएआई को 1,62,207 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2013 तक देश में 90 प्रतिशत यात्री यातायात और 67 प्रतिशत माल यातायात सड़क नेटवर्क से किया गया था। भारतीय सड़कों के नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, शहरी सड़कें और परियोजना सड़कें शामिल हैं। मार्च 2019 तक सभी सड़कों में 71 प्रतिशत ग्रामीण सड़कें थीं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 प्रतिशत थे। इसके अलावा जिला सड़कें 10 प्रतिशत और शहरी सड़कें 9 प्रतिशत हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में ऐसी सड़कें शामिल हैं, जो प्रमुख बंदरगाहों, पड़ोसी देशों, राज्यों की राजधानियों और व्यवहार कौशल आधार पर जरूरी सड़कों को जोड़ती हैं।

सभापति जी, मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में 13 हजार किलोमीटर के निर्माण की परिकल्पना की है। वर्ष 2023-24 में अक्तूबर तक 4474 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है जबकि पिछले वित्त वर्ष में अक्तूबर तक यह आंकड़ा 4060 किलोमीटर का था। परिवहन के सामूहिक विकास के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को अक्तूबर, 2021 में लांच किया गया था। इससे आर्थिक विकास, बेहतर व्यापार प्रतिस्पर्धा, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में मदद मिल रही है।

महोदय, मंत्रालय शहरी क्षेत्रों प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), देश भर में 100 स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जैसी योजनाएं चलाकर देश को विकास की ओर अग्रसर करने का कार्य कर रहा है। महोदय, महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र सरकार किसानों की मदद कर रही है लेकिन केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि महाराष्ट्र सरकार को किसानों की मदद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। माननीय प्रधान मंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत 'हर घर जल' योजना में और भी अधिक सहायता की आवश्यकता है। नदी सुधार योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत नदियों के पानी को साफ और स्वच्छ बनाने की योजना यदि चलाई जाती तो नदियां दूषित न होतीं। अभी पीने के पानी के साथ नदियों का दूषित पानी मिल जाता है और इस पानी को पीने से देश में कैंसर रोगी बढ़ रहे हैं। मेरी मांग है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को और अधिक प्रोत्साहन देकर सभी राज्य सरकारों के साथ एक बैठक कर नदियों के दूषित पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर शुद्ध किया जाए और इस विषय पर एक ठोस कानून बनाकर राज्यों के साथ भागीदारी कर नदियों को साफ और स्वच्छ बनाया जाए। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को विविध योजनाओं के पैकेज का पैसा समय पर नहीं मिला, जैसे कि जीएसटी का हिस्सा भी राज्य सरकार को समय से नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से महाराष्ट्र राज्य को अतिरिक्त या एक स्पेशल आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग करता हूं जिससे कि जो भी

परियोजनाएं किसी कारणवश आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में रुकी हुई हैं, उस राशि से उन परियोजनाओं को पूरा किया जा सके और राज्य के निवासियों के साथ ही साथ देश के अन्य नागरिकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

महोदय, इसी के साथ मैं वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, thank you for allowing me to speak on the Supplementary Demands for Grants.

The Government is asking for an extra funding to the tune of Rs. 58,378 crore. A majority of this amount is going like this: an amount of Rs. 13,000 crore for fertilizers, Rs. 14000 crore for MGNREGA, Rs. 5,000 crore for food subsidy, and cylinder subsidy is Rs. 8,500 crore. It comes to a total of around Rs. 40,000 crore, which means 70 per cent of this expenditure is going towards rural economy, towards farmers, towards middle class people. This is not something new that is happening. The same thing has been happening for the last so many years, or at least for the four years when I am here. Every time we come to the Supplementary Demands for Grants. They keep asking money under these heads, and they keep getting funds under these heads. But somehow the rural economy is not moving anywhere. When we look at the consumption patterns, what is going up is this: luxury apartments are going up; fancy car sales are going up; malls and restaurants are completely full; hotel rooms are getting pricier.

Sale of mobile phones worth Rs.30,000 is really going well. Price of flight tickets, as my friend is saying, is also going up. These are all the

consumption patterns of the rich people which are really, really going up. But those who are actually suffering are the people in the rural areas. If you look at the consumption patterns in the rural areas, FMGC sales, like sale of shampoos and all those things which give the idea of how they are spending, are actually going down in the rural areas. Sale of affordable homes is going down. Bike sale is going down. Somehow, even after doing all this year and after – we are increasing the food subsidy, we are increasing MGNREGA allocation and everything – still we are not able to put enough money in the hands of people so that the rural economy gets revived.

Adding to this is the recent drought condition and also the cyclone that has hit Andhra Pradesh; 103 mandals in Andhra Pradesh have been hit by drought. Cropping in these 103 mandals has come down by almost 40 per cent. Also because of Michaung cyclone, which has hit eight districts of Andhra Pradesh, 20 lakh acres of crop in Andhra Pradesh have been affected. It includes 12 lakh acres of paddy crop, 2.5 lakh acres of chilly crop and 5.5 lakh acres of other crops as well. Even after getting the money and everything from the banks and various places – farmers are investing so much into that – they lost to the tune of almost Rs.20,000 per acre. If this is put into the equation of 20 lakh acres being affected, it comes to anywhere between Rs.5500 crore and Rs.6000 crore only in Andhra Pradesh because of the cyclone that has affected them. So, the demand from YSR Congress Party from our State is to increase the number of MGNREGA working days, and to increase the State Disaster Response Fund. We have been given Rs.493

crore which is pittance when we are seeing almost Rs.5500 crore of losses in cyclone itself. So, we want it to be increased to at least Rs.2000 crore.

Also, more importantly, there is a promise made almost two years back in the old Parliament House wherein there was a mention of interlinking of Godavari and Pennar. If it had happened, the drought condition that is prevalent in my district and most of the districts in Andhra Pradesh could have been averted. We have been seeing that and we have been hearing that from the Union Government but the project is not moving anywhere. So, we request and we demand for the people of Andhra Pradesh that this should be fulfilled.

Also, there is a huge outlay of almost Rs.10 lakh crore under capital expenditure in the Budget. We are in the month of December. There are only three months left. Out of that only 57 per cent has been spent until now. Still Rs.4.3 lakh crore have not been spent. Only three months are left. Recently the Railway Minister was there in Andhra Pradesh. He was making a comment. When we asked about the railway zone, he made a comment that the State has not given the land. But I will give you the other avenues, the other areas where the State has taken the initiative, where the State has given the land, where the State has pursued a number of times. Take, for example, the National Highways. They are not only related to our State; they are related to everyone here. There are a number of projects that have been sanctioned by NHAI in Andhra Pradesh. But the seven projects under Bharatmala have been given to Andhra Pradesh wherein more than 90 per cent of the land has been acquired; 3D is done; 3G is done. Amounts have been delivered to the

farmers as well. Tenders have been floated. After the tenders have been floated, the first bidder has been identified. After pursuing for four years, after a lot of initiation from our State Government, still the letter of intent has not been given. It is not only related to my State; it is related to most of the States. When we enquired about this why this has been withheld, they kept on saying that there is a new policy that has come into place wherein Bharatmala projects which have not been completed up to 20 per cent have been put on hold. This is the explanation that the Union Government is giving. So, we request that these projects should be expedited.

Also coming to the Polavaram project, this has been the demand of Andhra Pradesh. This has been included as a national project in the AP Reorganisation Act. But we have been asking for it so many times. We know this by heart because we have been repeating it. It is being repeated not only by me, by the Members of my Party as well for the last nine years. Rs.2937 crore of pending bills are there with the Central Government which has not been given. We have been asking for an allocation of Rs.10,485 crore as an *ad hoc* payment so that the project moves. The engineering design and everything is being taken care of by the Central Government. So, they have to look at it.

An allocation of Rs. 10,485 crore, an ad-hoc payment which has been asked by the State Government, has not been done. An allocation of R&R package -- which we have been asking and which will affect the people of Odisha also -- has also not been done.

Now, I come to the educational institutions. There are IITs, IISERs, IIM, NITs, Central University, Petroleum University, Agricultural University, IIIT, Tribal University which have been sanctioned to the State of Andhra Pradesh in the A.P. Reorganisation Act. Nine years have already elapsed but none of these campuses, except AIIMS, are working from a permanent building even now. I am mentioning about all these projects. Land has been given and everything has been given. But the work is not moving at the pace it is supposed to move. Even we have made a proposal with regard to setting up of new medical colleges. The setting up of 13 medical colleges have been proposed and three have been sanctioned. We are still asking for another ten to be sanctioned, but we are awaiting the response from the Union Government in this regard.

Now, I come to Godavari-Penna rivers interlinking project. We had announced it almost three or four years back. The project is not moving anywhere. They are not able to make Telangana and Andhra Pradesh sit together so as to find an amicable solution. It is not moving anywhere. Almost Rs. 4.3 lakh crore, which has been allocated, has been left behind in capital expenditure which can be spent on this. I request the Union Government to look into this matter.

I am now concluding by mentioning about special category status. This has been the demand of the State of Andhra Pradesh. We have been demanding it for the last nine years. It was promised in the Parliament. We have been requesting for the same numerous times. I know that this is the last

year. But we will not stop asking for it. This is a promise made by the Parliament.

Therefore, we request on behalf of the State of Andhra Pradesh, and we demand on behalf of the people of Andhra Pradesh, that a special category status be given to the State of Andhra Pradesh.

Thank you very much.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, सरकार वर्ष 2023-24 की अतिरिक्त 59,378 करोड़ रुपये की मांग ले कर आई है। यह मुख्य रूप से खाद्य, एलपीजी एवं उर्वरक पर सब्सिडी और मनरेगा के लिए माँग की जा रही है। महोदय, आज देश में मंहगाई की समस्या जनता के लिए काफी परेशानी का विषय है। खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब तो आरबीआई ने भी अपनी चिंता सरकार को बता दी है। एलपीजी के रेट पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तो साइड ही कर दिया गया है। अच्छा है कि केंद्र सरकार की पार्टी की कई राज्यों में सरकार बन गई है और अब वहां एलपीजी 450 रुपये मिलेगी। फिर हम पूरे देश में एक समान रेट चाहेंगे। बेरोजगारी की तो कोई बात ही सरकार नहीं कर रही है।

महोदय मैं बिहार से आता हूँ। अतः अपने बिहार राज्य के कुछ बिंदुओं को आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। बिहार राज्य विकास की रफ्तार में सबसे पिछले पायदान पर आ गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट और रघुराम राजन कमिटी की रिपोर्ट को देखा जाए। बिहार सरकार के माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सर्वप्रथम 9 दिसंबर, 2005 को माननीय प्रधान मंत्री जी को मेमोरेण्डम दे कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। सरकार एनडीसी के तर्क को आधार मान कर विशेष राज्य का दर्जा देने से इंकार कर रही है। यह रिपोर्ट वर्ष 2012 की है। अब प्रश्न है कि उस समय एनडीसी के मापदण्ड पर 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। एनडीसी के भी मापदण्ड में पिछड़ेपन और सामाजिक पिछड़ापन भी एक मापदण्ड है। वही आधार तो रघुराम राजन और नीति आयोग की रिपोर्ट दर्शाती है और बिहार को देश का अतिपिछड़ा राज्य कहती है। फिर बिहार को हक को क्यों नज़रअंदाज़ किया जा रहा है? बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले 18 वर्षों से बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो भी काम किए हैं। आज सभी राज्य उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी अच्छी योजनाएं कई राज्यों एवं केंद्र सरकार में भी अपने ढंग से लागू कर रही है। अगर बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, तो यह बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन से उबरने में काफी मदद करेगा और बिहार भी अन्य राज्यों के समकक्ष खड़ा हो जाएगा।

महोदय, अब मैं बिहार के साथ केंद्र सरकार द्वारा कैसे भेदभाव किया जा रहा है, उसका उल्लेख करना चाहता हूँ।

पिछले 10 वर्षों में केंद्र के भेदभाव के कारण 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा में कमी की गई, उससे अभी तक बिहार राज्य को 61,195.80 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इसी प्रकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र-राज्य के अनुपात को भी लगातार घटाया जा रहा है, जिसके कारण वर्ष 2022-23 तक बिहार को 31,000 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। सर्व शिक्षा अभियान-समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में केन्द्रांश की राशि 3,799.29 करोड़ रुपये बिहार को प्राप्त हुई, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में घट कर 2,623.90 करोड़ रुपये हो गई। छात्रवृत्ति की राशि राज्य सरकार को खुद वहन करना पड़ रही है, क्योंकि भारत सरकार ने उसमें राशि देना बंद कर दिया है। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन में भी लाभुकों की संख्या राज्य में 34,80,775 है। किंतु, केन्द्र सरकार 31,57,256 लाभुकों को ही पेंशन राशि निर्गत करती है और 3,33,495 लाभुकों का लगभग 1358.28 करोड़ रुपये का खर्च बिहार सरकार को वहन करना पड़ता है।

बिहार सरकार ने वर्ष 2023 में जातिगत गणना और आर्थिक सर्वेक्षण अपने खर्च पर करवा लिया है। राज्य की अब कुल आबादी 13.07 करोड़ हो गई है। इस गणना ने राज्य में जाति आधारित परिवारों के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को सामने ला दिया है। रोजगार की स्थिति भी साफ हो गयी है। सरकारी क्षेत्र में मात्र 1.57 प्रतिशत तथा संगठित निजी क्षेत्र में 1.22 प्रतिशत लोगों को रोजगार उपलब्ध है। बिहार राज्य में कुल आबादी का 24 से 43 प्रतिशत कृषक, मजदूर, मिस्त्री एवं अन्य श्रेणी के परिवार हैं। इनमें 4000 रुपये आमदनी तक वाले 34.13 प्रतिशत हैं, 10,000 रुपये आमदनी तक वाले 29.61 प्रतिशत, 20,000 रुपये तक वाले 18.06 प्रतिशत और 50,000 रुपये से अधिक आय वाले मात्र 9.83 प्रतिशत लोग हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना में बिहार को जो राशि मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। राज्य सरकार को

प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3 में भी उस योजना की मंजूरी नहीं दी गई और मरम्मत के लिए जो योजना आई, उसमें भी एक पैसा नहीं दिया गया।

महोदय, हम लोगों को सौभाग्यशाली कहिए या दुर्भाग्यशाली कहिए, इस विभाग के मंत्री जी भी हमारे राज्य से हैं, लेकिन हम लोगों को जो हक मिलना चाहिए, वह भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब हम राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में कुछ उल्लेख करना चाहते हैं, जो हमारे इलाके में चलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 106 है, इस विभाग के मंत्री जी तो बहुत डायनेमिक हैं और सभी सांसदों को सुनते हैं, यह गलत नहीं है। लेकिन हमारी जो पीड़ा है, उसे हम बताना चाहते हैं। वीरपुर से उदाकिशुनगंज 106 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका काम वर्ष 2015 में शुरू हुआ और पथ में वीरपुर से सिमराही तक और हरैली से उदाकिशुनगंज तक काम बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है। माणिकपुर रेलवे ढाला पर एक आरओबी भी बनना है। कई वर्षों से हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि पिलर बन कर तैयार हो गया है, लेकिन ऊपर का काम नहीं हो रहा है। सिंहेश्वर से माणिकपुर तक एक बाईपास बनना है। इसके सर्वे का टेंडर हो गया है, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी सड़क पर उदाकिशुनगंज-विहपुर कोशी नदी पर पुल सहित 28 किलोमीटर की जो सड़क है, इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी किये थे। इस काम को मार्च, 2024 तक पूरा होना था। हम लोग भी उम्मीद लगाए हुए थे कि लोग सभा का चुनाव आएगा, उसके पहले हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन काम की गति इतनी धीमी है कि हमें लगता है कि पुल बनाने में कई वर्ष लगेंगे। उसमें 20 किलोमीटर की जो सड़क है, वह उदाकिशुनगंज से फुलौत तक है। उसमें कलवर्ट बनाकर छोड़ दिया गया है। उसमें पथ निर्माण का काम नहीं हो रहा है। नेशनल हाईवे 107, जो महेशखूंट से सहरसा-पूर्णिया तक जाता है। उसके पैकेज वन में महेशखूंट से सहरसा-मधेपुरा तक 90 किलोमीटर है इसका एजेंसी जीएनएन है। जो एजेंसी होती है, वह अपने आप काम नहीं करती है। वह कागज-पत्र के आधार पर काम तो अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन वह खुद उसे नहीं करती है। उसने पेटी कांटेक्टर राजकेसरी प्राइवेट लिमिटेड, रांची को दे दिया।

यह काम वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। इसे दो साल में पूर्ण करना था, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ।

सड़क की स्थिति यह है कि माली, मैना, सोनवर्षा राज में कालीकरण नहीं किया गया। बड़सम, पड़री गांव में भी कालीकरण का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। जो बाईपास है सोनवर्षा-राज, सिमरी-बख्तियारपुर, सहरसा, मठाही में, वहां मुख्य सड़क के बगल में तो थोड़ा काम कर देते हैं, लेकिन समवेदक भीतर तक काम नहीं कर रहा है। दो अंडरपास बैजनाथपुर और सोनवर्षा में बने। दो साल पहले अंडरपास बन गया, लेकिन उसका एप्रोच रोड नहीं बन रहा है। सहरसा में जो आरओबी है, उसका तो काम ही नहीं शुरू किया गया। मठाही, सिमरी-बख्तियारपुर में आरओबी का एक-एक पिलर बनाकर छोड़ दिया गया है। हमने माननीय मंत्री जी से एक सड़क की मांग की थी। बिदूपुर-दलसिंहसराय-सिमरी-बख्तियारपुर-उदाकिशुनगंज-पूर्णिया तक जो 235 किलोमीटर की सड़क है, जब यह सड़क बन जाएगी तो पूर्णिया से पटना आने में 133 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। सोनवर्षा राज से लिटयाही तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

महोदय, एक-दो पॉइंट रेल के बारे में भी कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : सर, कुछ महीने में लोक सभा चुनाव में जाना है। कुछ बोलने नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे यहां सहरसा महत्वपूर्ण स्टेशन है। वह अमृत भारत स्टेशन योजना में सम्मिलित हो गया है, राशि भी दे दी गई है। अखबार में बार-बार रेल के पदाधिकारी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वहां कुछ काम नहीं हो रहा है। वहां लाइट ओवर ब्रिज गंगजला में स्वीकृत है, उसका भी काम नहीं हो रहा है... (व्यवधान)

माननीय सभापति : काम भी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : रैक पॉइंट शहर में है। धूल से लोग परेशान हैं। स्कूल के बच्चों को भी परेशानी होती है।

माननीय सभापति : मैं दूसरे वक्ता का नाम बोलता हूँ, आप समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र यादव : इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए।

हम एक अंतिम बात सबके लिए करना चाहते हैं। स्मरण होगा कि तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय जेटली साहब ने भी लोक सभा में इस बात को कहा था। यह बात हम इसलिए कहते हैं कि महंगाई के चलते आम लोग परेशान हैं और सांसद भी उससे अछूता नहीं है। सांसद भी परेशान है। सभी लोग धन-कुबेर नहीं हैं। जिनका कारोबार बहुत लंबा-चौड़ा है, वे बुरा नहीं मानें, लेकिन गरीब लोग भी हैं, साधारण लोग भी हैं। महंगाई से लोग परेशान हैं। सांसदों के वेतन पर ... (व्यवधान) सरकार को विचार करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री पिनाकी मिश्रा जी।

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving my party Biju Janata Dal an opportunity to present our views on this Supplementary Demands for Grants of 2023-24.

Sir, these Supplementary Demands for Grants are about Rs. 45 lakh crore for the year, which was first envisaged in the Budget of 2023-24. It proposes an incremental cash outgo of Rs.58,378 crore, which is an increase of one per cent in expenditure over the Budget Estimates. I compliment the Finance Minister for keeping a very tight fiscal rate in the first Supplementary Demands for Grants, which is very, very possible and doable. I think this House should have no difficulty at all in approving this.

Most of the heads under which the demands are being sought for expansion in expenditure are all related to social sector. One of the heads is chemical and fertilizers which are very important, obviously, for farmers. Then there is defence. There will be nobody in the House who will raise the question on the increase in defence expenditure. Then, there is consumer affairs, food and public distribution. This is particularly a very laudable thing. My Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji was the first person who had requested the hon. Prime Minister I think in December, 2023, that Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana which was to be discontinued starting from 2024, should be continued for another period of at least three to five years.

The Prime Minister acceded to that request and it has now gone up by another five years. Therefore, Rs. 5500 crore for the very marginalised and

the poorest sections is absolutely fine and, I think, this House will welcome that.

The additional demand for MGNREGA again is something which, I believed, is very, very important for the rural sector. Although it does highlight one dismal fact that there has been great poverty still in the rural sector and the rural sector economy, as one of my distinguished colleagues Mr. Srikrishna spoke it, really has not picked up and kept pace the way the urban sector has been picking up in this country. So, there is a lopsided development between this India and Bharat as it is an old conundrum in this country and that continues to obtain. That is a matter of some concern and headache for the Government. I do not know how they are planning to go forward and keep a finer balance in this regard.

There is an additional expenditure being sought for petroleum as well as for providing LPG. Again, this is a welcome move because this gives succour to households which are solely in need of subsidies. As far as telecommunications is concerned, for capital infusion, for optical fibre control-based network services, and for defence services, again, this is very, very laudable.

There is one area where I could not figure out why it has taken such a serious jump from Rs. 18000 crore. It has gone up by Rs. 11000 crores and this is a 61 per cent whopping jump with regards to the Ministry of External Affairs. I believe, it is because of the guarantee of Rs. 9000 odd crores given by the Exim Bank for providing loans but I hope the Minister is able to tell the

House why there has been this 61 per cent jump in external affairs which is a little inexplicable.

Coming to the figures put out for the first six months from April to October for tax revenues, one of the issues which will concern the House and which should concern the Government as well is that the GST tax revenues have been collected at only 56 per cent of year's target compared to 63 per cent last year in the same period. I do not understand why this is happening to an economy which is growing at 7.5 per cent and odd. The only obvious reason is that there is clearly a lot of leakage still happening. There is a lot of tax avoidance that continues to happen. I think this is not just in GST because if you look at the income tax numbers, there are only 9 crore tax assesses in a population of 140 crore and out of them, the actual tax payers, three crores and odd file nil returns. All tax assesses are not tax payers. So, only 6.65 crores actually pay some tax. Out of that, 76 per cent comes from only 32 lakh people which is five per cent of the tax payers. Therefore, the tax base is clearly still exceptionally narrow compared to this vast population that we have here. The hope of the Government of cash shrinkage in the economy clearly has not worked out as Rs. 32 lakh crore today is the cash in circulation. Many of us are witnessing the kind of cash that has been pulled out of the cupboards. If 32 lakh crore is double of what it was in 2016, when demonetisation took place when it was 16 lakh crores, it is a double of that amount today in circulation. Therefore, the tax collection system and the tax laws clearly in this country are not sufficing. I know that my colleague Mr.

Nishakant Dubey had earlier lamented that people in the House are speaking on everything except the Demands for Grants, I have tried to keep to the Demands for Grants but this has been the convention of the House cutting across party lines that people do it during Supplementary Demands for Grants and speak on other issues relating to their State as well. So, there is a breach of that so called rule and, therefore, I will stick to the breach and mention five problems of my State before you, Mr. Chairman, and through you to the Minister.

First is the release of State-specific grants as per the recommendations of the Fifteenth Finance Commission. The Fifteenth Finance Commission had recommended Rs. 775 crores for Odisha during 2022-23 to 2025-26. This includes Rs. 800 crore towards early-warning dissemination system for cyclone-prone areas. Everybody in this House knows how every year Odisha is virtually prone to massive cyclones on the Eastern coast. Therefore, this is absolutely of paramount importance and we would request the Union Government, through you, to expedite release of the State-specific grants including those which relate to the specific needs of the State, as identified by the 15th Finance Commission.

The second point relates to the Centrally-sponsored schemes. There should be an advance indication. This is not just Odisha but I think every State has the same lament here. We as Members of Parliament represent our different States and all the States have the same concern that there should be an advance indication about the annual allocation for each State at the time of

Budget formulation so that the States will be able to prepare the Budget on a more realistic basis. What is happening today is a complete *ad hoc* functioning through the year as a result of which the release of funds does not match the allocation. We in Odisha have experienced such irregular flow of funds in many of the schemes that the actual Central assistance eventually turns out to be substantially lower than what was either approved or anticipated in the beginning of the year. Therefore, Sir, we urge the hon. Minister, through you, that the Government of India should evolve a single window system for communication of annual allocation and sharing pattern of all Centrally sponsored schemes to the States and ensure release of Central assistance, as per commitment, at the earliest.

Point number three is again specific to Odisha. We have had a huge trouble because of the delinking of eight Centrally sponsored schemes from Central support. Discontinuance of special plan for KBK districts – Koraput, Balangir, Kalahandi, which are the most backward districts in the country, and discontinuance of Central assistance for IAP districts, and abolition of normal Central assistance and steep increase in the State's share of Centrally sponsored schemes have imposed a severe financial burden on the State. So, with natural disasters, perpetually besetting Odisha, our request to the Central Government is this. Now that you have done away with this whole thing of providing special category status to States, kindly at least work on what Mr. Naveen Patnaik has repeatedly requested the Centre. We are requesting you

to accord Odisha and also three or four other States, 'special focus status' so that at least, there is some immediate succour to us.

Point number four relates to the restoration of Central assistance for area development programmes in Left Wing States. These include not just Odisha but also our neighbouring States like Telangana, Andhra Pradesh and Chhattisgarh, which have the same problem. So, this discontinuance of Central assistance for area development programmes of KBK backward region, IAP and LWE States, has affected the development programmes of all these States. So, I speak on behalf of all these States when I request the Central Government for restoration of central assistance for these area development programmes.

Lastly, Mr. Chairman Sir, as the entire House knows, Odisha is a pioneer in power sector reforms since 2000 when Mr. Naveen Patnaik first took over the charge of Chief Minister almost 24 years ago. He has had his five terms now, and going into sixth term. After August 2024, he will be the longest serving Chief Minister in this country, and I dare say, that is a record which is unlikely to be broken for a large State or a medium sized State like Odisha. Mr. Pawan Chamling from Sikkim is the only person now who is the longest serving Chief Minister, and Mr. Patnaik will cross that record in August 2024. May God bless him with a long life.

Odisha is a pioneer in power sector reforms and we have adopted the PPP model in all the areas of distribution, etc. But while the State has been a beneficiary of some rural electrification schemes, we have been kept out of the

IPDS and the Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana. Therefore, the DISCOMS in Odisha are being deprived of the Revamped Distribution Sector Scheme which is not helpful at all for the consumers because prices continue to remain inordinately high. Therefore, in order to provide electricity at lower tariffs to the consumers at large, I would request the hon. Minister, through you, to kindly look into this aspect.

Mr. Chairman, I am also very grateful to you for having given me the time to present my views on the First Batch of Supplementary Demands for Grants. Thank you very much.

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Sir, I would like to talk about the State of Telangana as there are a number of long-pending demands which remain unfulfilled in spite of regular follow-up and correspondence by our BRS Party President KCR Sir, State Ministers and MPs to the Central Government.

The major demands include fulfilment of promises made to Telangana in the AP Reorganisation Act, 2014, industrial incentives, national project status for either Kaleshwaram or Palamuru-Rangareddy Lift Irrigation Scheme and increase in seats in the Legislative Assembly from 119 to 153 by way of delimitation.

The BRS Government has been demanding setting up of a railway coach factory in Kazipet but instead of that, a Periodical Overhauling Workshop was sanctioned after a decade, and the coach factory moved to Gujarat.

Moving further, the Bayyaram Steel Plant in Mahabubabad, Navodaya and Sainik schools in every district, and clearing Rs.900 crore arrears pertaining to the Central grants for the development of backward regions still remain on the cards.

Our Government also demanded that the Centre abolish the GST on handlooms, pay Rs.7,778 crore towards the Central Government's share for urban infrastructure projects being undertaken by the Municipal Administration Department, increase reservation for SC, ST and BC in proportion to their ratio of population, and reduction of petrol, diesel and LPG prices.

We have been demanding lifting of restrictions on the MGNREGA programme, linking MGNREGA with agriculture, providing Mission Bhagiratha with a Central grant of Rs.19,205 crore, Mission Kakatiya with a grant of Rs.5,000 crore, and providing various irrigation projects with a grant of Rs.817 crore as recommended by the NITI Aayog as well as Central grants recommended by the Fifteenth Finance Commission such as Rs.723 crore special grant, Rs.6,268 crore under the State-specific and Centre-specific grants.

Our Party has also sought a Bulk Drugs Park in Hyderabad. We also requested for sanction of a Software Technology Park of India (STPI), Rs.800 crore towards Centre's share for development of roads and corridors, link roads in Hyderabad and city outskirts, and Rs.450 crore for the Mass Rapid Transit System in KPHB-Kokapet-Narsingi corridor.

Sir, extreme unfairness has also been meted out to Telangana State in the budget allocation in regard to major railway projects. Despite repeated appeals from the State Government, the Union Government did not grant any new major infrastructure project to improve the rail connectivity in the State.

Telangana contributes substantially to the revenue of South Central Railway, both by way of freight and passenger transport. The State is a crucial link between North and South India, and is home to the most important railway junctions, Secunderabad and Kazipet, in our country.

Being a landlocked State, Telangana is heavily dependent on the railway infrastructure for transportation of goods and passengers. Addition of new

railway infrastructure will be a big boost to the State's growth. But the Union Government is found wanting when it comes to extending necessary assistance to develop new transport infrastructure in Telangana.

This clearly shows the lack of interest of the Union Government in developing railway infrastructure in Telangana. Many other projects for which survey reports have been submitted long back have also not moved an inch.

Funds should be allocated for NIMZ in Zaheerabad. The industrial corridor to be developed between Hyderabad-Warangal and Hyderabad-Nagpur also needs the support of the Centre.

It has been estimated that the roads that connect Hyderabad Pharma City with NIMZ in Zaheerabad need Rs.5,000 crore funding.

The Hyderabad-Vijayawada Industrial Corridor is estimated to cost Rs.5,000 crore.

Then, these are my other demands. Along with the above mentioned projects, we expect from the Centre for gas allocation for the Common Effluent Treatment Plant for the industrial park in Jadcherla under TIES.

We need clearance for the setting up of brownfield manufacturing clusters and upgradation.

Reopening of the Cement Corporation of India's unit in Adilabad is required. The National Design Centre should be located in Hyderabad. We require allocation of funds for the Hyderabad Pharma City. Hyderabad should be included in the Defence Industrial Production Corridor which the Centre is going to create.

We need support for the Mega Textile Park in Warangal. The project needs at least Rs.500 crore in the form of seed capital. We request sanction of a mega powerloom cluster for Sircilla, encompassing textile, weaving, and apparel parks under the Comprehensive Powerloom Cluster Development Scheme. We need upgradation of powerlooms under the IN-SITU scheme. We need sanction of block level handloom clusters under the National Handloom Development Programme (NHDP).

16.00 hrs

Some other expectations that people of Telangana have with the Government of India are like setting up of the Indian Institute of Handloom Technology, setting up of the campus of National Aviation University in Hyderabad, reconsidering the creation of ITIR or the sanction of a project of the same size, setting up of an Integrated Steel Plant in Khammam as part of the promise made in the Andhra Pradesh State Reorganisation Act of 2014, and special incentives for industries in Telangana.

I, therefore request the hon. Minister to kindly take a note of the said projects and sanction funds for the same. With these words, I conclude and support the Bill. Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here to speak on the Demands for Grants on behalf of the Nationalist Congress Party. I am a little confused by the contradiction in this Government.

Sir, Mr. Gaurav Gogoi and Prof. Sougata Rai extensively spoke about the growth story of this country, and they also spoke about GST and several other issues. But I think the most alarming issue that this country right now faces is unemployment. At one level the Government says that the country is doing extraordinarily well. So, could the hon. Finance Minister explain to us, I wish Nirmala ji was here today to explain to people like us who are not financial experts, if the economy is doing so wonderfully well, why is there so much unemployment in this country? This is not my data, this is your Government's data, which is very, very concerning for all Indians who are aspiring and looking for a good life on merit.

Besides this, you look at the information technology. In Maharashtra, where I come from, there is a Rajiv Gandhi Information Technology Park in Hinjawadi. This is one of the finest examples of technology and IT industry created in Maharashtra which we are very proud of. This is in my constituency. महाराष्ट्र के लोगों द्वारा उसको मेहनत से बनाया गया है। आज वह पूरा आईटी सेक्टर प्रेशर में है। बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसके बारे में सरकार क्या करेगी और पॉलिसी लेवल पर आप क्या इंटरवेंशन करेंगे, इसके बारे में आप बाद में समझा दीजिएगा।

16.02 hrs

(Shri Shrirang Appa Barne *in the Chair*)

Sir, the reason why I said this Government is about contradictions and highly confused is because of the three main policies. One is, kisan produce,

दूसरा इथेनॉल और तीसरा पॉवर। आप पूछेंगे कि किसान कैसे, गौरव गोगोई जी ने उसके बारे में बोला है, लेकिन मैं आगे सरकार से पूछना चाहूंगी कि आप किसानों के बारे में कह रहे हैं कि उनको जो पैसा मिलता है, हम उसको दोगुना करेंगे। मैं प्याज के बारे में आपकी कल की पॉलिसी बताना चाहती हूँ। आप तो महाराष्ट्र के हैं। मेरा और उनका निर्वाचन क्षेत्र अगल-बगल है। आप उनसे उनका दुःख पूछिए। आपकी जो मंत्री हैं, शायद भारती ताई यहां नहीं हैं, उनके घर पर भी काफी लोग कल मिलने गए थे। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्याज का किसान है। प्याज कौन उगाता है? कराड सर, आप तो मराठवाड़ा से आते हैं, वह कोई जागीर नहीं होती है, जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है। प्याज वाला किसान कम पानी में, जिसके पास कम लैंड होती है, वही किसान प्याज की खेती करता है। उसके ऊपर आपने टैक्स लगाया है और वह भी 40 टके टैक्स लगाया है। अभी आपने एक्सपोर्ट भी बैन कर दिया है। उसका प्राइस पूरा क्रैश हो गया है। प्याज का किसान, जो छोटा किसान है, क्या आप उस पर यह अन्याय करेंगे? महाराष्ट्र में सारे किसान, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं, एमओएस, फाइनेंस भी महाराष्ट्र से हैं, आप सबको पता है कि आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। The same thing is with rice. बाकी राज्यों में वही हाल है। आज सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। मेरी इस सरकार से विनती है, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम उनकी आमदनी दोगुनी करेंगे और दूसरी तरफ आप टैक्स लगा रहे हैं। आप एक्सपोर्ट भी बैन कर रहे हैं। They are consistently inconsistent. This is the quality of this Government when it comes to the farmers' policies.

मैंने पांच नहीं छः महीने पहले पीयूष गोयल जी को एक ट्वीट किया था कि जो प्याज का किसान है, आप उसको नहीं देख रहे हैं, आपको वे नहीं दिख रहे हैं। बाद में, उनकी पूरी आर्मी ने ट्रोल भी किया कि इनको क्या पता है। किसान देख रहे हैं कि मैंने जो छः महीने पहले कहा था, वही आज यह सरकार कर रही है। आप देखिए कि आज प्याज का किसान क्या कर रहा है? आप उसका एक्सपोर्ट क्यों बैन कर रहे हैं? देश का सबसे बड़ा उद्योगपति भी 40 टके टैक्स नहीं भरता है, लेकिन मेरे यहां जो सबसे छोटा किसान है, उसके ऊपर इन्होंने 40 टके टैक्स लगाया है?

महोदय, ये कौन-सा न्याय है? ये एक किसान का उदाहरण है। दूध का अलग है। दूसरा, मैं किसान के बारे में बताऊं कि इथेनॉल की पॉलिसी क्या है? मैं हंसू या रोऊं, इस सरकार ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। श्री पीयूष गोयल जी इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं। गुरुवार को यहां खड़े होकर हमें बड़ा लेक्चर दिया था कि कैसे वर्ष 2014 के बाद इथेनॉल का क्या किया। इन्हें तो वर्ष 2014 से पहले का एमनेशिया था, इसलिए इनको पता नहीं है। आप महाराष्ट्र से आते हैं, आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी शुगर फैक्ट्रीज हैं, तो आप जानते हैं। शायद कॉमर्स मिनिस्टर नहीं जानते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्रीज 50 सालों से इथेनॉल बना रही है।...(व्यवधान) वे शायद मुंबई के हैं, शायद पता नहीं होगा। हो सकता है, पता भी हो, लेकिन भूल गए होंगे।

उन्होंने इथेनॉल पॉलिसी के बारे में बात की थी। वे गुरुवार की सुबह यहां पर बोल रहे थे कि इथेनॉल में ऐसा करेंगे, एक्सपोर्ट अलाई करेंगे, ये करेंगे, फलाना-ढिकाना, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। मैं भी हंस रही थी। वे वर्ष 2014 का इतिहास बता रहे थे। उसके पहले का उनको नहीं पता था। गुरुवार की सुबह इथेनॉल पॉलिसी के बारे में इतना अच्छा-अच्छा बोले, सभी किसान खुश हो गए कि कॉमर्स मिनिस्ट्री इथेनॉल के लिए बहुत कुछ कर रही है। शुक्रवार की सुबह 8 बजे क्या न्यूज आई कि ethanol production from sugar will be banned. Is it not a contradiction? 24 घंटे में एक ही मंत्री दो निर्णय लेते हैं। एक दिन ये बोलेंगे, दूसरे दिन वो बोलेंगे। आप गुरुवार को बोलते हैं कि इथेनॉल को प्रमोट करेंगे और शुक्रवार यानी 22 घंटे के अंदर पॉलिसी बदल गई। आज सारी शुगर फैक्ट्रीज रो रही हैं। कल मैं उनसे मिली थी। उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, बड़े मंत्रियों के फोन्स आए थे, सबके फोन्स आए थे।...(व्यवधान)

Sir, I am not yielding. I never distract anybody. ... (Interruptions) मैं आपको इथेनॉल, दूध, प्याज के बारे में बताऊं। शुगर फैक्ट्री में यू-टर्न लिया, दूध में भी यही हाल है। इनकी सरकार प्राइसिंग में गड़बड़ी करती है। मुझे अभी भी याद है कि सुषमा जी हमेशा कहती थीं। आप पुराने हैं, आपको भी याद होगा। वह बिचौलियों के बारे में बात करती थीं। वह हमेशा कहती थीं कि न तो किसान को पैसा मिल रहा है और न ही ग्राहकों को कम दाम पर सामान मिल रहा है। बीच का

हिस्सा बिचौलिया खा रहा है, तो उस बिचौलिए का क्या हुआ? आज महाराष्ट्र में किसान को दूध का 25-26 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है और शहरों में डबल प्राइस पर है, तो बीच का पैसा कौन-सी सरकार लेकर जा रही है? इस सरकार में बिचौलिया कौन है? यह तो बताइए। दूध की पॉलिसी में कंप्यूजन, इथेनॉल में यू-टर्न और प्यूज में यू-टर्न, मैं ऐसे कितने उदाहरण बताऊं। ये सरकार सभी किसानों के खिलाफ है। मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, मैं पॉलिसी पर सवाल पूछ रही हूं।

उसके बाद पावर का भी वही हाल है। मैंने आपको पावर के बारे में बताया था कि ये क्या करते हैं। मैंने फूड के बारे में बोला, इथेनॉल के बारे में बोला, अब मैं पावर के बारे में बताती हूं। इन्होंने कहा कि इनकी सरकार ने थर्मल का नया कमिटमेंट किया है। आप 80,000 मेगावाट थर्मल पावर 2032 में जेनरेट करेंगे। इनकी सरकार हर समय एन्वॉयरमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बोलती रहती है। Is it not a contradiction? थर्मल पावर करेंगे और कोप की एक मीटिंग में जाकर बोलते हैं कि हम लोग रिन्यूएबल में करेंगे। What is the policy of this Government on power? Are they going to do renewables or thermals? Which one is true? पूरी दुनिया में जाकर कुछ और कहते हैं और पॉलिसी लेवल पर यहां कुछ और कर देते हैं। It is a highly confused Government of contradictions! एक ही मंत्री कुछ और कहता है। Is the Environment Ministry not talking to the Power Minister? मैं पिछले हफ्ते ही जम्मू-कश्मीर के बारे में बोली थी। श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। अगर श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं मिलती है, तो गांवों में क्या होता होगा? This is only one example.

महोदय, आप जहां से आते हैं, मैं भी उसी राज्य से आती हूं। आपको पता है कि हमारे किसान हमें कितनी बार बोलते हैं कि हमें 8 घंटे में नहीं, बल्कि 6 घंटे में बिजली चाहिए। एक जगह ये नेशनल ग्रिड बनाकर कह रहे हैं that national grid is doing well. Where has this gone? I want to ask this Government of contradictions. This Government is a highly confused Government. पावर में फेल्योर, इथेनॉल में फेल्योर, किसानों के बारे में

फेल्योर और मैं इनके कितने फेल्योर गिनाऊं? You have to ask them and they have to answer.

ये क्लाइमेंट चेंज के लिए क्या करेंगे? क्लाइमेंट चेंज पर बड़े-बड़े भाषण देते हैं। हमारे महाराष्ट्र में आपके और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जितनी भी नदियां हैं, वे कितनी प्रदूषित हो गई हैं। हमारे यहां खड़कवासला है, जो इनकी नई पॉलिसी आई है, उसके कारण सभी लोग घर बना रहे हैं। आप वहां आ चुके हैं। खड़कवासला का सब गंदा पानी नाले में जाएगा, वही नदी में जाएगा, वही आपके खेतों में आ जाएगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र और आपके निर्वाचन क्षेत्र में चला जाएगा। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? There is no policy or standardisation of policy, be it climate change, be it power, be it *kisan*. ये इन्फ्रास्ट्रक्चर की इतनी जोर-जोर से बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। इनको तो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में बाकी सोशल सेक्टर्स बंद हैं, सिर्फ बिग टिकट इन्फ्रास्ट्रक्चर चल रहा है।

सर, आपको तो पता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन ये बिग टिकट वाले नहीं चाहिए। इसके कारण वह आपको भी मिले हैं। मैं उससे पहले एक छोटा पॉइंट बताऊंगी। सर, ने एक जवाब दिया था कि Indian banks write off Rs. 10.6 lakh crore in five years, out of which 50 per cent are linked to large corporates. I know what you will say. Your answer also says that it is not a write off. We are just making sure that it is recovered and that apart from time, value loss, inordinate delays result in asset value deterioration which hampers ultimate growth, ultimate recoveries. This is your reply. You are saying you are not writing off Indian banks but you are either reorganising, selling their assets. Is it not another contradiction? You are only cleaning your budget books. You are saying it is not a write off. This is your statement, not mine. So, how does this help the economy? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सुप्रिया जी, कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: अगर यह भी करना हो तो आप इनके लिए भी कर सकते हैं। आप हमारे किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकते हैं? महाराष्ट्र में आपकी पॉलिसी गलत है। वहां कहीं सूखा है, कहीं ओले पड़े हैं। आप हमारे किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दीजिए। मैं किसानों की तरफ से मांग करती हूं। जैसे आप इनका राइट-ऑफ कर रहे हैं, वैसे ही आप किसानों का भी कर्जा माफ कर दीजिए। ... (व्यवधान) This is all juggling of the books, nothing else. उसके बाद सीनियर सिटीजन की बात है, जो मैंने सुबह भी बोली थी। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में है और मैं बोल रही हूं कि यह बिग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। आप छोटे लोगों को भी याद रखिए, जिनके कारण हम सब हैं।

Your Government has introduced EPS-95 and NPS. Prakash Javadekar ji was your spokesperson who talked about it. चेयर को पता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भीमा साखर शुगर फैक्ट्री है। अभी उदासी जी बोल रहे थे, उनके राज्य के एक एमएलए ने यह फैक्ट्री ली है। यह भीमा साखर कारखाना दौंड, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। यह पहले बीजेपी के एमएलए की फैक्ट्री थी। उनकी फैक्ट्री के सारंग सोपान कांबले जी हैं, जिन्होंने 33 साल फैक्ट्री में काम किया। Each month contribution of EPF was Rs. 500. सारंग सोपान कांबले, जो भीमा साखर शुगर फैक्ट्री, पाटस, तालुका दौंड, डिस्ट्रिक्ट पुणे में थे, वह 500 रुपये हर महीने देते थे। अभी उनको हजार रुपये भी नहीं मिलते हैं। आप यह सोचिए कि दोनों सीनियर सिटीजन पति-पत्नी साथ में रह रहे हों और उनको हजार रुपये मिल रहे हों तो क्या बहू उनको मान-सम्मान देगी? अगर उसको अपने नाती को एक छोटा सा गिफ्ट देना हो तो वह कहां से देंगे?

सर, ईपीएस-95 और ओपीएस का कमिटमेंट आपकी सरकार ने किया था कि जब हम सरकार में आएं, हम करेंगे। यह पैसा कहां जाता है? यह आप ही के पास सरकार में आता है? हेमा जी तो प्राइम मिनिस्टर जी के पास गई थीं, फिर आगे क्या हुआ? Where is this money? It is their hard-earned money. एक विश्वास के साथ वह आपकी सरकार को दिया था। ईपीएस-95 और ओपीएस के पैसे का क्या हुआ? ये पेंशन के पैसे हैं, सरकार के पैसे नहीं हैं। इसके बाद एक

और बड़ा इश्यू है, जो पेंडिंग है, वह आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ीज़ का है। आप सोशल सेक्टर के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। You only want to build bridges, big infrastructure projects. But what about ASHA workers and Anganwadi sevikas? वह पैसा भी नहीं आ रहा है। वयोश्री योजना दिव्यांग में मेरा निर्वाचन क्षेत्र सबसे हाई परफॉर्मिंग रहा है। हमारा पैसा नहीं आ रहा है। You do not have money for social justice.

I will make one last small point about the relationship between States and Centre. आपने तो बहुत बेस बढ़ा दिया है। राज्यों को लोन चाहिए है तो ले लीजिए। So, States are also taking it, क्योंकि सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स के लिए पैसा मिलता है। But the gap is becoming so bigger. इंटरेस्ट में ही राज्य दबे जा रहे हैं। ऐसा न हो कि जीडीपी और आपने जो डेट लिया है, उसके इंटरेस्ट में राज्य दब जाएं। अगर राज्य दब गए तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? What will happen? You are so proud people are spending. From a savings economy, we have become a spending economy. Culture has changed. लोग मोबाइल से भी ईएमआई भर रहे हैं। You are saying that all these robust activities are taking place. Even my friend also talked about it earlier. Mr. Krishna said it. Several MPs have said that there is this gap between the economies. Rural economy is not doing as well as the urban economy like you think it is doing. I am not criticising your Government. हर सरकार कुछ तो अच्छा कर ही लेती है। ऐसे नहीं होता है। So, in all your good projects, I urge you to relook at all this. In the last five years, be it IMF or any other rating, it goes up and down.

There is no consistency. Mr. Dubey may say anything about COVID-19 times, but we have taken our time. A lot of States have bitten the bitter bullet to come into this game. So, let us not give all credit to the Central Government. I urge you to relook at your numbers and not only look at infrastructure projects,

but even look at the bottom of the pyramid be it pensioners, women, etc. who really need help. Thank you very much.

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड्स फोर ग्रान्ट्स में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। रूरल डेवलपमेंट में 14524 करोड़ रुपये मांगे गए हैं, I believe that this should have been more than Rs. 1 lakh crore because जो मजदूरों को तीन सौ रुपये के आस-पास दिया जा रहा है, वह बहुत ही कम है। अगर स्टेट्स में देखेंगे तो 500 से 1000 रुपये प्रतिदिन मिलता है। मेरी गुजारिश होगी कि इस 300 को 500 किया जाए और 100 दिन के रोजगार को 150 दिन किया जाए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी की सरकार में अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी है। अमीर-अमीर हो रहे हैं और गरीबों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि लगभग 5.68 करोड़ हाउसहोल्ड इससे लाभान्वित होते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि 39 परसेंट हाउसहोल्ड को इस साल में काम नहीं मिला है। मेरी गुजारिश होगी कि इसको सीरियसली लेना चाहिए और खासकर के इसका इम्पैक्ट बिहार पर पड़ता है, जिसकी आबादी 14 करोड़ के आसपास है और जैसा कि हमारे बीजेपी के साथी ने बताया कि 4 करोड़ लोग बाहर काम करते हैं। ज्यादातर इनह्यूमन कंडिशन, हार्डशिप में काम करते हैं, ताकि वे अपने परिवार को पाल सकें। इस सरकार से मेरी गुजारिश होगी कि बिहार की स्थिति को देखते हुए बिहार का पर-कैपिटा इंकम पूरे देश में लोएस्ट है, वन थर्ड है बाकी स्टेट के मुकाबले। इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना चाहिए और साथ ही साथ अगले पांच सालों में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये की सहायता मिलनी चाहिए, जिसमें से एक लाख करोड़ रुपये सीमांचल को देने चाहिए क्योंकि वर्ष 2021 के नीति आयोग की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि सीमांचल का एरिया हिन्दुस्तान का सबसे गरीब इलाका है और गरीब ही नहीं, उसमें से हर तीन आदमी में से दो आदमी बिलो पावर्टी लाइन में है। इसलिए अगर सही मायने में सबका विकास सबका न्याय वगैरह, वगैरह, जो आदरणीय मोदी जी कहते हैं, अगर सही में वह मायने रखता है तो उस पर विचार करना चाहिए। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2015 में उन्होंने बिहार के लोगों की बोली लगायी थी और सवा लाख करोड़ देने की बात की थी। मैं आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहूंगा कि उसमें से कितना दिया गया?

मेरे ख्याल से कुछ नहीं दिया गया और यही नहीं हमारे एक बिहार के सीनियर नेता ने बताया कि एजुकेशन में, सर्व शिक्षा अभियान में 46000 करोड़ में से सिर्फ 16000 करोड़ रुपये दिए गए। इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं, जिनमें कम दिया गया है। इसको बंद करना होगा। तीसरा, अगर सही मायने में इलाके को इम्प्रूव करना है तो मेरे पार्लियामेंटरी एरिया में 12 ब्लॉक्स हैं। मैं चाहता हूँ कि हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल, नर्सिंग, लॉ, बिजनेस, आर्किटेक्चर वगैरह के कॉलेजेस बनने चाहिए। मेरे यहां एजुकेशन की बैकवर्डनेस को देखते हुए, यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने यह फैसला किया कि वहां के लोगों को एजुकेशन का मौका देना चाहिए। वहां 136 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए और उसमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पिछले दस साल से हमें न्याय नहीं मिला है और पिछले साढ़े चार साल से मैं यहां डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहां तक कि एएमयू से भी आवेदन आया है कि Rs. 352.75 crore should be given to them apart from Rs. 126.82 crore. I would like the hon. Minister to kindly facilitate it. The UGC has sanctioned 29 teaching and 19 non-teaching staff और साथ ही साथ यूजीसी सैंक्शंड 29 टीचिंग और 19 नॉन टीचिंग स्टाफ मिलना चाहिए।

इसके साथ ही साथ किशनगंज में और बायसी में सैनिक स्कूल होना चाहिए। सरकार के द्वारा हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कही गई थी। हमारे यहां पर एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वहां पर एम्स दिया जाए, ताकि बंगाल और ओडिशा के लोगों को भी फायदा पहुंचे।

सर, खासकर माइनोरिटीज का जो इश्यू है तो स्कॉलरशिप को रिस्टोर करने की जरूरत है। आपको ताज्जुब होगा कि मुसलमानों की 14 परसेंट की आबादी है, only 4.4 per cent of Muslim population enrol into higher studies. It is a ...* on this Government कि इस तरह से हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि एनरॉलमेंट को इम्प्रूव किया

* Not recorded.

जाए। अक्सर हमने देखा है कि डिमोलिशन ऑफ मॉस्क मजार हो रहा है। इसको बंद करने की जरूरत है। Remove encroachments from Waqf properties from all over India. Take strict action against communal hate speeches delivered by leaders of the Ruling Party. मीडिया पोस्ट्स पर भी निगरानी रखनी चाहिए। जो लोग हेट को प्रमोट करते हैं, वे हिन्दुस्तान के दुश्मन हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

मैं हमारे यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पीएमकेवीवाई के तहत हमारे यहां पर जूट, बैम्बू, वाटर हाइसिंथ वगैरह कई चीजें हैं। उनके लिए ट्रेनिंग दी जाए। हमारे यहां पर 'खेता' एक आर्ट है, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। उसको जियो टैग मिलना चाहिए और उसका हर ब्लॉक में ट्रेनिंग सेन्टर होना चाहिए तथा हर पंचायत में बैम्बू, जूट वगैरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आज गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है। सरकार ने दो करोड़ जॉब प्रति साल देने का वायदा किया था, लेकिन क्या मिला? भैया, आप बताइएगा कि क्या मिला है? मैं चाहता हूँ कि कम से कम ट्रेनिंग तो मिले, जिससे हम लोग अपना एम्प्लॉयमेंट सेल्फ जनरेट कर सकें। सर, पीएमजीएसवाई की हालत खराब है। दो साल से हमें फंड नहीं मिला है। हमारे यहां पर कोई रोड और पुल नहीं बना है।

मैं कुछ पुल्स का नाम बताना चाहता हूँ। मथुरापुर, छिलमाड़ी, खरखरी, निचितपुर, मिर्जापुर, लोधाबाड़ी, सोलघाट, गोरुमारा, रियाद अली, सिमलबाड़ी, अशियानी, दुब्बा धार और सड़कों में डंगराह, बागडोव वगैरह-वगैरह ये बहुत महत्वपूर्ण पुल्स और सड़कें हैं और इनका काम पूरा करने की जरूरत है। रेलवे में किशनगंज से जलालपुर रोड के लिए हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अभी तक शुरू नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई हो और इस पर काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए।

कोविड के दौरान कई ट्रेन्स का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था और वह अभी भी बंद है। मैं चाहूंगा कि उन्हें वापस शुरू किया जाए और किशनगंज और गलगलिया स्टेशन पर रैंप पॉइंट हो तथा बाकी स्टेशन्स, पुठिया तथा तैयबपुर को डेवलप किया जाए।

सर, हमारे यहां पर महानंदा बेसिन का प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में हम बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन उसका काम नहीं किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि अगले तीन-चार सालों में इसे कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी हजारों एकड़ प्रोडक्टिव जमीन बर्बाद हो जाती है तथा कई गांव कट जाते हैं इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इसलिए जाम लग जाता है, चूँकि पॉपुलेशन ज्यादा है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो मैं प्रपोज करना चाहूंगा कि केलटैक्स चौक, रुईधासा मैदान के पास किशनगंज में, बेलवा में, डगरुआ में, बायसी में, अमौर में तथा रौटा में फ्लाईओवर बनाया जाए।

सर, अगर हिन्दुस्तान को वाकई विश्वगुरु बनाना है और डेवलप्ड नेशन बनाना है तो आपको सबको एक साथ लेकर चलना होगा। आप चाहेंगे कि बिहार के आठ करोड़ लोग बाकी राज्यों में जाकर उन राज्यों का जीडीपी बढ़ाए और पर कैपिटा तीन गुना बढ़ाए और हम लोग वन थर्ड पर रहे तो हिन्दुस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको सबको लेकर चलना होगा। यह मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ। मैं खासकर के किशनगंज और सीमांचल एरिया की बात करूंगा। It is also geographically very important. एक तरफ नेपाल है और बगल में बांग्लादेश है। दोनों कंट्रीज जो हमारे से बहुत पीछे थी, उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे बढ़ गई है और हमारी दिन ब दिन घटती जा रही है। मेरी गुजारिश होगी कि मैंने जो स्पेशल स्टेट्स और पांच लाख करोड़ रुपये की बिहार के लिए मांग की थी, वह सरकार कबूल करे और अगले पांच सालों में बिहार का पांच लाख करोड़ रुपये का पैकेज हो, जिसमें से कम से कम एक लाख करोड़ रुपये का सीमांचल पर खर्चा हो। बाकी स्टेट्स की तुलना में हमें जितनी सुविधा मिलनी चाहिए, वह हमें मिले।

सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री जयंत सिन्हा (हजारीबाग): सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लिमेंट्री डिमांड्स फोर ग्रान्ट्स पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर पार्टी ने दिया है। हम सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आज विश्व भर में संकट का माहौल है। वर्ष 2022 से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और आज के समय में यूक्रेन का युद्ध एक स्टैंडस्टिल पर आ गया है, न जाने इसका क्या परिणाम विश्व और विश्व की अर्थव्यवस्था पर होगा? इसके साथ-साथ अभी जो हमारा का प्रहार हुआ, उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में संकट आ गया है। वहां युद्ध चल रहा है। इसका क्या परिणाम होगा, यह कहना मुश्किल है। अभी सुप्रिया जी ने क्लाइमेट चेंज के बारे में कहा है। उसके जो हानिकारक प्रभाव है, हमें भी अब वे विश्व में नजर आ रहे हैं। विश्व में बहुत जगहों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो रहा है। आज पूरे विश्व में एक संकट का माहौल है, लेकिन इस संकट के माहौल में अगर एक देश की अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में पूरी दुनिया कह रही है कि आज के समय में बिल्कुल दुरुस्त है, वह चमकता हुआ सितारा है, तो वह भारत की अर्थव्यवस्था है। यह इसलिए है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा, अपने सकारात्मक नीतियों के द्वारा इस संकट के माहौल में भी हमारी अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता दी है और एक दिशा दी है। मैं उसके लिए मानता हूँ कि पूरा देश और हम सभी माननीय सदस्य उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज के समय में हम लोगों की यह स्थिति है।

अगर हम बेरोजगारी की बात करें, क्योंकि सुप्रिया जी ने कहा है कि अभी देश में बेरोजगारी की स्थिति है, तो मैं उनको यह बताना चाहूँगा कि बेरोजगारी सिर्फ ऐसे राज्यों में है, जैसे हमारे झारखंड में है। झारखंड में इसलिए दयनीय स्थिति है, क्योंकि अगर वहां कोई भी उद्योग चल रहा है, तो वह सिर्फ भ्रष्टाचार का उद्योग चल रहा है, ट्रांसफर-पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए, जो कैश निकल कर आया है, वह यह दर्शा रहा है कि इस राज्य में क्या परिस्थितियाँ हैं? इस राज्य में हमारे जो प्रतिभावान युवा हैं, हमारे जो मेहनती युवा मित्र हैं, उनको कोई चारा नहीं है। उन बेचारों को लाचार होकर पलायन करना पड़ता है। गनीमत है कि ऐसे राज्य

हैं, जहां हम लोगों की सरकार है, जैसे महाराष्ट्र, जहां से सुप्रिया जी चुन कर यहां आई हैं, वहां अभी भी रोजगार का सृजन हो रहा है। जहां-जहां रोजगार का सृजन हो रहा है, हमारे लोग वहां पलायन करके काम कर रहे हैं। यह आंकड़े बता रहे हैं। आप ईपीएफओ का डेटा देखिए, अनइम्प्लॉयमेंट का डेटा देखिए, जो रिकवरी आई है, आज हमारी जीडीपी ग्रोथ सात प्रतिशत हो चुकर है, हमारा निवेश बढ़ता चला जा रहा है। उसके द्वारा स्पष्ट नजर आ रहा है। जहां-जहां अच्छे राज्य हैं, जिनकी अच्छी नीतियां हैं, जिनकी दूरदर्शी, प्रभावशाली और सकारात्मक नीतियां हैं, वहां रोजगार का सृजन हो रहा है एवं वहां लोगों को रोजगार का अवसर भी मिल रहा है।

उदाहरण के तौर पर, मैं आपको अपने हजारीबाग, पतरातू के बारे में बताना चाहता हूं। मैं क्लाइमेंट चेंज के बारे में भी सुप्रिया जी को समझाना चाहूंगा कि वहां एनटीपीसी के द्वारा चार हजार मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट मिल रहा है और उसके द्वारा छः हजार लोगों को रोजगार मिला है। यह निवेश केन्द्र के द्वारा किया जा रहा है, केन्द्र की नीतियों के द्वारा किया जा रहा है। झारखंड में रोजगार का सृजन हो रहा है, लेकिन जिन उद्योग, नीतियों की जरूरत थी, राज्य सरकार द्वारा जो सकारात्मक माहौल बनाने की जरूरत थी, वह राज्य सरकार ने नहीं बनाई। अगर आज हमारे युवा बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, तो उस, जेएमएम, उस कांग्रेस सरकार के कारण हो रहे हैं, जो सरकार नहीं महाठगबंधन है। आज वह सबके सामने आ चुका है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर हमारे राज्य आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के कारण, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज ये सब होते हुए भी मैं शनिवार को गारंटी की गाड़ी के साथ था।

पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। यह गारंटी की गाड़ी है। मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी क्या है कि हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, हर गरीब को बिजली मिलेगी, हर गरीब को जल मिलेगा, हर गरीब को टॉयलेट मिलेगा, हर गरीब को गैस का चूल्हा मिलेगा, हर गरीब को बैंक का खाता मिलेगा। यह मोदी जी की गारंटी है। आज पूरे देश भर में जो गारंटी की गाड़ी चल रही है और मैं अपने विपक्ष के साथियों से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आप भी इस गारंटी की गाड़ी के साथ चलिये। आप देखियेगा कि लोगों का कितना बढ़िया रिसेप्शन

मिल रहा है। इसके द्वारा आपके ही क्षेत्र में अगर कुछ लोग छूटे हुए हैं, सेचुरेशन मोड में इनको कुछ नहीं मिला है, तो आपके प्रयास के द्वारा छान-बीन में जो इक्के-दुक्के लोग मिलेंगे, उनको भी मोदी जी की गारंटी के द्वारा ये सब बुनियादी सुविधाएं आप ही दिलवा दीजिए। वे भी आपको धन्यवाद देंगे। आप पुण्य का काम कर लीजिएगा, जो हम सब लोग इस गारंटी की गाड़ी के द्वारा कर रहे हैं।

साथियो, मोदी जी की गारंटी के द्वारा, उनके कुशल नेतृत्व के कारण अगर हम मल्टी-डाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के बेंचमार्क को देखें तो हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में 14 करोड़ लोगों को उस गरीबी रेखा से आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। यह मोदी जी की गारंटी है। हम लोग 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि के द्वारा पैसे दे रहे हैं। हम लोगों ने कितने सारे लोगों को उज्ज्वला योजना दी है और वह संख्या लगभग 11-12 करोड़ है।

माननीय मोदी जी की जो गारंटी है, जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं, मैं अब उन नीतियों के बाद सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के बारे में बताना चाहता हूं। मोदी जी की जो गारंटी है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में भी पूरे तरीके से इसको स्पष्ट किया गया है। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में करीब 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का अधिक खर्च करने का प्रावधान है, लेकिन उसमें नेट कैश आउटफ्लो सिर्फ 58 हजार करोड़ रुपये का है। आपने कहा कि जहां 1.29 लाख करोड़ रुपये सप्लीमेंटल खर्च करने हैं, उसमें से सिर्फ 58 हजार करोड़ रुपये एक्चुअली नेट कैश आउटगो है। इतने किफायती तरीके से बजट को संभाला गया है, माननीय वित्त मंत्री जी ने संभाला है कि नेट कैश आउटगो सिर्फ 58 हजार करोड़ रुपये है।

अगर इसकी तुलना की जाए, तो आप देखें कि जो फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल ट्रेजेक्टरी है, वह हम कितने अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों की माइक्रो-इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है और हम लोगों का ग्रोथ रेट इतना अच्छा है। अगर हम पिछले वर्ष की सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को देखें तो जहां 1.29 लाख करोड़ रुपये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स इस साल मांगा है, वही पिछले वर्ष 4 लाख 35 हजार करोड़ रुपये का सप्लीमेंट्री

डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मांगा था। इस बार हम 58 हजार करोड़ रुपये मांग रहे हैं, पिछली बार 3 लाख 25 हजार करोड़ रुपये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में मांगने पड़े थे। हम लोग कोविड से निकल रहे थे और रिकवरी के लिए स्पेंडिंग की जरूरत थी। रिकवरी में जो स्पेंडिंग हुई, वह इतने बढ़िया तरीके से हुई कि अब जीडीपी ग्रोथ रेट 7 परसेंट के पार हो रहा है और जो फिस्कल डेफिसिट है, वह कम होता जा रहा है। जहां हमें 4 लाख 35 हजार करोड़ रुपये खर्च करने थे, अब हम सिर्फ एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। यह दिखा रहा है कि फिस्कल मैनेजमेंट कितना बढ़िया है। अगर हमें यह अतिरिक्त खर्च करना है, तो किन क्षेत्रों में कर रहे हैं? जहां मोदी जी की गारंटी है, हम वहां खर्च कर रहे हैं। यह जरूरी है। नरेगा में 14 हजार 500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट सब्सिडी मतलब बच्चों के लिए पोषण, सुप्रिया जी कह रही थी कि जनकल्याण, सामाजिक कल्याण के लिए कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम न्यूट्रिएंट सब्सिडी के लिए 14 हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं तो सामाजिक कल्याण के लिए कर रहे हैं। हम लोग अपनी सेना को और मजबूत बनाने के लिए, सेना को दुरुस्त बनाने के लिए अतिरिक्त 20 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं।

मैं एक बहुत ही विशेष बात बताऊंगा, जो मोदी जी की गारंटी से जुड़ा हुआ है, गारंटी की गाड़ी से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग पूरे तरीके से सेचुरेशन मोड में करना चाह रहे हैं और वह उज्ज्वला योजना है। इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में साढ़े 8 हजार करोड़ रुपये उज्ज्वला योजना के लिए और सप्लीमेंट्री डिमांड की गई है और जैसे मैंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। हमारे विपक्ष के साथी इससे जुड़ें। अगर आपके क्षेत्र में ऐसी कोई महिला हो, जिसे अभी उज्ज्वला योजना, गैस का सिलेंडर नहीं मिला है, उसके लिए इस बजट में पूरा प्रावधान है। सबको खोजिए और सबको उज्ज्वला सिलेंडर आप जरूर दिलवाइए।

फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए भी 13 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। सुप्रिया जी ने कहा कि किसानों के पक्ष में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। किसानों के लिए अगर हम लोग यूरिया सब्सिडी में 13 हजार करोड़ रुपये और खर्च कर रहे हैं और किसान सम्मान निधि के द्वारा उनको 6 हजार

रुपये तो मिल ही रहे हैं। दो हजार रुपये की किश्त अभी आने भी वाली है। 15 नवम्बर को हमारे झारखंड के सभी माननीय सांसद साथी भी वहाँ थे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खूँटी में दो हजार रुपये किश्त के रूप में किसानों को दिए। इस प्रकार से किसान क्षेत्र में जितना हम लोगों ने साधन दिया है और आगे भी देते चले जाएंगे, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सुप्रिया जी, मैं मानता हूँ कि किसानों के लिए हम लोगों ने जो किया है, वह ऐतिहासिक और अतुल्य है। इसे आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। सुप्रिया जी ने इसके अतिरिक्त दो कंट्राडिक्शंस की बात की। उनका मानना था कि अगर हम अपनी पावर पॉलिसी को देखें तो एक तरफ हम रिन्यूअल्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोयला क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कोयला हम सबके लिए, विशेष रूप से झारखंड के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर हजारीबाग के लिए, जहाँ मैंने अभी बताया कि 4 हजार मेगावाट का पीवीयूएनएल का थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। पकरी बरवाडीह में हम लोग करीब 15-16 मिलियन टन सालाना कोयले का खनन कर रहे हैं। पूरा वहाँ कोयले का खनन हो रहा है, पूरे क्षेत्र में कोयले का खनन हो रहा है। इससे हम लोगों के देश में बहुत हम लोगों को फायदा/लाभ हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को बिजली की जरूरत है। सुप्रिया जी, बिजली की जरूरत क्यों है, माननीय विपक्ष के साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय जब हम लोगों की अपेक्षा थी कि पावर जनरेशन 7,8 या 6 परसेंट ही बढ़ेगा, वह आज के समय 9,10,11 या 12 परसेंट बढ़ रहा है। वह इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर न हो, हमारे पास एनर्जी न हो और हमारी ग्रोथ न हो पाए। यह हम लोगों के लिए शार्ट टर्म के लिए बहुत जरूरी है। मैं बताता हूँ कि इसमें कंट्राडिक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 'नेट जीरो' हम लोग वर्ष 2070 तक हासिल करेंगे। आज के समय जो कोयला आ रहा है, आज के समय जो कोयले का उत्पादन हो रहा है, जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट पतरातू में बना रहे हैं, पूरी तरीके से उसका उपयोग करते हुए, अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त बनाते हुए, उसको हम लोग वर्ष 2070 तक रिटायर करके नेट जीरो हासिल कर लेंगे। यही इसकी एक पूरी तरीके से प्लानिंग है। आप इसको

कंट्राडिक्शन न समझें, इसको आप लांग टर्म प्लानिंग समझिए। कोयले का भी उपयोग होगा और इस तरीके से तेजी से हम लोग रिन्यूअल्स भी लेते आ रहे हैं। सुप्रिया जी, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी 'कॉप' चल रहा है, आपको मालूम है कि दुबई में बहुत बड़े पैमाने पर कान्फ्रेंस ऑफ पार्टिज, कॉप चल रही है। आज जी-20 में सिर्फ एक देश है, जिन्होंने अपने सब नेशनली डिटर्मिन्ड कान्ट्रीब्यूशंस, पेरिस एग्रीमेंट के 2015 के एनडीसीज को पूरी तरीके से हासिल किया है। 'कॉप' में इसका ग्लोबल स्टॉक टेक चल रहा है। एक ही देश ने इसे पूरी तरीके से हासिल किया है, सफल रहा है और साथियों, वह देश भारतवर्ष है। आपका जो मानना है कि कंट्राडिक्शन है, बिल्कुल कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि आपको लांग टर्म समझना है, 2070 को समझना है। कोयले का भी सदुपयोग होगा, रिन्यूअल्स का भी सदुपयोग होगा।

जैसे मेरे माननीय साथी उदासी साहब बता रहे हैं कि पंप स्टोरेज हाइड्रो का भी बहुत तेजी से पूरे देश भर में उपयोग हो रहा है। जिस प्रकार से रिन्यूअल्स का ग्रोथ भारत में हो रहा है, उसका कोई मुकाबला कहीं भी नहीं है। यह भारत ही आपको दिखा रहा है।

एक ही विषय सदन में हर बार आता है, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि वे इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हैं और मैं थोड़ी-बहुत जानकारी इस विषय में रखता हूँ, इसलिए मैंने सोचा जरा एक बार फिर इसको बोल दूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने कई बार इसको समझाया है, लेकिन मैं फिर एक बार समझा दूँ कि जब बैंक के लोन का राइट-ऑफ होता है तो इसका मतलब क्या है। हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, वे हरदम इस बात को उठाते हैं, वे कहते हैं कि बैंक के लोन का आपने राइट-ऑफ किया, आपके जो उद्योग जगत के लोग हैं, उनके लिए आप बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। सुप्रिया जी, यह गलत बात है। इसको आप ठीक तरीके से समझिए। अगर आप किसी भी बैंक के लोन पर एनपीए हो जाते हैं, डिफाल्ट हो जाते हैं, आईबीसी, जिसे हम लोगों ने ही पारित किया, इस सदन ने पारित किया, जिसके लिए सबका मानना है यह गेमचेंजिंग ऐतिहासिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, उसके तहत अगर आप एनपीए हो गए, डिफाल्ट हो गए, उसका एकदम स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि कंपनी आपके हाथ से गई। कम्पनी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के हाथ में

चली जाती है और हम रिकवरी में लग जाते हैं। यह कहना कि लोन का राइट ऑफ हुआ तो उद्योग वालों को हमने कुछ फेवर ग्रांट की है, यह बिलकुल गलतफहमी है। मैं एक बार फिर आपको समझाना चाहता हूँ कि कहीं भी डिफाल्ट हो गया तो आपकी कम्पनी गई। वह कम्पनी बैंकों को मिल जाती है और बैंकों का रिकवरी का काम शुरू हो जाता है और जब हमें सही समय मिल जाता है तो रिकवरी अच्छी होती है और कई जगह बैंकों ने पूरी रिकवरी भी की है। इस प्रकार से आपको इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): जयंत जी आपके पास क्या राइट ऑफ रिकवरी के कोई आंकड़े हैं?

श्री जयंत सिन्हा : वे सब आंकड़े हैं।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जयंत सिन्हा : यह आपको बैंकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी दिखाता है कि हम फटाफट उसका राइट ऑफ ले रहे हैं, कम्पनियों को हम लोग हमारे हवाले कर रहे हैं और रिकवरी में फौरन ला रहे हैं। जब आपकी सरकार थी, तब ऐसा होता था कि कम्पनी डिफाल्ट हो गई तो कम्पनी नहीं जाती थी। आप लोन को फोन बैंकिंग के द्वारा एवरग्रीनिंग करते थे और वह कम्पनी उसी उद्योग वालों के पास रहती थी। आप उन पर मेहरबानी करते थे, लेकिन हम मेहरबानी नहीं करते हैं, हम देश की जनता को उनका अधिकार देते हैं।

माननीय सभापति : आप अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री जयंत सिन्हा : सुप्रिया जी, आपने कहा कि हमारी इकोनॉमी सेविंग्स की इकोनॉमी थी, लेकिन अब कंजम्पशन की इकोनॉमी बन गई है, लेकिन यह गलतफहमी है। वास्तव में हमारी इकोनॉमी निवेश की इकोनॉमी बन गई है, इनवेस्टमेंट की इकोनॉमी बन गई है और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इनवेस्टमेंट हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में इनवेस्टमेंट हो रहा है। इस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा क्योंकि निवेशक इस आंकड़े को देखकर बहुत खुश होते हैं और इसका आम जनता पर भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव

है। 20 साल पहले वर्ष 2004 में हमारी जीडीपी 0.7 ट्रिलियन डॉलर्स की थी। आज वर्ष 2024 में लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। हमारी मार्केट कैप टू जीडीपी रेश्यो है, वह लगभग 1:1 रहता है। पिछले 20 सालों में हमने शेयर बाजार में हमने जिस सम्पत्ति को हासिल किया है, वह करीब 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी की गारंटी के कारण, माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण, माननीय प्रधान मंत्री जी के साहासिक निर्णयों के कारण आज हमारी अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से अग्रसर है, वह 7 परसेंट, 8 परसेंट का ग्रोथ हो रहा है, जो 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। अगर इसे 20 साल आगे प्रोजेक्ट करें तो यह लगभग 15, 16 या 17 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हो जाएगी। पिछले 20 वर्षों में शेयर बाजार के अंदर जो 3 ट्रिलियन की सम्पत्ति का क्रिएशन हुआ है, आज के समय निवेशकों का मानना है कि अगले 20 साल में 12 ट्रिलियन का लक्ष्य, चार गुना ज्यादा का लक्ष्य हासिल करेंगे। यह सम्पत्ति निवेशकों को मिल रही है। सुप्रिया जी, आज के समय हमारे मिडल क्लास के लोग बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खोल रहे हैं। वे हर महीने शेयर बाजार में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे उनकी सम्पत्ति भी बढ़ेगी और देश की सम्पत्ति भी बढ़ेगी। यदि एसआईपी के आंकड़े देखें तो मिडल क्लास का विश्वास नजर आएगा।

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए।

श्री जयंत सिन्हा : महोदय, ईपीएफओ का जो पैसा शेयर बाजार में जा रहा है, उससे पेंशन प्रोविडेंट फंड के जो हिस्सेदार हैं, उनकी सम्पत्ति भी बढ़ने वाली है। विदेश से पैसे तो आ ही रहे हैं, यदि हम आगे की तरफ देखें तो माननीय प्रधान मंत्री जी सही कहते हैं कि यह अमृत काल है और वर्ष 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। यह प्रधान मंत्री जी की गारंटी है और इससे आप भी जुड़ जाइए। इससे आपका भी विकास होगा और पूरे देश का विकास होगा।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे एक्सेस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका अत्यंत ही आभारी हूँ।

महोदय, 1,29,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट इन अनुपूरक मांगों में प्रदान किया गया है, जिसमें 13,000 करोड़ रुपये उर्वरकों के लिए और लगभग 7,000 करोड़ रुपये खाद्य पदार्थों के लिए दिया गया है। यह स्वागतयोग्य है। यह गरीबों और किसानों को भी कहीं न कहीं बहुत फायदा पहुंचाएगा क्योंकि अभी जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण उर्वरकों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। किसानों को इसमें सही रूप से सब्सिडी दी जा रही है।

महोदय, हाल ही में प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पाँच सालों के लिए बढ़ाने का काम किया है। अतिरिक्त डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में जो बजट दिया गया है, यह इसमें भी काम आएगा। लेकिन, हमें यह देखने की जरूरत है कि यदि इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में आज भी प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत पड़ रही है तो फिर हम कौन-से विकसित भारत में रह रहे हैं? जो देश वैश्विक स्तर पर पाँचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है, जो दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहता है, आज उसके 80 करोड़ लोग अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हैं, बल्कि 80 करोड़ लोग सरकार-निर्भर हो चुके हैं। कहीं न कहीं सरकार को इसे संज्ञान में लेना होगा कि लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर रहेंगे, उन्हें सरकारी अन्न के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

महोदय, इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन तो दिया जा रहा है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रैंकिंग होती है, उसमें आज भी हमारे आंकड़े बहुत बुरे होते हैं। इसके साथ-साथ हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे बच्चों के अन्दर स्टंटिंग आती है। इसे भारत सरकार कह रही है कि बच्चों में स्टंटिंग और कमजोरी आती है। इसका मतलब कि पौष्टिक आहार के अभाव में उनकी जो ग्रोथ होनी होती है, वह पूरी तरह से नहीं

हो पा रही है। यह जो पैसा जा रहा है, जो खाने की गारंटी दी जा रही है, उसमें क्यों नहीं उसे पौष्टिक आहार की गारंटी दी जाती, जिसमें अंडा, प्रोटीन इत्यादि चीजें दी जाएं, जिससे बच्चों के अंदर स्टंटिंग की प्रॉब्लम न आए। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि यह खाना देने पर बच्चों में स्टंटिंग नहीं होगी और उनका बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास, दोनों विकास अच्छी तरह से होगा... (व्यवधान)

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): शाकाहारी लोगों के लिए सोया दिया जा सकता है।... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : मैडम, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्हें सोया दिया जा सकता है। आपके क्षेत्र में बहुत सोया होता है। उनके लिए इसका प्रावधान किया जाए। मेरा मुद्दा यही है कि इसका प्रावधान किया जाए। शाकाहारी दिया जाए, सोयाबीन दिए जाएं। सोया के जो प्रोटीन और न्यूट्रिएंट नगैट्स आते हैं, उसकी व्यवस्था की जाए।

महोदय, फरवरी के बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ी उद्घोषणा की थी। उन्होंने एक विज़न दिखाया था। उन्होंने समृद्ध भारत की कल्पना की थी, जो समावेशी हो, समावेशी का मतलब कि सभी समाज के लोग उसके अन्दर हो। बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की बात करती है। बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखने का कार्य किया है और आज उनकी आवाज़ बनकर हम यहां पर आपके पास आए हैं। आपको यह बताना है कि कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क है। आज दलित पूरी तरह से पीछे छूटा हुआ है और उसका भी सच मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। इसको मैं अदम गोंडवी जी के एक शेर के माध्यम से उजागर करूंगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शेर पेश करूँ। इसमें मैंने एक शब्द बदला है। मैं इस सदन के माध्यम से अदम गोंडवी जी से भी माफी मांगूंगा। उन्होंने कहा है - ...* अभी जब मैं अपने भाषण में आगे बढ़ूंगा तो यह उसके परिप्रेक्ष्य

* Not recorded as ordered by the Chair.

में है। उन्होंने कहा है -... * आगे सुनिए कि ...* में क्या हो रहा है। सवाल यह है कि क्या गरीब, महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को समृद्धि नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको मुख्य धारा से जोड़ना नहीं चाहिए और उसका उत्तर यह है कि हम उसमें पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से यह बताया गया है कि दलितों के खिलाफ अपराध डबल हुए हैं। जहां वर्ष 2011 में 33,700 दलित उत्पीड़न के मामले थे, वहीं वर्ष 2020 में ये मामले बढ़ कर 50,251 हो गए हैं। आइए ले चलता हूँ ... * आपको, महसूस कीजिए ज़िंदगी की ताप को। यह है ज़िंदगी ताप, हुजूर! इतने ज्यादा मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। यह देखिए, एनसीआरबी की यह भी रिपोर्ट है कि वर्ष 2019 के डेटा के ...* विकास की यात्रा के बारे में बात की गई, लेकिन विकास की यात्रा का लक्ष्य अत्यंत ही दूर है। मैं यह किसी नकारात्मक सोच के तहत नहीं बोल रहा हूँ। मैं यह सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ कि हम यात्राएं ज़रूर निकाल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य को भी सामने साफ कर के देखें और लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ तक हो रही है, उसका भी ब्यौरा यहां पर देने का काम करें। ऐसी स्थिति, जहां अपराधों का रोकथाम करने के लिए अतिरिक्त बजट अल्पसंख्यक मंत्रालय को मिलना चाहिए, वहां अनुपूरक माँगों में इसका प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन इससे पहले, जब मेन बजट था, तो 38 पर्सेंट दलितों और अल्पसंख्यकों के बजट को ले कर कटौती की गई थी। उसी के साथ-साथ, अभी जो अनुपूरक आया है, उसमें खानापूर्ति करने के लिए मात्र 73 लाख रुपये का, सर, 1 लाख 29 हजार करोड़ रुपये का बजट है, और दलित उत्पीड़न के लिए 73 लाख रुपये मात्र दिए गए हैं। सर, यह हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, यह बहुजन समाज का अधिकार है और यह अधिकार मिलना चाहिए। वहीं, हमें क्या देखने को मिलता है कि सीवर और नालियां, आज भी इस देश में लोगों को सीवर और नालियों के अंदर घुसना पड़ता है, अपनी जान गंवानी पड़ती है, बिना प्रोटेक्टिव गियर के काम करते समय। इस प्रकार की सफाई करने में ज्यादातर हमारे दलित समाज के लोग रहते हैं और बजट में यह प्रावधान किया गया था कि मेनुअल स्केवेंजिंग को खत्म कर दिया जाएगा।

* Not recorded as ordered by the Chair.

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह उद्देश्य एक दिवास्वप्न रह चुका है। यह सिर्फ एक सपना दिखाया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी भी हमारे सामने है। सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए 308 लोग मारे गए। सच्चाई यह है कि 308 के फिगर से कहीं ज्यादा लोग मारे गए होंगे। देश में 60 हजार से ज्यादा रजिस्टर्ड मैनुअल स्केवेंजर्स हैं। इनमें कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। इसी के साथ-साथ मैं फिर से अदम जी का शेर यहां पर दोहराना चाहूंगा – ...* इस सदन के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ। उसी के साथ-साथ, मैं यह भी आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ कि हमारे यहां दुनिया में कोई भी देश ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : निशिकांत जी।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर 369 के अंतर्गत है।

माननीय सदस्य ने अभी दो चीजों की बात कही है। एक तो उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जिक्र किया और दूसरा सामाजिक बात, मतलब जो लोग गटर में मर रहे हैं, उनकी बात कही है। ये दोनों सब्जेक्ट राज्य के विषय हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि वे उस पेपर को ऑथेंटिकेट करें, वे जो बातें कह रहे हैं, पेपर को ऑथेंटिकेट करें और सारे राज्यों का डेटा वे दें कि दलित की हत्या कौन कर रहा है, दलितों का रेप कहाँ हो रहा है? किस ...* में, किस राज्य में लोग मर रहे हैं, यह ऑथेंटिकेट करें, नहीं तो इसको एक्सपंज किया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: जो गलत बात है, वह नहीं जाएगी।

... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : सर, दलित उत्पीड़न राज्य का इश्यू नहीं है, देश का इश्यू है। यह एक बात है। दूसरा, मैं यहां पर अनुपूरक मांगों की चर्चा पर भाग ले रहा हूँ। मेरा मानना है कि ये जो अनुपूरक मांगें आई हैं। ... (व्यवधान) सर, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को कनक्लूड कर रहा हूँ। मेरा यह मानना है कि उनके लिए नए-नए यंत्रों की व्यवस्था की जाए। आज हम चन्द्रमा पर पहुंच गए हैं।

* Not recorded as ordered by the Chair.

हमारे पास बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, जो इंसान को भी पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन, गटर की सफाई के लिए मशीनें नहीं हैं। उसके लिए मेरा अनुरोध है कि अगर वित्त मंत्री जी अपने अनुपूरक में इसके बारे में सोच कर व्यवस्था की होती तो बहुत अच्छा होता।

अंत में, मैं अपने प्रदेश की दो बातें कह कह अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरे यहां 69 हजार टीचर्स की भर्ती को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और लोग आंदोलित हैं। मेरे ख्याल से उसको भी लेकर सदन में एक सकारात्मक सोच के तहत उनको रिक्रूट करने की जरूरत है।

सर, इस अनुपूरक में छुट्टा पशुओं की लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए थी। छोटे सांड, गाय, बैल, बछड़े रोड्स पर आकर लोगों की जान ले रहे हैं। हमारे एकड़ के एकड़, हेक्टेयर के हेक्टेयर खेत बर्बाद होते चले जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी अनुपूरक में व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा बहुजन समाज मात खाता है।

अंत में, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उस पीठ से बैठ कर पहली बार मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं आपके नेतृत्व में अपनी बात रख रहा हूं।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत- बहुत धन्यवाद ।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Mr. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the current Fiscal Year and also on the Demands for Excess Grants, the expenditure for which was incurred in 2020-21.

Sir, I was going through why the Government is seeking an additional Rs. 1.29 lakh crore, and trying to understand the justification for the same. Under the description, I found that Rs. 16,300 crore was allocated for the Nutrient Based Subsidy Scheme, and there was also some recoupment of Rs. 5,000 crore advance. But the Supplementary Demands show only Rs. 13,351 crore. So, there is a mismatch. I would like to know from the hon. Minister why there is a disparity and difference in the figures.

Secondly, Sir, the FM has allocated Rs. 1.7 lakh crore in Budget for the FY 2024 in respect of fertilizer subsidies. If you add Rs. 13,351 crore to it, it comes to Rs. 1.88 lakh crore. But if you look at the total expenditure in FY 2023, it was a whopping Rs. 2.55 lakh crore. So, now that we have a reasonably better monsoon, the outgo would be more. Since the cost of natural gas has also gone up, a higher amount would be needed for fertilizer subsidy.

Thirdly, in the first half of this Fiscal Year, we have already spent 65 per cent of the fertilizer subsidy. So, instead of coming before the Parliament again and again, why can the Finance Minister not have a holistic view of the fertilizer expenditure and move accordingly?

Sir, let me now come to the NREGA. The hon. Minister is seeking Rs. 14,524 crore. When the FM presented this year's Budget itself, the House was

unanimous that the allocation of Rs. 16,000 was not sufficient. It was 18 per cent below the allocation made in the previous year. But I would like to know from the hon. Finance Minister whether this is sufficient for the entire Financial Year since the demand is likely to increase in the coming months. Taking advantage of this, Sir, there have been demands from every corner of the country to increase the minimum number of days of work under NREGA to 150. Now, that AP has been battered by Cyclone Michaung and the people, particularly the farming community, have suffered badly, I would request the hon. Finance Minister to announce 150 days of work under NREGA and continue this on a regular basis going forward as well.

Sir, I also thank the hon. Prime Minister and also the hon. Finance Minister for releasing Rs. 493 crore to AP under the National Calamity Relief Fund to meet the expenses due to the Cyclone Michaung. After the Cyclone Michaung has left a trail of devastation in AP and Tamil Nadu, despite my previous appeal for Rs. 5,000 crore interim relief for Andhra Pradesh, only less than Rs. 500 crore have been disbursed so far. The President of the Telugu Desam Party, Shri Nara Chandrababu Naidu has urged the hon. PM to declare it as a national disaster. Over 22 lakh acres of crops in AP have been decimated with losses exceeding Rs. 10,000 crore. I request you to expedite the enumeration process, send a central team and release the funds swiftly to aid the distressed farmers many of whom have been seen committing suicides because of the financial impact on them.

Sir, the next point I wish to touch upon is about the borrowings. The hon. Finance Minister has set a target of market borrowings of nearly Rs. 15.5 lakh crore for this Fiscal Year. I think, in the first half of this Financial Year, the Government has already borrowed more than 60 per cent of that figure.

17.00 hrs

It means that the calculations and the borrowing plans appear to be going wrong, and the target of Rs.15.5 lakh crore may even go up to Rs.17 lakh crore or Rs.18 lakh crore at the end of this financial year. This will disturb the fiscal target of 5.9 per cent set by the Finance Minister for the FY 2024. Of course, we are getting consistent GST revenue of Rs.1.6 lakh crore. I request the hon. Finance Minister to explain to the House what the real picture is.

I would also like to know how much non-tax revenue the Government is expecting in the first half and also the dividends from the RBI and other public sector banks.

The next point is that the Finance Minister is seeking about Rs.483 crore under various Heads for the Jal Shakti Ministry. But I did not find anything for the Polavaram Project in AP. There are reports in the media that the Government is in the process of approving Rs.31,625 crore for the first phase of the Polavaram Project. I think the Jal Shakti Ministry has also approved this. I would like to just remind the hon. Finance Minister that she has approved release of Rs.12,911 crore on 5th June of this year. Works of Rs.16,000 crore have already been completed and works of Rs.15,000 crore are yet to be taken up. Now there is an additional Rs.2,600 crore needed for the first phase.

Since the FM has already approved Rs.12,911 crore, I appeal, on behalf of the people of Andhra Pradesh, to kindly approve the first phase estimates of Polavaram Project and release the amount without any further delay.

The entire bifurcation of AP was done on the premise of Section 93 of the AP Reorganisation Act, 2014. Section 93 says that the Central Government will take all necessary measures as enumerated under the 13th Schedule for the progress and sustainable development of the State successively for a period of 10 years. Only a few months are left to complete 10 years. To be precise, only four months are left. We have been hearing about high level meetings between the Government of India and the Government of AP officials. One such meeting was held last month but nothing tangible is happening on the ground.

The Dugarajapatnam Port is the Government of India's guarantee. The AP Reorganisation Act says that the first phase should be completed by 2018. However, this project has not even been started.

The Metro Rail Project proposed in Visakhapatnam and Vijayawada-Guntur-Tenali is the Government of India's guarantee but these have also not started. I think some private developer has come forward to share 60 per cent of the cost of the project. I appeal to the hon. PM to please take this up.

The new railway zone is one of the Government of India's other guarantees. Rs.106.89 crore was sanctioned last year but it is only for the revenue expenditure. Rs.10 crore was given in 2023-24. The zone is yet to become a reality.

The greenfield crude oil refinery and petrochemical complex was Government of India's guarantee but nothing has happened.

The construction of educational institutions is running at a snail's pace and is not going to be completed within the prescribed time of 10 years. All I request is the timely delivery of the hon. Prime Minister's and the Government of India's guarantees before the June, 2024 deadline comes up.

Coming to the excess grants, I wish to submit that these excess grants have been scrutinised by the Public Accounts Committee. It means that the Committee has scrutinised threadbare these grants. I have little to say on this since these excess grants are related to free foodgrains being given to the poor under the PMGKAY which has now been extended till 2028. I welcome this. A part is also related to the Atmanirbhar Bharat Scheme given during the pandemic. So, I have nothing to add here as well.

With these submissions, I support the Supplementary Demands and the Excess Grants placed before the House by the FM for their approval. Thank you, Sir.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I am here to express the views of the CPI (M) on the Supplementary Demands for Grants for the additional spending of Rs. 1.29 lakh crore.

Sir, before coming to the Ministry-wise demands for grants sought, I wish to bring to the notice of this august House how the financially imbalanced and unjustified attitude of this Government seriously affects the financial health of the States, including the State of Kerala.

The BJP Government's stance reminds me of Yayathi's story in Mahabharata which would be more familiar to my colleagues from the Treasury Benches. For those who do not know Yayathi's story, I would quickly glance through it. Yayathi was once cursed by his father-in-law Sukracharya for cheating her daughter. So, he lost his youth and became an old aged person.

Sir, however, on Yayathi's request, his 5th son Puru took over his old age in exchange of his youth and enjoyed his life for 1000 years. This is exactly what has happened in the case of GST. When the GST was introduced as 'One Nation, One Tax', the Government promised to compensate for the loss of revenues of the States and that is why they have agreed for such a game changer in tax proposal.

Now, after five years, even though revenues of the State Governments have not improved, the Union Government which is playing the role of neo-Yayati is enjoying the benefits and is not ready to share the benefits turning the States into neo-Purus.

Sir, I am speaking only the facts. There is no limit for the Union Government and its PSUs to borrow from open market. But when the State Governments are going for the same, the Fiscal Responsibility and Budget Management Act stares upon them. In the case of Kerala, the Union Government is not even allowing it to borrow the mandated 3 per cent of its GSDP by unnecessarily reducing the borrowing limit quoting one reason or the other. The hon. Finance Minister was telling about the common yardstick for all States under Article 293(3) of the Constitution guided by the Finance Commission.

Sir, what is the total national debt of the Government of India? The national debt of India as on 31st March, 2023 was Rs.155.6 lakh crore, which comes is around 57.1 per cent of GDP, and this Government is restricting the State Governments from taking loans. What an irony, Sir!

Sir, Kerala is one of the few States which has shared the burden of land acquisition for widening of national highways in the State, and has already handed over an amount of Rs.5580 crore to National Highway Authority of India, as replied by Shri Nitin Gadkari Ji on the Floor of this House. I want to know from the Government why they have included this amount of Rs.5580 crore in the purview of the borrowing limit. Here, you are punishing Kerala for helping your Government, and the Ministry of Road Transport and Highways. Even this amount was reduced from the State's borrowing limit saying that this amount was borrowed by KIFFBI, the special purpose vehicle formed for off-budget borrowing.

Sir, same is the case with the funds of Kerala Social Security Pension Limited which is used for providing welfare pensions for more than 60 lakh people at the rate of Rs.1,600 per month. Not only that, this amount is deducted from Kerala's borrowing limit, the Central share for pension and welfare, paddy procurement, UGC teachers' salary and even noon-meal programmes of the State of Kerala.

An assessment by the State Government has shown that the total reduction in State finances due to the reduction in annual borrowing limit, cessation of GST compensation, decrease in revenue deficit grant and reduction in the *inter se* distribution from the divisive pool during the 15th Finance Commission is a whopping Rs.50,000 crore.

Sir, above all, the BJP Government has come up with a new tactic of withholding the funds in the name of branding. In Kerala, for houses built under LiFE Mission, which is the largest of its kind in the country, a total of Rs. 4,00,000 is spent on each unit, and out of this, the Union Government is providing a meagre amount of Rs.72,000 as part of PMAY. When the Government of Kerala has constructed about four lakh houses and handed over the keys to the beneficiaries within seven years, the Government of India is insisting that these houses should display the logo of PMAY as if it was granted by the Central Government. The Government of Kerala is spending more than Rs.378 lakh per unit, but we are not asking for display of any sign or emblem.

Sir, it is a universally accepted fact that housing is the basic right, and I have only pity towards this Government for such an inhuman attitude towards lakhs of houseless people of this country. So, my humble request to the hon. Finance Minister is to treat the States at par with the Centre as per federal principles enshrined in our Constitution, and allocate their due shares in time. Specific to Kerala, I request that the borrowing limit be increased by one per cent over and above the annual borrowing limit for 2023-24 as a special case due to the present financial constraints of the State.

Sir, I bring to the attention of the hon. Finance Minister an issue having wider implication across the whole country, that is, the criteria for calculating CIBIL score. This issue is being faced by people all over the country. This is a very serious issue. Many a time borrowers of loans find it difficult to repay the loans due to unpredictable genuine circumstances in life, including health problems and job loss, and are, therefore, forced to settle the loan with the bank amicably on mutually agreeable terms. Even in such cases, the CIBIL score of people would be seriously affected as such loans are considered not closed but settled. There are lakhs of farmers and students who have taken agricultural loans and educational loans for their higher studies respectively and are affected by this.

Recently, the High Court of Kerala has ordered that the loans issued to farmers based on Paddy Receipt Sheet should not come under the purview of the CIBIL score of individual borrowers and I wish that the Minister would take note of it. In view of this, I request the hon. Minister to urgently give directions

to the Reserve Bank of India to have a re-look at the criteria for calculating CIBIL score for the benefit of the common people of the country.

Sir, coming to Alappuzha parliamentary constituency which I represent, it is a long pending demand that the Government allocates the required amount for the doubling of the Ambalappuzha-Thuravoor stretch of the Railways. This is the only stretch in Kerala for which the Government has not allotted the required funds. I would like to extend my sincere thanks to the hon. Finance Minister for the amount allocated for the doubling of Ernakulam-Thuravoor stretch.

Now, on behalf of the Government of Kerala and people of Kerala, I wish to make the following demands. The amount spent by the State towards the land acquisition cost of national highways may be compensated. The decision to reduce the borrowing limit of Kerala in the name of off-Budget borrowings since 2021-22 has to be reconsidered. The State entitlement under the CAPEX Scheme has to be relaxed immediately as it is a loan and not strictly a Centrally-sponsored scheme. The Union Government should release pending payment of various schemes as I mentioned earlier. I request the hon. Minister to consider the repeated requests of Government of Kerala to extend the period of GST compensation and a special package has to be announced for Kerala taking into account its resource loss due to the new tax policy of the Union Government.

With these words, I conclude my speech. Thank you.

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने ज़िम्मेदारी मुतालबात पर बोलने का मौका दिया। शुरुआत में जब बजट पास हुआ जो हमें भरोसा दिलाया गया था कि मुल्क में तरक्की रफ्तार पकड़ेगी लेकिन मुतालबा ज़र पेश किया जा रहा है तो हमें अहसास हो रहा है कि जो हमारे हदफ़ थे, टार्गेट्स कहीं हमसे छूट रहे हैं। 1 लाख 29 हजार 348 रुपये के ज़र मुतालबात पेश किए गए। मुल्क की मजमूई तौर पर माथी हालत ठीक नहीं है, अनएम्पलायमेंट, अंडर एम्प्लायमेंट बढ़ती जा रही है। बुनियादी सहूलियतें अवाम को मयस्सर नहीं हैं, ज़रात का शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर है। जहां तक जम्मू-कश्मीर की बात है, जम्मू-कश्मीर को अफसरशाही के हवाले किया गया, गैर-मुतख़िब और गैर-जवाबदाह अफसरशाही के हवाले किया गया। इससे क्या हुआ, जम्मू-कश्मीर में और भी मुतासिर तरक्की की दौड़ हो गई। जनाब, जम्मू-कश्मीर में 61,000 के करीब डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड वर्कर्स, कॉलेज डेवलपमेंट फंड वर्कर्स, कन्टीन्यूेंट पेड वर्कर्स, सीजनल टीचर्स और बाकी वर्कर्स अपनी रिकोग्निशन का कई साल से इंतज़ार कर रहे हैं।

रेगुलराइजेशन तो दरकिनार, उनको मिनिमम वेजेज भी नहीं दी जा रही हैं। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में मात्र 3 हजार रुपये के वेजेज कई-कई महीनों के बाद दिए जा रहे हैं। सारे मुलाजिम बड़ी परेशानी का शिकार हैं। होना यह चाहिए था कि रेगुलराइजेशन के लिए फौरी इंतज़ाम किए जाएं, ताकि इनके परिवार, जो इन पर निर्भर हैं, इनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनको रिलीफ मिले, लेकिन जो गैर-जवाबदेह इंतज़ाम है, जो अफसरशाही है, वह इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दे रही है।

जनाब, ट्राइबल्स की बात हो रही है। हमारे ट्राइबल्स जम्मू से श्रीनगर का रुख करते हैं और श्रीनगर से जम्मू का रुख करते हैं। उनके लिए सीजनल स्कूल्स बने हुए हैं, टीचिंग सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन वहां के उस्ताद केवल 6 महीने के लिए रखे जाते हैं और 6 महीने के लिए उनको बिल्कुल बर्खास्त किया जाता है। यह उनकी बड़ी परेशानी है। जम्मू-कश्मीर में हेल्थ केयर सिस्टम 40

फीसदी के करीब मैन पावर पर चल रहा है, मैन पावर क्राइसेस का सामना कर रहा है। जो एक नैरेटिव खुशहाल कश्मीर का बनाया जा रहा है, उसमें कोई सदाकत नहीं है।

जनाब, 40 परसेंट कोई तरजीद नहीं कर सकता है। अगर मिनिस्टर साहब चाहें, तो तरजीद कर सकते हैं। केवल 40 फीसद मैन पावर पर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा है। न ही कन्सल्टेंट, न ही डॉक्टर्स और न ही पैरा मेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जा रही है। जो मैन पावर पूल मौजूद है, उनको टेम्परेरिली रिक्रूट किया जा सकता है, लेकिन लोगों को बगैर किसी राहत के छोड़ा जा रहा है। हमारे पास इक्यूपमेंट्स पड़े हैं। मैंने अपने एमपी लैड फंड से 5 करोड़ के करीब इक्यूपमेंट्स चार जिलों के लिए खरीदे, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है। एक-एक ब्लॉक में एक रेडियोलोजिस्ट तक नहीं है। इस कारण सारे इक्यूपमेंट्स अस्पताल में बेकार पड़े हुए हैं। अनंतनाग में मैटरनिटी हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वहां काम नहीं हो रहा है। एमआरआई के लिए कहा गया था। हमने पेट्स स्कैन के लिए कहा था। 25 लाख लोगों के लिए कोई पेट्स स्कैन नहीं, एमआरआई नहीं और कोई कैथ लैब नहीं है।

जनाब, जल शक्ति में जो नल से जल की बात है, तो वहां के सेक्रेट्री ने ही निशानदेही की कि करीब 23 हजार करोड़ रुपये का घपला हुआ है। लोगों को खराब पानी पिलाया जा रहा है। साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। अगर हम बात करें डोगरीपुरा में, कालीबुग, खयूम आदि जगहों पर स्कीम्स हैं, पैसा लगाया हुआ है, लेकिन फिल्ट्रेशन का कोई इंतजाम नहीं है। इसके अलावा पावर का सबसे बड़ा मसला है। अभी सुप्रिया जी ने भी जिक्र किया था। 14 से 16 घंटे तक का शटडाउन रहता है। आज वहां 5 डिग्री तापमान है। इस सर्दी में 14 घंटे, 16 घंटे का शटडाउन है, पावर नहीं है, तो आप देखिए कि इस ठिठुरती सर्दी में क्या हाल होगा? आप किस खुशहाल कश्मीर की बात करते हैं? हमने कई पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो एनएचपीसी के हवाले किए गए। यह एग्रीमेंट बीओटी कहलाता है। इसका मतलब बिल्ट ऑपरेशन ट्रांसफर होता है। ये 25 साल पहले दिए गए और एनएचपीसी ने उससे सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर दिया, लेकिन ट्रांसफर करने से कतराती है। हमारा जम्मू-कश्मीर 3215 मेगावाट बिजली पैदा करता है, लेकिन वहां 16

घंटे की डेफिसिट है। करीब 16 घंटे का शटडाउन है और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे उस परेशानी से जूझ रहे हैं।

जनाब, जहां तक वहां पर कैपेक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला है, ऋषिपुरा ब्रिज, डोगरीपुरा ब्रिज, पटलवा ब्रिज आदि के लिए फंड की बात है कि उनको कम्प्लीट किया जा सके। करोड़ों रुपये वहां लगाए गए, लेकिन अभी तक उन पर कोई काम शुरू नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, वे ट्रांसफर नहीं हो रही हैं। जहां पर जो हेल्थकेयर फैसिलिटी है, वह हो ही नहीं रही है। यह है वहां की गवर्नमेंट डेफिसिट। वहां पर कोई फैसले लेने के काबिल नहीं है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है।

जनाब, इसके अलावा रोज-रोज वहां पर व्हीकल्स के एक्सिडेंट्स की परेशानियां हैं। जोजिला में पिछले दिनों दो एक्सिडेंट्स हो गए, जिसमें जानें चली गयीं। टूरिस्ट्स केरल से आए हुए थे, जिनकी जानें चली गईं। डोडा में 35 जानें चली गईं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, ताकि व्हीकल्स के एक्सिडेंट्स का लॉग टर्म में कोई सॉल्यूशन हो जाए। उसमें एक बात यह है कि जब जवाबदेही नहीं रही तो उसके बारे में कोई तवज्जो कहीं पर नहीं है। यही हाल राशन का है। यही नरेटिव बनाया जा रहा है।

जनाब, एक बात जरात की है और दूसरा एनवॉयरमेंट मिलाकर यही दो इश्यूज हैं। एनवॉयरमेंट में हमारा सामना एनवॉयरमेंट डिग्रेडेशन और एनवॉयरमेंट चैलेंज का है। हमारे एरिया में पम्पोर है। वहां पर जो पॉल्यूशन है, इमीशन्स हैं, सैफरन हमारी कैश क्रॉप की सबसे बड़ी पैदावार थी, वह 22000 किलो ग्राम से घटकर अब 4000 किलोग्राम पर आ गया है, क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है।

जनाब, वहां पर जे.के.सीमेंट लिमिटेड का एक सरकारी इंदारा था, वह बंद कर दिया गया, शट-डाउन किया गया। अब शायद उसको अडाणी जी के हवाले करने का मन बनाया जा रहा है। ... (व्यवधान) वहां कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। वहां अब माहौल नहीं है कि और पॉल्यूशन बर्दाश्त किया जाए।

جنااب، وہاں کے جو مولاژیم ہیں، جس پلانٹ کو باند کر دیا گیا ہے، وہ پینشن کے لیے پانچ سال سے اینتچار میں ہیں۔ وہاں ہمنے فیسلا کیا تھا کہ کوئی اور سیمینٹ پلانٹ کو بنانے نہیں دینگے۔ اُسکے باوؤد ہمارے موتاالبه کی انندےخئی کی جا رہی ہے۔ اُسکو اڈاणी جی کو یا کسی اور دینے کا پراس کیا جا رہا ہے، جسکی ہم موالالفت کرینگے۔ ہم پورجور तरीके سے कहेंगे कि कोई एडिशन न हो।

جنااب، وہاں پر ہمنے 35 کروڑ روپے سے اک فیسلیٹی بناई थी، जो सैफरन की जीआई टैगिंग کے لیے थी। आप हैरान होंगे कि وہاں پر मात्र 85 किलोग्राम का हो गया है, क्योंकि पैदावार ही खत्म हो गई। जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल सैफरन मिशन 500 करोड़ रुपये का था, उसमें सैफरन के लिए स्प्रिंकल इरीगेशन की व्यवस्था की गई। जनाब वे सारी की सारी बंद पड़ी हैं सरकार को मतालबा होगा, इसकी जांच कराई जाए, एक इन-डेपथ एनक्वॉयरी कराई जाए कि कैसे यह फेल हुआ? जो हमारा चार अरब रुपये के सैफरन क्रॉप का कारोबार होता था, उसको कैसे रिस्टोर किया जाए?

जनाब, इन चीजों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया।

[جناب حسنین مسعودی صاحب (اننت ناگ): چیرمین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ضمنی مطالبات پر بولنے کا موقع دیا۔ شروعات میں جب بجٹ پاس ہوا تو ہمیں بھروسہ دیا گیا تھا ملک میں ترقی کی رفتار آگے بڑھے گی، لیکن مطالبہ زر پیش کیا جا رہا ہے تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ جو ہمارے ہدف تھے وہ کہیں ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ 1 لاکھ 29 ہزار 348 روپے کے جو زر مطالبات پیش کئے گئے، ملک کی مجموعی طور پر معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان ایمپلائمنٹ، انڈر ایمپلائمنٹ بڑتی جا رہی ہے۔ بنیادی سہولیات عوام کو میسر نہیں ہے۔ زراعت کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے، جموں کشمیر کو افسر شاہی کے حوالے کر دیا گیا، غیر

منتخب اور غیر جوابدہ افسر شاہی کے خلاف اس کے حوالے کیا گیا۔ اس سے کیا ہوا، جموں کشمیر میں ترقی کی دوڑ اور بھی متاثر ہو گئی۔ جناب جموں کشمیر میں 61000 کے قریب ڈیلی ویجرس، کیزول ورکرس، نیٹ ویسل ورکرس، ہوسپٹل ڈیولپمینٹ فنڈ ورکرس، کالج ڈیولپمینٹ فنڈ ورکرس، کنٹینجینٹ پیڈ ورکرس، سیزنل ٹیچرس اور باقی ورکرس اپنی ریکوگنیشن کا کئی سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ ریگولرائزیشن تو درکنار، ان کو منیم وجز بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ ہوسپٹل ڈیولپمینٹ فنڈ میں صرف 3 ہزار روپے کے وجز کئی کئی مہینوں کے بعد دئے جا رہے ہیں۔ سارے ملازم بڑی پریشانی کا شکار ہیں۔ ہونا یہ چاہیئے تھا کہ ریگولرائزیشن کے لئے فوری طور پر انتظام کئے جائیں، تاکہ انکی فیملی جو ان پر منحصر ہیں، ان کے بچے جو اسکول جاتے ہیں، ان کو ریلیف ملے، لیکن جو غیر جواب دہ انتظام ہیں، جو افسر شاہی ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔

جناب، ٹرائبلس کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ٹرائبلس جموں سے سری نگر کی طرف رخ کرتے ہیں ار سری نگر سے جموں کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے لئے سیزنل اسکول بنے ہوئے ہیں، ٹیچنگ سینٹرس بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کے اُستاد صرف 6 مہینے کے لئے رکھے جاتے ہیں اور 6 مہینے کے لئے ان کو بالکل برخاست کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی بڑی پریشانی ہے۔ جموں کشمیر کا ہیلتھ کیئر سسٹم 40 فیصد کے قریب مین پاور پر چل رہا ہے، مین پاور کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، جو ایک نیریٹیو خوشحال کشمیر کا بنایا جا رہا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔

جناب 40 فیصد کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ اگر منسٹر صاحب چاہیں تو تردید کر سکتے ہیں۔ صرف 40 فیصد مین پاور پر ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم چل

رہا ہے۔ نہ ہی کنسلٹینٹ ہیں، نہ ہی ڈاکٹرس اور نہ ہی پیرا میڈیکل اسٹاف کی ریکروٹمنٹ کی جارہی ہے۔ جو مین پاور پول موجود ہے، ان کو ٹیمپریلی ریکروٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کو بغیر کسی راحت کے چھوڑا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایکوپمینٹس پڑے ہیں۔ میں نے اپنے ایم پی لیڈ۔ فنڈ سے 5 کروڑ کے قریب ایکوپمینٹس 4 ضلعوں کے لئے خریدے، لیکن ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک۔ایک۔بلاک میں ایک ریڈیولوجسٹ تک نہیں ہے۔ اس وجہ سے سارے ایکوپمینٹس اسپتال میں بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ اننت ناگ میں میٹر نٹی اسپتال کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن وہاں کام نہیں ہو رہا ہے۔ ایم۔آر۔آئی۔ کے لئے کہا گیا تھا۔ ہم نے پیٹس اسکین کے لئے کہا تھا۔ 25 لاکھ لوگوں کے لئے کوئی پیٹس اسکین نہیں، ایم۔آر۔آئی۔ نہیں اور کوئی کیتھ لیب نہیں ہے۔

جناب، جل شکتی میں جو نل سے جل کی بات ہے، تو وہاں کے سیکریٹی نے ہی نشاندہی کی کہ قریب 23 ہزار کروڑ روپے کا گھپلا ہوا ہے، لوگوں کو خراب پانی پلایا جا رہا ہے۔ صاف پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں ڈوگری پورہ میں، کالی بگ، خیوم وغیرہ جگہوں پر اسکیمس ہیں، پیسہ لگایا ہوا ہے، لیکن فلٹریشن کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی سپریا جی نے بھی ذکر کیا تھا۔ 14 سے 16 گھنٹے تک کا شٹ ڈاؤن رہتا ہے۔ آج وہاں منفی 5 ڈگری ٹیمپریچر ہے۔ اس سردی میں 14 گھنٹے، 16 گھنٹے کا شٹ ڈاؤن ہے، پاور نہیں ہے، تو آپ دیکھئے کہ اس زبردست سردی میں کیا حال ہوگا؟ آپ کس خوش حال کشمیر کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے کئی پاور پروجیکٹس بنائے ہیں، جو این۔ایچ۔پی۔سی۔ کے حوالے کئے گئے۔ یہ ایگریمنٹ بی۔او۔ٹی۔ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب بلٹ آپریشن ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ 25 سال پہلے دئے گئے اور

این۔ایچ۔پی۔سی۔ نے اس سے سارا ریوینیو کلیکٹ کر دیا، لیکن ٹرانسفر کرنے سے کتراتی ہے۔ ہمارا جموں کشمیر 3215 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، لیکن وہاں 16 گھنٹے کی ڈیفیٹ ہے۔ قریب 16 گھنٹے کا شٹ ڈاؤن ہے اور لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اس پریشانی سے جوجھ رہے ہیں۔

جناب، جہاں تک وہاں پر کیپیکس اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے، رشی پورا برج، ڈوگری پورا برج، پٹلوا برج وغیرہ کے لئے فنڈ کی بات ہے کہ ان کو مکمل کیا جا سکے۔ کروڑوں روپے وہاں لگائے گئے، لیکن ابھی تک ان پر کوئی کام شروع نہیں ہو رہا ہے۔ ہوسپٹل بلڈنگس جو بنی ہوئی ہیں، وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہیں۔ جہاں پر جو ہیلتھ کیئر فیسلیٹی ہے، وہ ہو بھی نہیں رہی ہے۔ یہ ہے کہ وہاں کی سرکار کوئی فیصلہ لینے کے قابل نہیں ہے، کسی کی کوئی جوابدہی نہیں ہے۔

جناب، اس کے علاوہ روز روز وہاں پر وہیکلس کے ایکسیڈینٹس کی پریشانیاں ہیں۔ جوجیلا میں پچھلے دنوں دو ایکسیڈینٹس ہو گئے جس میں جانیں چلی گئیں۔ ٹورسٹس کیرل سے آئے ہوئے تھے، جن کی جانیں چلی گئیں۔ ڈوڈا میں 35 جانیں چلی گئیں، لیکن کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، تاکہ وہیکلس کے ایکسیڈینٹس کا لونگ ٹرم میں کوئی سولوشن ہو جائے۔

اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب جوابدہی نہیں رہی تو اس کے بارے میں کوئی توجہ کہیں پر نہیں ہے۔ یہی حال راشن کا ہے۔ یہی نیریٹیو بنایا جا رہا ہے۔ جناب، ایک بات زراعت کی ہے اور دوسرا ماحولیات ملا کر یہی دو ایشوز ہیں۔ انوائرنمنٹ میں ہمارا سامنا انوائرنمنٹ ڈیگریڈیشن اور انوائرنمنٹ چیلنج کا ہے۔ ہمارے ایریا میں، پمپور ہے۔ وہاں پر جو پولیوشن ہے، ایمیشن ہے، زافران ہماری کیش کروپ کی سب سے بڑی پیداوار تھی، وہ 22 ہزار کلو

گرام سے گھٹ کر اب 4 ہزار کلو گرام پر آ گیا ہے ، کیونکہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے۔

جناب، وہاں پر جے۔ کے۔ سیمینٹ لمیٹیڈ کا ایک سرکاری ادارہ تھا، وہ بند کر دیا گیا، شٹ ڈاؤن کیا گیا۔ اب شاید اس کو اڈانی جی کے حوالے کرنے کا من بنایا جا رہا ہے۔ (مداخلت) وہاں کوئی کیئرنگ کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہاں اب ماحول نہیں ہے کہ اور پولیوشن برداشت کیا جائے۔

جناب، وہاں کے جو ملازم ہیں، جس پلانٹ کو بند کر دیا گیا ہے ، وہ پینشن کے لئے 5 سال سے انتظار میں ہیں۔ وہاں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کوئی اور سیمینٹ پلانٹ کو بننے نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود ہمارے مطالبے کی اندیکھی کی جا رہی ہے۔ اس کو اڈانی جی کو یا کسی اور کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ، جس کی ہم مخالفت کریں گے ، ہم پرزور طریقے سے کہیں گے کہ کوئی ایڈیشن نہ ہو۔

جناب، وہاں پر ہم نے 35 کروڑ روپے سے ایک فیسلیٹی بنائی تھی، جو زافرن کی جی۔ آئی۔ ٹیگنگ ک لئے تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر صرف 45 کلو گرام کا ہو گیا ہے ، کیونکہ پیداوار ہی ختم ہو گئی ہے۔ جو پرائم منسٹر نیشنل سیفرون مشن 500 کروڑ روپے کا تھا، اس میں سیفرون کے لئے اسپرنکل ایریگیشن کا انتظام کیا گیا۔ جناب، وہ ساری کی ساری بند پڑی ہے، میرا سرکار سے مطالبہ ہوگا اس کی جانچ کرائی جائے، ایک ان ڈیپتھ انکوائری کرائی جائے کہ کیسے یہ فیل ہوا؟ جو ہمارا 4 ارب روپے کے سیفرون کروپ کا کاروبار ہوتا تھا، اس کو کیسے ری اسٹور کیا جائے؟

جناب، ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ

(ختم شد)

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Thank you, Sir. In all our approach to economy and whenever we analyse the policies related with economy in relation to our development agenda, disability has to be taken as identity. We will not be able to achieve the goal of social justice without inclusion of persons with disability in all spheres of development.

Globally, 1.3 billion people, which is equal to the entire population of India live with some kind of disability. Nearly, 80 per cent of them live in developing countries, and 70 per cent live in rural areas. These people are experiencing higher instances of poverty, lack of access to education and opportunity, and various kinds of social and economic discrimination.

As per a recent study conducted by the International Labour Organisation, inclusion of persons with disabilities can help boost global GDP between three and seven per cent. In our country also this has to be the criteria, namely helping the poor, and bringing forthwith positive and creative policies and implementing them for the upliftment of the poor, farmers, working-class, minorities, backward classes, etc. The welfare of the nation will be made possible only by ensuring rights of the persons with disability.

Here, I am drawing the attention of this august House to a Japanese example. Actually, when we take the case of Japan today, which is the third largest economy by GDP in the world, in Japan there is reportedly a death by suicide every 20 minutes. Even though, the country has achieved such an important financial, economic growth and development, it is facing very serious social problems. There is a death by suicide every 20 minutes. Nearly 15 lakh

Japanese have not left their homes for years, which is a kind of severe social withdrawal that is named as hikikomori.

Sir, all the parents rent actresses to come in on Sundays to call them mom and pop because their own daughters do not visit them anymore. In our country also, nowadays, the children are not taking any interest in looking after their parents. This is the technological havoc and tsunami. The earnings of the children are not helpful for their own parents. As the poet said, 'ज़िंदा लाशों की भीड़ है चारों तरफ, मौत से भी बड़ा हादसा है जिंदगी'। It is a very serious situation.

The *Vraddha Sadans* are increasing in our country. In Japan, lonely deaths are taking place. Every day, dead persons are found in Japan in their tiny apartments days and weeks after they die. These lonely deaths are called 'Kodokushi'. It is a coincidence that in our language of Hindi and in Urdu, 'suicide' is called 'Khudkushi' and in Japan, lonely deaths are called 'Kodokushi'. Japan has climbed to 3rd position in the global economy. It has not lifted all boats. It has tossed the weak to the margins to languish. The economic growth on steroids has destroyed the safety net of family and community ties. High value industrial economy has taken the centre stage. It has destroyed the family ties and the social relationships. In our country also, the economic condition is being challenged by technological tsunami and havoc.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Sir, I need two minutes. Artificial intelligence will give jobs, but it will not give jobs to the poor and backward

classes. It will give jobs only to the affluent and those who have skills in that field. Similarly, in Japan, young men from the countryside migrated to cities for salaried jobs, but they were not trained in that kind of jobs. So, they were not able to get such jobs. And the result was that they fell through the cracks into financial collapse, which resulted in social withdrawal.

The technological risks that confront the world today have created a very serious situation. People are more and more dependent on the digital network. As a result, digital economy is coming into existence. Our Government is also speaking of digital economy. It is a very, very serious situation in a period when the truth itself becomes casualty. For example, the real risk is the 'deep fake' feature. Even our Government will have to take very serious steps to tackle this situation. The situation needs extra vigilance. Most of the people in our country still remain marooned in the slow lanes.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Sir, I am concluding. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana will be extended by five years. That means 80 per cent people of India will be getting free grains to stave off their hunger by the year of 2028. This 2028 is the year in which the Government expects India to become the third largest economy of the world.

While concluding, I want to ask a question to the Government. Will such a large population of India still be suffering from hunger? Who will benefit from the five-year dash of our country to meet these targets? They are putting forth their concepts of digital economy, GST, Insolvency, Bankruptcy, decrease in

corporate tax, and many other things like Make in India, Start-up India quite often. Are these tools and sectors helpful for the people?

While concluding, I request that an environmental, sustainable, and socially-harmonious future will have to include the poor people, the backward people, the disabled people into the mainstream of economy. I request the Government to take strong and positive steps in this direction.

With these words, I conclude my speech.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति जी, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एनडीए सरकार ने गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस सब्सिडी में प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर 100 रुपये की बढ़ोतरी की। इस निर्णय से 9.6 करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में लक्षित सब्सिडी योजना के अंतर्गत आते हैं। एनडीए सरकार द्वारा पीएमयूवाई लाभार्थियों सहित सभी घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलजीपी) उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर की कीमत में कटौती की है और तीन वर्षों में अन्य 75 लाख गरीब परिवारों को कवर करने के लिए पीएमयूवाई कवरेज का विस्तार किया।

सभापति जी, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने एलपीजी गैस सिलिंडर पर जो सब्सिडी प्रदान की है, उससे करोड़ों लोगों और विशेषकर हमारी बहनों को जो फायदा हुआ है, उसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी की सीजन 2023-24 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने का फैसला लिया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार पहल को वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवल छः महीने में गंभीर धन की कमी का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़े 6,146.93 करोड़ रुपये के घाटे का संकेत देते हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का आवंटित बजट शुरुआती अनुमानों की तुलना में 18 प्रतिशत कम और पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित आंकड़ों की तुलना में 33 प्रतिशत कम है।

सभापति जी, मनरेगा कार्यक्रम की मांग-संचालित प्रकृति है और रोजगार के अवसरों की मांग के अनुरूप है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर फंड जारी करना है, जिससे रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसका संज्ञान लेते हुए प्रधान मंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी को तुरंत मनरेगा संचालन को बनाए रखने के लिए पूरक बजट की मांग के निर्देश दिए। मेरा सरकार से

अनुरोध है कि जो योजनाएं मज़दूरों, किसानों तथा गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उन योजनाओं के लिए धन की कमी न हो।

सभापति जी, आज पूरे देश में आदरणीय प्रधान मंत्री जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत की यात्रा चल रही है और उस विकसित भारत का सपना पूरा करने का प्रयास महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब भी कर रहे हैं। उनको माननीय उप मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस और माननीय उप मुख्य मंत्री अजीत पवार पूरा सहयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसानों को राहत देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी किसानों के लिए एक रुपये में इश्योरेंस स्कीम डिक्लेयर की है और महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता के लिए पांच लाख रुपये के मेडिकल इश्योरेंस 'महात्मा ज्योतिबा फूले योजना' जारी की है। वहां महिलाओं के लिए 50 परसेंट ट्रैवलिंग में कंसेशन दिया हुआ है और बच्चों को लखपति बनाने की योजना भी चालू की है। महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन चालू है और उसके लिए केन्द्र सरकार का भी सहयोग चाहिए। महाराष्ट्र की विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार का सहयोग मिलता है, लेकिन बहुत राशि महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध न होने की वजह से महाराष्ट्र सरकार की एक डिमांड है कि कृषि उन्नति योजना, जिसका बजट 7,066 करोड़ रुपये का बजट है, लेकिन उसमें 373 करोड़ रुपये ही रिलीज हुए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 7,150 करोड़ का बजटेड अमाउंट है, लेकिन उसमें 165 करोड़ ही रिलीज हुआ है।

एक्सलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम की बजटेड कॉस्ट 3122 करोड़ रुपये है और उसमें केवल 24 करोड़ रुपये ही रिलीज हुए हैं। आंगनवाड़ी पोषण अभियान की बजटेड कॉस्ट 20554 करोड़ रुपये की है लेकिन उसके 1172 करोड़ रुपये ही रिलीज हुए हैं। मिशन वात्सल्य (child protection and child welfare) की बजटेड कॉस्ट 1472 करोड़ रुपये है, लेकिन जीरो अमाउंट रिलीज हुआ है। आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से रिक्वैस्ट करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की जो डिमांड है, उसको निश्चित रूप से आप पूरी करेंगी।

आखिर में, मैं महाराष्ट्र के किसानों की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज के निर्यात की नीति को 31 मार्च, 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से महाराष्ट्र राज्य के प्याज उत्पादक किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई किसान सड़क पर आ गए हैं और महाराष्ट्र राज्य के नासिक सहित अन्य जिलों में किसानों ने आंदोलन भी शुरू किया है और कई जिलों में किसान आंदोलन करने के कगार पर हैं। प्याज का निर्यात सही समय पर नहीं किया गया तो प्याज सड़ जाएगी और किसानों का भारी नुकसान होगा।

महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रसर एनडीए गठबंधन की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कटिबद्ध है और इसी श्रृंखला को मानते हुए सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की ज्यादा आय सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों योजनाओं को अपनाया और लागू भी किया है। पहले ही बेमौसम भारी बारिश से प्याज उत्पादक किसानों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और अचानक प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगने से किसानों की आमदनी के रास्ते बंद हो जाएंगे और किसान हतबल हो जाएगा। प्याज का निर्यात बंद होने से किसानों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। आपके माध्यम से मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जी का भी रिक्वैस्ट है कि महाराष्ट्र राज्य में प्याज के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को तुरंत हटाया जाए और महाराष्ट्र के किसानों को राहत दी जाए।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद करता हूँ।

*** SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. The Government of the day claims through statistics that India has become an economic super power in the world. Similarly through statistics the Government says that India has achieved an economic growth of more than seven per cent. We can only assess whether India has achieved economic growth or not during the last 10 years only by way of assessment made on the lives of the people. The Government of the day should understand what is left behind after this assessment. Agriculture is so predominant in providing employment. I should say that the rural economy has completely been shattered during the BJP rule. Unprecedented urbanisation is a result of this shattered rural economy. Urbanisation means that the rural economy is on the verge of destruction. Agriculture which is the backbone and lifeline of rural areas is seeing a decline and destruction. That's why rural people are migrating to towns and cities and urban areas.

Secondly, 92 per cent of employment is provided by MSMEs in India. Again I should mention here that MSMEs are on the verge of destruction. During the last 10 years, MSMEs have reached a dying state. Tiruppur is a commercial centre and hub. As much as 50 per cent of industries here in Tiruppur are in a dying state. Many of them are not functional as on date are closed. Defective economic policies of the Government in power are the reason for this decline. MGNREGA, 100 days employment guarantee Scheme has shrunk and it seems that in future they will gradually wind up this scheme.

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

This MNREGA Scheme was the one good Scheme which provided employment to some extent to the people in rural areas. But now the Government of the day has put hurdles in the implementation of this Scheme. I urge that the MGNREGA beneficiaries should be given Rs. 400 as daily wage besides providing them 200 man days of regular employment in one year. GST should not be levied on MSMEs. Levying GST is affecting the MSMEs. I therefore request that MSMEs should be completely exempted from GST. Similarly, Textile Industrial hubs are very much affected. Next to Agriculture, the Textile Industry provides employment on a large scale. Textile Industry is shrinking day by day. These are the reasons as to why unemployment is on the rise.

The Government and those in Government earlier had assured to provide two lakh jobs every year. They should accept their defeat and regret for their inability to provide two Crore jobs per year as assured by them. They have not provided two Crore jobs every year. The ground reality is that more than six Crore people have lost their jobs. Our Economic Advisor to the Government says that the country will achieve development only when Adanis and Ambanis get development. Adanis and Ambanis do not create social assets. Rural farmers and urban labourers are the ones who create social assets. Government should ponder over providing subsidies and facilities to such farmers and labourers who create social assets. GST should be waived off for MSMEs completely.

Those in the Government talk about Jawaharlal Nehru very often. Even the Home Minister said the current situation in Kashmir is because of Pandit Nehru. I should say the PSUs created by Pandit Jawaharlal Nehru are privatised and are being sold to private parties by the Government. The income generated by these PSUs is being diverted to private players as the Government is selling one PSU after the other to them. This Government has committed a mistake by doing this. How can they assure that India has achieved growth? Education is being privatised. Education and health are two sectors which are taken away from people. Who are the ones affected by the ill effects of privatisation? It is the people of this county. People face difficulties in getting education as well as health facilities. They also talked about GDP data.

This Government has introduced contract labour in almost every sector. Why are they not going for providing permanent employment? Why are they offering contractual employment in regular jobs? I urge that this system of engaging contract labourers should be abolished in both government and private sectors. This Government is creating opportunities to exploit the labour force. I urge upon you that this system of contract labour should be given up. All senior citizens immediately when they attain 60 years of age should be provided assured pension of Rs 6000 per month. Union and State Governments should ensure that ASHA workers who work hard even in hilly and remote areas be made permanent employees and their salaries be paid well in time. Malayali tribes have been granted the status of ST in other districts of Tamil Nadu. But In Erode district these Malayali tribes are not

included in the list of STs. I urge that the Malayali tribes of Erode district be included in the list of STs and facilities be extended to them. With these words I conclude. Thank you.

श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर): सभापति महोदय, कवि ने लिखा है :

Balo balo balo sobe

Shoto bina benu robe

Bharat abar Jagat sobhai

Shreshtho asono lobe

आज पूरे विश्व में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत सरकार देश चला रही है, किसी दूसरे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इतना अच्छा भारतवर्ष कभी नहीं चला। एक बच्चे का जन्म होने के बाद उसे सबसे ज्यादा जरूरत खाने की होती है। उसे हेल्थ की जरूरत होती है। उसको घर की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है और फार्मिंग की जरूरत होती है। आज भारत के माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी खाने के लिए पूरे भारतवासियों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। उनको हेल्थ के लिए पांच लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड मिल रहा है। उनको प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। शिक्षा की नई नीति बन रही है। किसानों के लिए किसान योजनाएं आ रही हैं। मैं यह जानता हूँ कि मुझे बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं है। हमारे सीनियर मित्र सौगत दा बोल रहे थे कि इतने अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को ग्रांट नहीं मिल रहा है। आज मैं डिमांड कर रहा हूँ। आप जो यह पिक्चर देख रहे हैं, यह एक मां की है। उनको शिक्षा और भिक्षा नहीं मिल रही है, चाकरी नहीं मिल रही है। वह हजार दिनों से धरना पर बैठी थी। कल भी वह माथा मुंडन करके रास्ते में थी। एक हजार दिन हो गए, फिर भी सौगत दा की सरकार कुछ नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल के किसानों को साइक्लोन से जो क्षति हुई, उनके लिए हम मदद चाहते हैं। हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार मदद नहीं करेगी। हमारी नई डिमांड है। इतने अच्छे काम हो रहे हैं, तभी डिमांड हो रही है। पश्चिम बंगाल के रेलवे के लिए 12

हजार करोड़ रुपए की डिमांड पास हुई थी। हमारे भारतवर्ष के लोग जब विदेश में जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो सभी कहते हैं कि भारत आएं। यही नरेन्द्र मोदी जी का श्रेष्ठ भारत है। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इतना अच्छा था, इतना हो रहा है।

जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने डिजिटल भारत की घोषणा की थी, उस समय किसी ने नहीं कहा। एक सीनियर लीडर कह रहे थे, जो वर्ष 2014 में आए थे, वे कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं। वे कह रहे थे कि सब्जी वाले कैसे डिजिटल भारत करेंगे। आज सब्जी वाले कह रहे हैं कि हमें यूपीआई, पेटीएम और फोन-पे से पेमेंट कीजिए। यही डिजिटल भारत है। हमारा भारत माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे जा रहा है, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल पीछे जा रहा है। हमारे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको डीए नहीं मिल रहा है। उसको धक्का देकर राज भवन से आउट करना पड़ रहा है। आज हमारी नगरी में चोरी होती है। वहां पर खाद्य और राशन का मंत्री, फूड मिनिस्टर जेल में है। बंगाल में एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है। वहां पर यूसी नहीं मिल रहा है। वहां का पैसा कहां जा रहा है?

वित्त मंत्री जी से मेरी डिमांड है कि पश्चिम बंगाल को पैसा भेजिए, लेकिन उसका यूसी भी लेना चाहिए, क्योंकि नगरी में जालियत, हर जगह में जालियत। हमारा पूरा भारतवर्ष आगे जा रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि भारतवर्ष में बुलेट ट्रेन हो सकती है। हमारे माननीय मੈम्बर कह रहे थे कि जापान में यह हो रहा है, वह हो रहा है। कांग्रेस की सरकार ने कभी सोचा कि भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी? यह कभी सोचा कि चंद्रयान सफल होगा? हमारे प्रधान मंत्री जी ने ये सब सोचा और करके दिखाया। यह सबसे बड़ी बात है। आज भारतवर्ष में कोई खाने के लिए नहीं रोता है। स्टेट गवर्नमेंट, विरोधी पक्ष के लोग रोते हैं कि हमारे लिए 100 रुपए आते हैं, लेकिन यहां पर हमें 16 पैसे मिल रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट पैसा भेज रहे हैं। जब सारा पैसा इधर से भेज रहे हैं तो उधर जा रहा है। पश्चिम बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट से उनको कुछ नहीं मिल रहा है। मेरी वित्त मंत्री जी से मांग है कि पश्चिम बंगाल में जो साइक्लोन आया है, उससे बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके लिए

कुछ ऐसी योजना बनाइये कि डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स के पास जाए जो पोटैटो के फार्मर्स हैं, पोटैटो की खेती करते हैं, वे उसे मंडी तक नहीं ले जा पाएं, क्योंकि खेत में ही फसल खत्म हो गई।

मेरा भारत श्रेष्ठ भारत है। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे जाएंगे। यहां पर जो लोग बोल रहे थे कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, मैं यह बोलूंगा कि भारत आगे जाएगा और नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि सभापति पैनल के अंतर्गत आप यहां विराजे और आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई।

सदन में आज वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों व वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है। इन अनुदान मांगों के माध्यम से एक लाख 29 हजार करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने की मंजूरी सदन के माध्यम से मांग की गई है।

इस चर्चा को लेकर जब मैं समाचार पत्रों के डिजिटल एडिशन को देख रहा था तो उसमें यह बात सामने आई कि संसद में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रस्ताव में 58,378.21 करोड़ रुपये का कुल नकदी व्यय शामिल है। अतिरिक्त व्यय में खाद सब्सिडी पर 13,351 करोड़ रुपये का खर्च भी शामिल है। चूंकि खाद की सब्सिडी की बात आई है, मैं राजस्थान से आता हूं, डीएपी यूरिया को लेकर बहुत बार खाद की कमी भी आ जाती है और हम यहां बात भी करते हैं। सरकार का प्रयास रहता है, लेकिन फिर भी आए दिन खाद की जितनी सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल रही है। किसानों पर लाठीचार्ज की घटनाएं होती हैं और किसानों पर मुकदमे दर्ज होते हैं। मेरी मांग रहेगी कि हर साल उर्वरकों की किल्लत से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप मांग के क्रम में आपूर्ति को समय पर निर्धारित करें, ताकि खाद की किल्लत किसानों को न हो तथा और अतिरिक्त सब्सिडी किसानों को मिले।

मेरा दूसरा विषय सिंचाई और पेयजल का है। मैं राजस्थान स्टेट से आता हूँ। पंजाब राज्य से राजस्थान की नहरों में सिंचाई का पूरा पानी नहीं मिल रहा है और आए दिन आंदोलन राजस्थान में होते हैं। कई बार किसानों ने सीने पर गोलियां भी खाईं और अपने हक व अधिकार के लिए लड़ाई राजस्थान के किसान लड़ रहे हैं।

सभापति महोदय, रसायन युक्त पानी पीने का पानी है। वह भी पंजाब से राजस्थान के करीब 12-13 जिलों के अंदर आ रहा है और वहां से एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन है, जहां से ज्यादातर कैंसर के मरीज आते हैं। लुधियाना की फैक्ट्रियों का गंदा पानी इंदिरा गांधी नहर के अंदर जाता है और वह पीने का पानी राजस्थान के कई जिलों में जाता है। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा प्रयास करे कि साफ-सुथरा पानी राजस्थान के प्रत्येक इलाके में आए। यह मेरी बड़ी डिमांड है।

मैं आपका ध्यान राजस्थान के जल विवादों की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 1981 में रावी-व्यास नदियों के जल बंटवारे को लेकर हुए समझौते के अनुरूप आज भी राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। 41 वर्षों से यह बात राज्य सरकारों और केंद्र में रही सरकारों की कमजोर इच्छा शक्ति के कारण लंबित है।

सभापति महोदय, यमुना बेसिन राज्य से हुए समझौते के अनुरूप भी राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा है और पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई से सम्बन्धित अत्यंत महत्वपूर्ण ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग लम्बे समय से चल रही है। प्रधान मंत्री जी राजस्थान के चुनाव के अंदर गए, उससे पहले भी गए थे, तब उन्होंने कहा था कि हम जल्दी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का उस समय हवाला दिया गया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बन गई और दिल्ली में आपकी सरकार है तो ईआरसीपी का तोहफा बिना राजनीतिक भेदभाव के आपको राजस्थान के 13 जिलों को देना चाहिए, जो राजस्थान के उन 13 जिलों में एक संजीवनी साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी को

सबसे ज्यादा वोट विधान सभा में मिले और लोक सभा के अंदर भी 25 सीटें राजस्थान ने एनडीए गठबंधन को दी थीं।

सभापति महोदय, मैं सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि शासन के नीतिगत निर्णय का लाभ वास्तव में समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि केवल भाषण में बड़ी-बड़ी बातें करने से देश का भला हो जायेगा। किसान, गरीब, मजदूर, रेहड़ी चलाने वाले लोगों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, सेना में प्रवेश लेना हमारे देश में गौरव का विषय माना जाता रहा है। सेना में लोग रोजगार के लिए नहीं जाते थे। उनमें एक जज्बा है। उन्होंने वर्ष 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयां, कारगिल की लड़ाई, आज़ादी से पहले की लड़ाइयां लड़ी थीं। सेना के अंदर जो रेजिमेंट बनी हुई है, जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल है, सिख रेजिमेंट है। हमने एक और मांग की थी कि गुर्जर रेजिमेंट भी बने। जो जातियां लड़ना चाहती हैं, नौजवानों के अंदर एक इच्छा होती है कि हम सेना के अंदर जाकर देश के लिए समर्पित होंगे। जो अग्निपथ योजना आयी, उसका हमने बार-बार यहाँ विरोध किया, ऑल पार्टी मीटिंग में विरोध किया। 4 साल के लिए जो संविदा पर, सेना को ठेके पर दिया, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं माँग करता हूँ कि अग्निपथ योजना को सरकार वापस ले, नहीं तो लोक सभा चुनाव के अंदर यह मुद्दा इनके गले की फाँस बन सकता है। यह मेरी सरकार से माँग है। इसको लेकर हमने लगातार आन्दोलन किए हैं और आगे भी हम आन्दोलन करते रहेंगे।

महोदय, महँगाई से आम आदमी त्रस्त है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का प्रत्यक्ष असर महँगाई पर पड़ा और एनडीए की सरकार का जब वर्ष 2014 के अंदर बनी थी, तब के कूड ऑयल की कीमतों को देखें और अब तक के सफर पर नजर डालें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। कूड ऑयल उस समय महँगा था और अब सस्ता है। उसके बावजूद बढ़ी हुई डीजल-पेट्रोल की कीमतें जनता को देनी पड़

रही हैं। मेरी माँग है कि घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए और महँगाई कम करने के ठोस उपाय किए जाएं।

महोदय, बेरोजगारी देश के अंदर बहुत प्रमुख मुद्दा है। भारत सरकार ने बताया कि 9 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। मेरी माँग है कि सरकार केन्द्र के मंत्रालयों, विभागों में रिक्त पदों के नवीनतम आंकड़े जारी करे और जल्द से जल्द उन्हें नियमित भर्ती के माध्यम से भरने के कदम उठाए। केन्द्र एक ऐसी नीति बनाए और राज्य सरकारें भी नियमित भर्ती से ही रिक्त पदों को भरें, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में बढ़ता निजीकरण देश के युवा वर्ग के लिए चिंता का विषय है। मेरा एक सुझाव है कि जब तक हम सीमेंट फैक्ट्रियों, उद्योगों, रिफायनरी जैसे क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 80 प्रतिशत रोजगार देने की नीति नहीं बनाएंगे, तब तक पलायन नहीं रुकेगा और बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होगा। स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलना चाहिए। महोदय, मेरी कुछ प्रमुख मांगें हैं। कृषि की बढ़ती लागत और फसलों की गैर लाभकारी कीमतों के कारण मेरे प्रदेश राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों के किसान कर्जे के तले दबे हुए हैं। आपका भी प्रयास रहा। हमने भी प्रयास किया। कर्जमाफी के आन्दोलन को देश में हवा मिली। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ करें। जिस तरह पिछले 15-16 सालों के अन्दर धन्ना सेठों का 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज माफ हुआ है, उसी तरह राजस्थान और देश के किसान का कर्जा माफ हो। एमएसपी पर किसान की पूर्ण उपज खरीदने का गारंटी कानून बनाया जाए। जो फसलें एमएसपी के दायरे में हैं, उनकी समय पर खरीद नहीं हो पाती, इसकी समय पर खरीद शुरू करने हेतु प्रभावी नीति बनाने की जरूरत है। महोदय, अरुण जेटली जी जब वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने राजस्थान में शुष्क कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की, परन्तु वह घोषणा आज तक पूरी नहीं हो पाई। इस पर सरकार ध्यान दे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नागौर में सरकार से सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने की मैं मांग करता हूँ। मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने जातिगत जनगणना की मांग की।

महोदय, मैं और मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी जातिगत जनगणना कराने की पक्षधर है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के किसानों की जमीन अवाप्त की गई, लेकिन पंजाब, हरियाणा और अन्य दूसरी स्टेट्स के अंदर जो जमीन का मुआवजा दिया गया, उससे राजस्थान के अंदर मुआवजा बहुत कम था। जब हम गडकरी जी से इस मामले में मिले, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार नहीं कर रही है। अब तो राजस्थान में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है। आप उन किसानों को, जिनकी जमीनें आपने अवाप्त की, जो बेघर हो गए, उनको जमीन की सस्ती कीमत मिली। उससे दोगुनी, तीन गुनी कीमत पर, पंजाब, हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान के किसानों को भारतमाला योजना जमीन अधिग्रहण योजना के अंदर मुआवजा मिले।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित सभी केंद्रीय कर्मियों को ओल्ड पेंशन योजना से लाभान्वित करने हेतु सरकार की ओर से कदम उठाया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में बोई जाने वाली विश्वविख्यात पान मेथी को मसाला कमोडिटी में शामिल करते हुए जीआई टैग दिया जाए। राजस्थान के जोधपुर प्रखंड किशनगढ़ तथा उदयपुर व जयपुर हवाई अड्डों में उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि जब तक नीति निर्माण में किसानों, गरीबों और मजदूरों को शामिल नहीं करेंगे, तब तक इस देश में सही मायने में अमृतकाल नहीं आ पाएगा। किसान आंदोलन के समय किसानों के साथ जो समझौता हुआ था, उसके अंदर यह बात कही थी कि किसानों की सारी मांगें मानी जाएंगी। दुर्भाग्य से आज तक ऐसा नहीं हुआ है।... (व्यवधान) मेरी यह मांग रहेगी कि किसानों की सारी मांगें मानकर उस समझौते की क्रियान्विति सरकार करे।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): महोदय, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से आता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक रास्ते का इन्वेंट्री करने के लिए औरंगाबाद से महज 25 किलोमीटर दूर नारायण गांव नाम के एक छोटे से गांव में गया। वहां पर एक जर्जर सी टूटी-फूटी इमारत के ऊपर के ऊपर नजर पड़ी तो यह पता चला कि यह सरकारी स्कूल है। टीन का शेड है, पक्की छत नहीं है, पानी टपकता है, जब बारिश होती है। वहां पर 200 बच्चे पढ़ते हैं। तीन छोटे-छोटे क्लास रूम्स वहां पर हैं। मैंने पूछा कि ये 200 बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे बैठते हैं, तो पता चला कि 100 बच्चे क्लास रूम्स में बैठते हैं और 100 बच्चे बाहर ग्राउंड के ऊपर एक महीने के लिए बैठते हैं। एक महीने के बाद बाहर वाले बच्चे अंदर जाते हैं और अंदर वाले बच्चे बाहर आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सोचने वाली बात है।

माननीय सभापति : जलील जी, कल आप अपना भाषण कंटीन्यू कीजिएगा, क्योंकि छह बज गए हैं।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील : सभापति जी, इस समय को माइनस कर दीजिए, नहीं तो कल आप कहेंगे कि बैठ जाओ, आपका समय हो गया है।

माननीय सभापति : ठीक है। सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.01 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Tuesday, December 12, 2023/Agrahayana 21, 1945 (Saka).*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)
